खण्ड-220, अंक-3
मंगलवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(14 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ ,श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र,श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा,श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथ बहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई,) श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १४ मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति

१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि सरकार ने नवम्बर, दिसम्बर, १९६० में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये कोई समिति या आयोग का गठन किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समिति या आयोग के Terms of Reference व सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेगी?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। राजकीय विज्ञप्ति संख्या क-१-६८९७/१५—२१७९-५९, दिनांक १ दिसम्बर, १९६० के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसमें आयोग के विचारणीय विषयों का विवरण तथा सदस्यों के नाम दिये गये थे। यह विज्ञप्ति असाधारण सरकारी गजट में १ दिसम्बर, १९६० को प्रकाशित हुई थी।

उक्त आयोग अब राजकीय विज्ञप्ति संख्या ए-१-१३४८/१५—२१७९-१९५९, दिनांक ९ मार्च, १९६१ के द्वारा विघटित कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण यह आयोग विघटित कर दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—जहां तक सेकेंडरी शिक्षा का सम्बन्ध है, दो रिपोर्ट हमारे सामने थीं, एक तो आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की जो कि प्रादेशिक स्तर पर कायम की गई थी और एक केन्द्रीय स्तर पर मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट। इन रिपोर्टों के आने के बाद डिपार्टमेंटल कमेटीज में भी शिक्षा के बारे में जिसमें माध्यमिक शिक्षा का भी विषय था, उस विषय को देखा गया। इस वजह से जो स्थिति थी उसमें आवश्यक नहीं समझा गया कि कोई विशेष काम इस कमीशन को देने के लिये अब रह गया है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी और मुदालियर कमेटी में इंटरमीडियट बोर्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं है और इस सदन में भी बार-बार यह मांग हुई कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भी पुनर्गठित किया जाय, उसमें सुधार किया जाय। शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उस तरफ वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद् का ठीक-ठीक सुधार हो सके और प्रदेश की शिक्षा का ठीक संचार हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव--जो रिपोर्ट्स थीं उनमें नीति के बारे में बहुत से विषयों का जिक्र था। साथ ही साथ सदन में भी प्रश्न आते रहे हैं और जहां तक सेकेन्डरी एजूकेशन ऐक्ट का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में भी कुछ विषय थे। उसमें डिपार्टमेन्टल कमेटी ने एक काम्प्रीहेन्सिव बिल तैयार किया था जो विचारणीय था। इसलिये ऐसी स्थिति थी। थोड़े बहुत काम ऐसे हैं जो बाहर से लेने पड़ेंगे अथवा जो काम हमारे पास था उससे निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार को ज्ञात है कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी तथा मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी थीं? यदि हां, तो सरकार ने क्यों इस आयोग को स्थापित किया था?

श्री रामस्वरूप यादव--उस वक्त सरकार ने विचार किया था, लेकिन अब विचार यही हुआ है कि जब हमारे पास मसाला मौजूद है और उस पर हम अपनी भविष्य की माध्यमिक शिक्षा को आधारित कर सकते हैं तो फिर क्यों एक कमीशन को अलग से गठित किया जाय?

श्री अध्यक्ष--आपने अपने विचार में संशोधन कर लिया। ऐसा कहिये साफ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या यह सही है कि इस कमीशन का गठन इस मंत्रिमंडल के आने के पहले किया गया था और इसको निलम्बित करने का निश्चय उसके बाद किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो सही है कि दिसम्बर, १९६० में इसका गठन हुआ था और ९ मार्च, १९६१ को विघटित हुआ। उसके जो चेयरमैन थे उनसे भी मंत्री जी की बात हो गई है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--१० मार्च, १९६१ की विज्ञप्ति द्वारा इस कमीशन का विघटन हुआ है और उसमें यह भी था कि सरकार ने इकोनामिक मेजर के खयाल से उक्त कमीशन को विघटित किया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितना रुपया खर्च होने का अनुमान था उस आयोग पर और उसी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि दूसरी कमेटी बनायेंगे? यदि हां, तो उस कमेटी के बनाने का क्या तात्पर्य है और उसका क्या स्वरूप होगा?

श्री रामस्वरूप यादव--यह विज्ञप्ति १० मार्च की नहीं, ९ मार्च की है और इकोनामी मेजर विशेष दृष्टि में नहीं था .....

श्री अध्यक्ष--उनका कहना यह है कि विज्ञप्ति में इकोनामी मेजर्स के लिये किया गया था, उसमें आपने देखा है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास विज्ञप्ति है, उसमें इकोनामी मेजर्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष--वह पढ़ कर आप बतला दें।

श्री रामस्वरूप यादव--

"Government have carefully reconsidered the necessity of continuing the functioning of the Uttar Pradesh Secondary Education Commission, 1960, constituted under Government Resolution no. AI/6897/XV-2179/1959, dated December 1, 1960. Since the basic problems of Secondary Education have already been thoroughly thrashed out in the recent past by the two Acharya Narendra Deo Committees at the State level and by the Mudaliar Commission at the All India level, it is felt that the basic problems of Secondary Education do not need any further examination immediately. The adoption of the present Secondary Education pattern by the Government of India at the All-India level on the basis of the recommendations of the Mudaliar Commission may need some further minor examination in view of the special problems prevailing in the State

as well as local conditions. This work, Government feel, can be more efficiently and economically done by one or more small committees, which may be constituted as and when required. On the other hand, Government are contemplating to appoint a Committee very soon to go into the question of pre-Secondary Education with a view to evolving a pattern more in line with the objects of Basic education."

श्री अध्यक्ष---इसमें लिखा है 'more economically done' जो सवाल पूछा गया वह इसी इरादे से पूछा गया। जब 'more economically' है तो वह तुलना करना चाहते हैं। जो बड़ी कमेटी थी पहले उसमें कितने खर्चे का अन्दाज था और जो छोटी नई कमेटी अब आप बनाना चाहते हैं जिससे इकोनामिकल हो जायगा उसके बारे में आपके पास कोई आंकड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---आंकड़े नहीं हैं मेरे पास। इसमें लिखा है:---

"small committes, which may be constituted as and when required" न इनका इतना व्यापक टर्म्स आफ रेफरेंस होगा, न ज्यादा इसमें खर्चा होगा।

श्री अध्यक्ष---खर्चे के अन्दाजे के फीगर्स नहीं हैं आपके पास ?

श्री रामस्वरूप यादव---फीगर्स नहीं हैं।

श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री ने जो अभी अंग्रेजी में पढ़ा उसका हिन्दी में तर्जुमा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---एक ही बात जानने के लिये कहा गया था, उसमें यह बात है या नहीं। आर्थिक बचत की बात। उसमें जिक्र था और इसी खयाल से कमेटी को रद्द किया गया। तो मैं चाहता था कि उसे वह पढ़ कर सुनायें कि है या नहीं। उसे उन्होंने पढ़ा और यह बात उसमें है और दूसरी कोई मतलब की बात है नहीं।

श्री गोविन्दसिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जैसा कहा गया कि इकोनामी की कोई बात नहीं थी तो क्या यह सही है कि उसका पर्सनल ठीक नहीं लगा मंत्रिमंडल को इसलिये रद्द कर दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप गलत बात कह रहे हैं। इकोनामी की बात तो विज्ञप्ति में निकल आई।

श्री प्रतापसिह (जिला नैनीताल)---इस आयोग के विघटन के बाद आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी और मुदालियर कमेटी की सिफारिशों को आप मानने जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---उसी को दृष्टि में रख कर हम निर्णय लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने हिसाब लगाया कि जो कमेटियां सरकार द्वारा बनाई जायेंगी बेसिक एजूकेशन सिस्टम की जांच करने के लिये उसमें खर्चा कम होगा और जो सेकेंडरी एजूकेशन कमेटी भंग की गयी उसमें रुपया ज्यादा खर्च होता ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहले सेकेंडरी शिक्षा के सम्बन्ध में कमेटी बनी थी, फिर बेसिक एजूकेशन के सम्बन्ध में कमेटी बनाने की आवश्यकता हुई थर्ड फाइव ईयर प्लान की वजह से। केन्द्रीय सरकार उस पर ज्यादा जोर दे रही है। उसमें कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन बेसिक शिक्षा को अपनाने के लिये जो आवश्यक होगा उसे हम करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो आयोग विघटित हुआ था उसने कुछ काम किया या बिना काम किये हुये ही भंग कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---काम तो उसका शुरू ही नहीं हुआ था। सिर्फ उसके सेक्रेटरी ने जो थोड़ा बहुत काम दफ्तर में किया होगा वह काम हो गया होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी और मुदालियर कमीशन, इन दोनों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी थीं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी निवेदन किया कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर विभागीय कमेटियों ने देखा और उन्होंने एक रिपोर्ट अलग तैयार की। उसी को तो दृष्टि में रखते हुये यह समझा गया कि अब हमको कमीशन की जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का निर्माण किया गया था उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस में एक मुख्य बात यह थी कि तीन साल के डिग्री कोर्स की जो व्यवस्था भारत सरकार की है—हमारी प्रदेशीय सरकार उस स्कीम से सहमत नहीं थी, वह चाहती थी कि हमारा जो मौजूदा पैटर्न है वह कायम रहे—यह कमीशन इस बात को भी एग्जामिन कर के राय देगा ? यदि हां, तो चूंकि यह स्कीम अगले साल लागू होने वाली है इसलिये उस पर राय देने के लिये क्या सरकार किसी कमेटी का निर्माण करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उस कमेटी में तो बहुत से विषय थे शायद १६ जो कि पूछे गये थे, लेकिन जहां तक तीन साल के डिग्री कोर्स का सवाल है यह विषय सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार चाहती है और अगर आवश्यक हुआ तो कमेटी बनायी जायगी, अन्यथा सरकार निर्णय ले सकती है, मसाला बहुत काफी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्र द्वारा आत्महत्या

*१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) **तथा श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की करेगी कि दिनांक ९ फरवरी, १९६१ के प्रातः मेडिकल कालेज, लखनऊ के होस्टल में कालेज के एक छात्र ने फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आत्म-हत्या करने का क्या कारण था ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—जी हां, दिनांक ९-२-६१ को ऐसी घटना हुई। ऐसा अनुमान है कि मृतक ने तिमाही इम्तहान में कम नम्बर पाने के कारण आत्महत्या की, तहकीकात अभी जारी है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्र किस वर्ष का विद्यार्थी था और उक्त तिमाही इम्तहान कब हुआ था ?

श्री चरणसिंह—वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और तिमाही इम्तहान के नम्बर जिस रोज वह मरा हुआ पाया गया उससे पहले रोज ही उसको मालूम हुये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस छात्र के मरने के बाद कोई उसका पोस्ट मार्टम भी हुआ था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, पोस्ट मार्टम हुआ था और पोस्ट मार्टम में मृत्यु का कारण निम्नलिखित बताया गया है—

"Death due to asphyxia caused by hanging."

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस कमरे में वह छात्र मरा पाया गया उस कमरे में और कोई विद्यार्थी था या पास में कोई नौकर चाकर भी रहते थे ?

श्री चरणसिंह—वह विद्यार्थी अपने कमरे में अकेले ही था और आसपास में तो दूसरे विद्यार्थी और-और लोग रहते ही थे, होस्टल ही था ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यार्थी कोई पत्र भी इस सम्बन्ध में लिख कर रख गया था ?

श्री चरणसिंह—जी हां, दो कागज लिखे हुये पाये गये उसकी हैंडराइटिंग में । एक में यह लिखा था कि "Nobody is to blame for this turn of the events john H. L. Austin" दूसरे में "This turn of the events" इसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—उस लड़के के मरने का असली क्या कारण था क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह—वह तो मैंने अर्ज किया कि तहकीकात चल रही है । अनुमान यह है कि क्योंकि उसके मार्क्स कम आये थे टर्मिनल एग्जामिनेशन में शायद इसलिये उसने आत्महत्या कर ली ।

*२–४—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

[१४ मार्च, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[८ मार्च, १९६१ को प्रश्न १६–१७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

बड़ी गंडक नदी योजना में फरेंदा तहसील को पानी न मिलना

*३—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ी गन्डक नदी योजना जो गोरखपुर एवं देवरिया जिलों की सिंचाई के लिये बनी है उससे फरेन्दा तहसील के कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—फरेन्दा तहसील का कोई भी क्षेत्र पश्चिमी गंडक नहर द्वारा सिंचित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

*४—**श्री मदन पांडेय**—[८ मार्च, १९६१ को प्रश्न १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५–६—**श्री मदन पांडेय**—[हटा दिये गये ।]

सुरहाताल नहर पर व्यय

*७—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरहाताल जिला बलिया से जो नहर सिंचाई के लिये निकाली जा रही है क्या उसका कार्य पूरा हो गया ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*८—**श्री ऊदल**—उस नहर को निकालने में कितना रुपया खर्च हो रहा है और कितने एकड़ की सिंचाई उससे होगी ?

श्री राममूर्ति---सुरहाताल नहर निकालने में ५,९५,८३७ रुपया खर्च हुआ है और इसका प्रस्तावित क्षेत्र रबी में ७,६७१ एकड़ तथा खरीफ में ३,२९७ एकड़ है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस नहर को निकालने के लिये लगभग ६ लाख रुपया खर्च हुआ है, वह पूरी हो गई है और जो प्रस्तावित क्षेत्र है उससे उसकी सिंचाई शुरू हो गई है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---उक्त नहर ३० मार्च, १९६० को पूरी हो गई और ६३ फसली से अब तक सिंचाई हो रही है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्राक्कलन क्या था और बाद को चलकर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री राममूर्ति---इसकी रकम मेरे पास नहीं है। जो रुपया खर्च हुआ उसका जिक्र है जिसको मैंने पढ़कर सुनाया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि जो ५ लाख ९५ हजार रुपया सुरहाताल के लिये लगाया गया है उसमें यह खर्च करना अभी बाकी है कि सुरहा-ताल के रिजर्वायर में जो जमीन इस्तेमाल में आती है और जो जमीन डूबती है उसका एक पैसा हरजाना भी नहीं लिया गया है और जमीन एक्वायर करने की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति---नोटिस की आवश्यकता है।

मानी गांव के निकट नाद नदी में रेगुलेटर लगाने की प्रार्थना

*९---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह मानी गांव, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में नाद नदी में एक बांध बना कर रेगुलेटर लगाने की व्यवस्था करने जा रही है जिससे धान की फसल के लिये पानी दिया जा सके ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस गांव के पास रेगुलेटर लगाने का सवाल है उसके अगल-बगल कई हजार एकड़ जमीन ऐसी है जहां सूखा से धान की फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो इसको देखते हुये वह रेगुलेटर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, यह नदी जौनपुर जिले में होकर वाराणसी में जाती है और गोमती में मिलती है। यह खासी उथली नदी है और बारिश के जमाने में जौनपुर में इससे काफी नुकसान होता है। अगर रेगुलेटर बना दिया जायगा तो जौनपुर में बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जलमग्न होगा और काफी नुक्सान बढ़ जायगा। इसलिये वहां रेगुलेटर बनाना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी ने उस स्थान को देख लिया है जिसका वह जिक्र कर रहे हैं ? यह स्थान जौनपुर से १५ मील दूर है और यह ताल बहुत बड़ा है, इसकी क्या उन्होंने जांच करा ली है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, जो जवाब दिया जाता है वह जांच-पड़ताल के बाद ही दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से जवाब नहीं देता हूं। मुहकमे ने जो जवाब दिया है उसको मैंने पेश किया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि वाराणसी जिले के कोलासल परगने में जो फसल को नुकसान होता है उसको रोकने के लिये सिंचाई विभाग ने कोई योजना प्रस्तुत की है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, जो सवाल पेश है वह यह है कि रेगुलेटर लगाने की जरूरत है या नहीं। मैंने बताया कि जिस जगह की बातचीत है उसके पिछले हिस्से में नदी उथली चली आ रही है जिससे काफी हिस्सा जलमग्न होता है और जौनपुर में इसके लगने से काफी हिस्सा जलमग्न हो जायगा और ज्यादा जमीन बरबाद होगी। इसलिये रेगुलेटर बनाना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि रेगुलेटर से यकायक पानी नहीं रुक जाता, रेगुलेटर से पानी धीरे-धीरे भी छोड़ा जाता है और धीरे-धीरे अगर पानी छोड़ा जायगा तो जौनपुर में भी नुकसान नहीं होगा और वाराणसी में भी नुकसान नहीं होगा ? क्या सरकार कृपा करके पुनः जांच करायेगी ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य इसके बारे में डिटेल में लिख कर भेज देंगे तो मैं इसकी भी इन्क्वायरी करा लूंगा।

महोलिया निवासी रामसेवक के कत्ल की जांच

*१०—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है, कि रामसेवक ब्राह्मण, निवासी ग्राम महोलिया, था० थानगांव (सीतापुर) का कत्ल सन् १९५९ में हुआ था और इस मामले में नामजद रिपोर्ट हुई थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*११—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो यह सत्य है कि उक्त कत्ल से संबंधित एक दरख्वास्त इस आशय की एस० पी० को प्राप्त हुई कि स्थानीय पुलिस जांच ठीक नहीं कर रही है अतः किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जाये और इस पर सर्किल इन्सपेक्टर द्वारा जांच कराई गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। उस दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों की नामजदगी गलत की गई है।

*१२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट किस अधिकारी की आज्ञा से लगाई गई और फाइनल रिपोर्ट लगाने का मुख्य क्या कारण रहा है ?

श्री चरणसिंह—एस० पी० की आज्ञा से फाइनल रिपोर्ट लगाई गई। इसका कारण यह था कि जांच से अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाई गई और जिस पर संदेह था उसके विरुद्ध काफी सबूत नहीं था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि थाना थानगांव के थाना इन्चार्ज ने उच्च अधिकारी का दबाव पाने के बावजूद भी फाइनल रिपोर्ट लगाने से इनकार कर दिया था, तभी उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की विधि अपनाई गई ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, यह मुझको नहीं मालूम है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—एस० पी० महोदय के फाइनल रिपोर्ट लगाने के आर्डर देने के पहले केस डायरी में मुकम्मल तरीके से मुकदमा चलाये जाने के सम्बन्ध में पूरे बयानात और कार्यवाही मौजूद है, क्या माननीय मंत्री जी उसको देखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—अब मैं तो जरूरी नहीं समझता कि उन बयानात को देखूं क्योंकि जिस आदमी ने रिपोर्ट पहले लिखाई वह जो मृतक थे उसका दामाद है, उसने यह लिखाया कि गांव सभा के प्रधान ने मेरे श्वसुर को मरवाया और तीन आदमियों की नामजदगी की। इसके बाद एक और शख्स ने रिपोर्ट लिखायी कि जो पहली रिपोर्ट लिखाने वाला आदमी है मृतक का दामाद वह स्वयं कातिल है। सर्किल इन्सपेक्टर ने तहकीकात की और इस नतीजे पर वह पहुंचे कि दामाद ने जिन लोगों की नामजदगी की थी वह सही व्यक्ति नहीं थे और वह शायद स्वयं गिल्टी था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आदमी गवाही देने के लिये तैयार नहीं है। इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—जब सर्किल इन्सपेक्टर की जांच में दामाद की रिपोर्ट गलत साबित हो गई और फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी तो फिर दफा २११ की कार्य-वाही उसके खिलाफ क्यों नहीं की गई गलत रिपोर्ट लिखाने के सम्बन्ध में ?

श्री चरणसिंह—हां, यह बात विचारणीय है। मैं इस दृष्टि से अधिकारीगण से मालूम करूंगा कि क्यों नहीं उस पर केस चलाया गया ?

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली रपट जो उसके दामाद ने लिखायी और दूसरी रपट जो बाद में उसके विरुद्ध लिखी गई, वह दोनों किन-किन दफाओं में लिखी गईं ?

श्री चरणसिंह—पहली रिपोर्ट ३०२ आई० पी० सी० में लिखायी और दूसरी किस सेक्शन में लिखी गई यह मेरे पास इत्तला नहीं है, लेकिन गालिबन वह भी ३०२ में ही लिखी गई होगी।

*१३—**श्री मदन पांडेय**—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४—**श्री मदन पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव**—[हटा दिया गया।]

पुलिस कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट

*१५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जो पुलिस कमीशन १९६०-६१ में नियुक्त किया था उसकी नियुक्ति किस मास में हुई थी और उसने अभी तक कितने शहरों का दौरा किया तथा अब तक उसकी कितनी बैठकें हुईं व उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह—पुलिस कमीशन की नियुक्ति का आदेश जनवरी, सन् १९६० में हुआ था। अभी तक कमीशन ने १० शहरों का दौरा किया तथा उसकी ९६ बैठकें हुयी हैं और उस पर ८१,८०० रुपया व्यय हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कमीशन अपने दौरे समाप्त कर चुका है या अभी कुछ जिलों का दौरा करना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं कि प्रायः वह अपना दौरा समाप्त कर चुका, लेकिन शायद एकाध जगह और जाना वह मुनासिब समझें।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कमीशन ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या उसको माननीय सदस्यों में प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां। इब्तदाई रिपोर्ट कमीशन ने सब्मिट कर दी है और जहां तक उसकी रेकमेंडेशन को शाया करने की बात है गवर्नमेंट को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट उसको गैरजरूरी समझती है क्योंकि ३१ मार्च तक उनकी फाइनल रिपोर्ट ही आने वाली है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च तक जैसी कि उनको आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट आ जायगी, तो क्या उसके बाद फिर कमीशन का काम खत्म हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—मेरा खयाल है कि फाइनल रिपोर्ट सब्मिट करने के बाद सब कमीशनों का काम खत्म हो जाया करता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस कमीशन ने एक सब-कमेटी बनाई थी पर्वतीय प्रदेश कुमायूं और उत्तराखंड में पुलिस की व्यवस्था जो मुख्तलिफ किस्म की है उसकी जांच करने के लिये और नैनीताल में एविडेंस के लिये एक डेट भी रखी गई थी जो कैंसिल कर दी गई, उस जगह की एविडेंस को रिकार्ड नहीं किया गया ? यदि हां, तो वहां जो विशेष परिस्थिति पुलिस की है उसके बारे में एक लेकुना रह जायगा, इसलिये उस गैप को भरने के लिये क्या फिर से कमीशन को सरकार कहेगी ?

श्री चरणसिंह—कमीशन ने ६ सब-कमेटी मुकर्रर की थी लेकिन उनका स्पेसिफिक आब्जेक्ट क्या था यह मुझे नहीं मालूम है। मुमकिन है जैसा मेरे मित्र कह रहे हैं वही परपज हो कि वहां की विशेष परिस्थिति को देखा जाय। इसके लिये मैं कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं समझता। उनके टर्म्स आफ रिफरेन्स के मुताबिक जो बातें होंगी उसकी वह रिपोर्ट देंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि पुलिस कमीशन ने जो अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है उसमें इस बात की सिफारिश की है कि पुलिस कांस्टेबिल की तनख्वाह ९५ रुपये कर दी जाय ?

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं, मैं अधिकारपूर्ण इस वक्त कोई बात नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसके लिये तैयार होकर नहीं आया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर इस पुलिस कमीशन के जो सदस्य हैं उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो गजट में छप चुके हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई है उसमें वर्तमान पुलिस फोर्स में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं कि इस समय वह रिपोर्ट सम्बन्धी कोई अधिकारपूर्ण बात कहने के लिये तैयार हो कर नहीं आये हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कमीशन ने सरकार को जो दरख्वास्त दी है उसमें चूंकि काम बहुत ज्यादा बाकी रह गया है इस वजह से मार्च में नहीं बल्कि जून तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट वह देंगे ?

श्री चरणसिंह—मैं दरख्वास्त शब्द पर एतराज करता हूं। कमीशन की रिपोर्ट होती है दरख्वास्त नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की कोई इच्छा उनकी तरफ से जाहिर नहीं की गई।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अतिरिक्त आई० जी० की जो उन्होंने नियुक्ति की है इस इकोनामिक मेजर के दौरान में क्या वह पुलिस कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने की है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय गृह मंत्री निकट भविष्य में पुलिस कमीशन की उस अन्तरिम रिपोर्ट को लागू करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है ।

छतौनी निवासी श्री भगौती की हत्या

*१६---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छतौनी, थाना कोठी, जिला बाराबंकी में जुलाई, १९६० में एक कुर्मी के यहां कत्ल व डकैती हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---ग्राम छितौनी, थाना कोठी के निवासी श्री भगौती पुत्र मेंडी लाल कुर्मी की हत्या दिनांक २९/३०-७-६० को लगभग २ बजे रात में हुई । किन्तु डकैती की कोई घटना नहीं हुई । इस घटना के विषय में अभी जांच की जा रही है ।

*१७---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त डकैती में कौन-कौन मुलजिम पकड़े गये ?

श्री चरण सिंह---चूंकि कोई डकैती नहीं हुई है इसलिए डकैती में किसी के पकड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कत्ल के संबंध में (१) रघुपति पुत्र बजरंग, (२) बजरंग पुत्र राम दयाल, (३) जगमोहन, (४) भुलई, (५) जसकरन और (६) जगेश्वर पुत्रगण राम औतार, निवासी ग्राम छतौनी मजरा कोठी पकड़े गए हैं ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या गृह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?

श्री चरणसिंह---सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के द्वारा ।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाम गिनाये गये हैं, तो कत्ल करने वाले व्यक्ति बजरंग ने कुछ ऐसे आदमियों को, जिनके यह नाम हैं, बिना टिकट सफर करने वाले व्यक्ति की हैसियत से २९ तारीख के पहले से ही बंद करवा दिया था ?

श्री चरणसिंह---इन ६ आदमियों में से ५ आदमी बिना टिकट सफर करते हुए चार-बाग रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये थे और उन पर जुर्माना हुआ । इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन यह कि जिस के यहां कत्ल हुआ उसने पहले से ही यह पेशबन्दी कर दी थी यह मुझको नहीं मालूम है । सम्भव है मेरे माननीय मित्र को मालूम हो ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि कत्ल करने वालों में जो गिरफ्तार हुए हैं और जो चारबाग रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट सफर करने में पकड़े गये थे, इन दोनों का समय एक ही है या घंटे दो घंटे इधर उधर है जिस समय कत्ल हुआ उससे ?

श्री चरणसिंह---अब ठीक समय तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास उसकी इत्तला नहीं है कि ठीक किस वक्त वे चारबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलने की कृपा करेंगे कि वाकये के दूसरे या चौथे दिन जब उस गांव में पुलिस पड़ी हुई थी, वहां हमला किया गया और बंदूक की फायरिंग भी हुई जिसमें कुछ लोगों के छर्रे भी लगे ?

श्री चरणसिंह—मुझे नहीं मालूम कि कितने छर्रे छूटे और किस-किस को लगे।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तफतीश हो रही थी इस घटना की उसके दो तीन दिन बाद कत्ल करने वाले व्यक्तियों ने उस गांव पर फिर हमला किया था और उसमें बंदूक भी चलाई गयी थी ?

श्री चरणसिंह—मुझे नहीं मालूम कि वाकये के तीन, चार दिन बाद क्या हुआ। अगर मेरे माननीय मित्र को इस मामले में कुछ ज्यादा दिलचस्पी हो या उनको मालूमात ज्यादा हों तो वह मुझे उसकी इत्तला दे सकते हैं, मैं उसे सुपरिंटेंडेंट पुलिस को भेज दूंगा या वे स्वयं सुपरिंटेंडेंट पुलिस से मिलने की कृपा करें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि २९/३० जुलाई की रात की घटना है और अब मार्च, १९६१ चल रहा है, तो पुलिस इस मामले में कब तक तहकीकात करेगी ?

श्री चरणसिंह—उनका चालान हो चुका है और अदालत से यह लोग बेल पर छूटे हुये हैं। कुछ थम्ब इम्प्रेशन एक्सपर्ट्स के पास भेजे हुये हैं, जब उनकी रिपोर्ट आ जायगी तो आगे कार्यवाही चलेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने में रिपोर्ट किस दफा में की गयी है ?

श्री चरणसिंह—जो जुर्म हुआ था उसकी रिपोर्ट की गयी थी।

(श्री अध्यक्ष ने दूसरे प्रश्न के लिये श्री लक्ष्मणराव कदम का नाम पुकारा)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि किस दफा में रिपोर्ट लिखायी गयी थी, किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं समझ सकते हैं कि कौन-सी दफा है। आप डकैती और कत्ल दोनों की दफायें जानते हैं। आप जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं उस से मालूम होता है कि जो मामला अदालत में है उस संबंध में आप मंत्री जी को क्रास एक्जामिन कर रहे हैं इस तरह से कि जैसे उन्होंने ही जुर्म किया हो। किस दफा में हुआ, क्या लफ्ज हैं रिपोर्ट के, इतनी डिटेल्स किसी भी मिनिस्टर से नहीं पूछी जा सकतीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने कदम जी को बुला लिया है।

झांसी जिले में जामनी बांध का सर्वेक्षण

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन से बांध बनाने की योजना है तथा उनके संबंध में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री राममूर्ति—झांसी जिले में १५९·२८ लाख रुपये की अनुमानित लागत से जामनी बांध बनाये जाने की योजना है। इस योजना से संबंधित सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि यह सर्वेक्षण का काम कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—कब समाप्त हो जायेगा, यह कहना तो कठिन है, किन्तु कोशिश यह की जा रही है कि काम जल्दी से जल्दी समाप्त हो और ज्यों ही वह कार्य समाप्त हो जायेगा, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी।

*१९—श्री रामस्वरूप वर्मा—[हटा दिया गया।]

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई विभाग के इलेक्ट्रिकल ऐण्ड मेकेनिकल सुपरवाइजर

*२१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में इलेक्ट्रिकल ऐन्ड मेकेनिकल सुपरवाइजर के कितने स्थान रिक्त हैं और कब से तथा इन रिक्त स्थानों की आज तक पूर्ति क्यों नहीं की गई?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में ऐसे कोई स्थान रिक्त नहीं हैं।

*२२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई विभाग में इलेक्ट्रिकल ऐन्ड मेकेनिकल सुपरवाइजर्स के पद के लिये लोक-सेवा आयोग द्वारा सन् १९५४ में कोई चुनाव हुआ था? यदि हां, तो उस समय बनी लिस्ट को आज तक क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया और चुनाव के अनुसार उन व्यक्तियों को आज तक स्थायी रूप में क्यों नहीं नियुक्त किया गया?

श्री राममूर्ति—सन् १९५४ में चुनाव केवल अस्थायी पदों के लिये हुआ था। चुने हुये सभी व्यक्ति कार्य पर लगे हुये हैं उनको स्थायी करने के लिये विभाग ने नियमानुसार लोक-सेवा आयोग को संदर्भ किया है।

*२३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ की लोक-सवा आयोग की लिस्ट पर क्या विभाग कोई संशोधन कर रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*२४-२५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२७—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

कफारा ग्राम में सशस्त्र पुलिस की तैनाती

*२८—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले के ग्राम कफारा, थाना धौरहरा में सन् १९६० के वर्ष भर तक पुलिस का आर्म्ड गार्ड बराबर तैनात रहा? यदि हां, तो क्यों तथा किसकी रक्षा के लिये?

श्री चरणसिंह—१९-३-६० से २१-१०-६० तक उक्त ग्राम में सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात रहा।

थाना धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम कफारा और धौरहरा में दो दलों में १० वर्ष से शत्रुता चली आ रही थी जिसके फलस्वरूप १९५८ में एक व्यक्ति पर घातक आक्रमण हुआ और इसके बाद दो व्यक्ति जान से मारे गये। कुछ व्यक्तियों ने अपनी व अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिये प्रधान, पुलिस निरीक्षक, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिये। भविष्य में हत्या, बलवे आदि की रोकथाम के लिये पुलिस निरीक्षक के आदेश से उक्त ग्राम में सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात किया गया।

*२९—श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त आर्म्ड गार्ड जो एक साल तक तैनात रहा वह सरकार की ओर से तैनात रहा या उसका खर्च किसी विशेष व्यक्ति से वसूल किया गया ?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त सशस्त्र पुलिस गार्ड जन-रक्षा के लिये सरकार की ओर से तैनात किया गया और इसका खर्च सरकार ने उठाया।

*३०-३१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में खुलने वाले सरकारी फार्म के सम्बन्ध में शिकायतें

*३२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में सरकारी सीड फार्म्स खोलने की योजना में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके विरुद्ध ग्राम सवंसा पूरे रामजी, मिउरहा तथा केराकत तहसील में ग्राम सरौनी की कोई शिकायतें या प्रार्थना-पत्र किसानों के द्वारा सरकार को १९५९-६० तथा १९६०-६१ में प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लैन्ड इक्वीजिशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत यह जमीन ली जा रही है। कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं जिनसे यह मालूम होता है कि इस भूमि पर बहुत से कृषकों की जीविका निर्भर है। शिकायतें अधिकांश यह हैं कि कुछ बड़े किसानों की भूमि छोड़ दी गई है और छोटे किसानों की भूमि ले ली गई है। सरकार इन प्रार्थना-पत्रों पर जांच करा रही है और उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

*३३-३४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिय स्थगित किये गये।]

*३५-३६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सिंचाई कार्यशाला मण्डल, कानपुर में पाइप का गबन

*३७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर में ६ इंची पाइप के ६ हजार फीट के गबन के बारे में सरकार ने श्री प्रयागनारायण, डेपुटी चीफ इंजीनियर को सन् १९५९ या १९६० ई० में जांच के लिये भेजा था ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ।

श्री राममूर्ति—जी हां। उनकी रिपोर्ट में ४,६५९ फीट ९ इंच पाइप की कमी बताई गई थी। इस रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना क्योंकि श्री प्रयागनारायण ने कटिंग व थ्रेडिंग द्वारा बेकार गई पाइप का सही हिसाब अपनी रिपोर्ट में नहीं लगाया और छानबीन करने पर यह प्रतीत हुआ कि कमी केवल ११७ फीट ११।। इंच पाइप की ही थी। यह विचार करते हुये कि १,१०,००० फीट पाइप इस्तेमाल में लाया गया यह कमी नगण्य (negligible) थी, फिर भी थ्रेडिंग व कटिंग का पूरा पूरा हिसाब न रखने की जिम्मेदारी निश्चित की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्री प्रयागनारायण जी ने जो रिपोर्ट दी थी और जिसमें ४/५ हजार फीट पाइप के गबन के बारे में रिपोर्ट की थी, उसकी किस अधिकारी द्वारा फिर से जांच कराई गयी और थ्रेडिंग ऐण्ड कटिंग के बारे में उसमें हवाला दिया गया था या नहीं ?

श्री राममूर्ति—चीफ इंजीनियर को तत्कालीन मंत्री जी ने छानबीन करने के लिये नियुक्त किया था और उसके बाद उनकी रिपोर्ट सरकार के पास आई। चीफ इंजीनियर ने अपनी कमेंट्री के साथ यह लिख कर भेजा कि थ्रेडिंग एन्ड कटिंग के सिलसिले में जो पाइप खराब था उसका मुजरा नहीं दिया गया है। इसलिये प्रयागनारायण जी की रिपोर्ट मान्य नहीं है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी प्रयागनारायण जी की रिपोर्ट को तथा उस पर चीफ इंजीनियर की जो कमेटी बनी थी और जिसने इस पर विचार किया था उसकी रिपोर्ट, दोनों सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—रिपोर्ट तो मेरे सामने यहां है नहीं। पहले भी यह मसला, करीब दो-तीन साल पहले, यहां पर उठा था और इसके लिये आपने आधा घंटे का समय भी विवाद के लिये दिया था और उस समय सब बातें काफी स्पष्ट रूप से बता दी गयी थीं, व्योरेवार उस समय हुई थीं। माननीय सदस्य मेरे कमरे में आये और मैंने कुछ जानकारी कराई भी थी। इसके बाद भी अगर वे और कोई जानकारी करना चाहते हैं तो वे मेरे कमरे में आ जायें, मैं उन्हें बता दूंगा, वे उसे देख भी सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का कहना है कि प्रयागनारायण जी की रिपोर्ट में थ्रेडिंग एंड कटिंग की बात नहीं थी। हमारा कहना है कि उसमें यह बात है, तो इसका निराकरण कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष—आप पहले उसे उनके कमरे में जाकर देख लें, फिर बात करें।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रयागनारायण जी के रिटायर होने के बाद चीफ इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट दी या उसके पहले ?

श्री राममूर्ति—यह काम उनको जनवरी, सन् १९५९ में दिया गया और इनकी रिपोर्ट अप्रैल, सन् १९५९ में आई।

श्री अध्यक्ष—वे यह जानना चाहते हैं कि चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट उनके रिटायर होने के पहले आई या बाद में ?

श्री राममूर्ति—इस समय इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट पर विचार जब मैंने माननीय अध्यक्ष को खत लिखा और माननीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्री जी को लिखा, इसके बाद हुआ और तब तक प्रयागनारायण जी की रिपोर्ट ही पड़ी रही ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो जब यह सवाल आया, उसके बाद कागजात आये। उसी के सिलसिले में मैंने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामस्वरूप वर्मा से) आप जाइये उनके कमरे में, वहां देख लीजिये, तब बात कीजिये।

जतुकी निवासियों की शिकायतें

*३८—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम जतुकी, थाना जरीफ नगर, तहसील सहसवान, जिला बदायूं के निवासियों ने १९५९–६० में कम्प्लेण्ट आफिसर के यहां लेखपाल, पंचायत मंत्री और इन्स्पेक्टर तथा प्रधान की शिकायत की थी ? उसकी जांच होने के बाद उस पर अब क्या हो रहा है?

श्री चरणसिंह—जी हां, शिकायतें सही पाई गईं। धारा ४१६/४७७ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम होकर तफतीश की गई। काफी सबूत न मिलने के कारण फाइनल रिपोर्ट लगाई गई। अब जिलाधीश ने विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि वह शिकायत क्या थी जो सही पायी गयी?

श्री चरणसिंह—शिकायत यह थी कि लेखपाल ने १० रुपया तकावी की रकम के एक ऐसे आदमी के नाम लिख दिये जो कि मर चुका था।

श्री टीकाराम—लेखपाल की शिकायत की गयी तो जांच किस अफसर से करायी गयी ?

श्री चरणसिंह—चालान तो पुलिस ने किया था। यह मालूम नहीं कि शुरू में तहकीकात रेवेन्यू आफिसर ने भी की थी या नहीं, लेकिन पुलिस ने की।

श्री टीकाराम—कम्पलेण्ट आफिसर के यहां जब यह रिपोर्ट हुई और उसने तहकीकात की तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी और वह क्या थी ?

श्री चरणसिंह—उसने कहा कि मामला सही है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—अब विभागीय कार्यवाही क्या होने वाली है ?

श्री चरणसिंह—अगर उनकी कोई गलती पायी गयी तो अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ की जायगी, जिसमें आदमी बरखास्त भी हो सकता है और जो पहले चालान किया गया था उसमें कैद की सजा पा सकते थे। कैद की सजा जुर्माने के बाद नहीं हो सकती, लेकिन बरखास्त हो सकते हैं, अगर जुर्म सही पाया गया।

*३९-४१—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

औरैया तहसील में बिलावां स्केप तथा बिरुहनी माइनर से सिंचाई

*४४—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या जिला इटावा, तहसील औरैया में बिलावां स्केप और रजबहा निवाड़ी की रेल माइनर बिरुहनी से सन् १३६२ फसली से १३६७ फसली तक मौजा हैदरपुर में सिंचाई हुई ? यदि हां, तो प्रत्येक से अलग-अलग प्रत्येक साल की सिंचाई का रकबा क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। १३६२ फसली से १३६७ फसली तक हुई सिंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

फसली	बिलावां स्केप	बिरुहनी माइनर
१३६२	..	१५० एकड़
१३६३	७५ एकड़	१५७ ,,
१३६४	५३ ,,	१५६ ,,
१३६५	६८ ,,	१४७ ,,
१३६६	४६ ,,	१३२ ,,
१३६७	५६ ,,	१०९ ,,

श्री सुखलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हैदरपुर गांव में सिंचाई का रकबा कितना है ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

*४५---**श्री शिवप्रसाद नागर** (अनुपस्थित)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६-४८---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९---**श्री होरीलाल यादव**---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०---**श्री उग्रसेन**---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१---**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

नलकूप विभाग, शाहजहांपुर के कूप चालक का निलम्बन

*५३---**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार को पता है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, शाहजहांपुर द्वारा सन् १९६० के अन्तिम ६ मास में कई कूप चालक निलम्बित किये गये ?

*५४---क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, शाहजहांपुर के कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा कूप चालकों के निलम्बनादेश दो मास विलम्ब के साथ भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

*५५---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनवरी, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में प्रश्नकर्त्ता द्वारा उक्त व्यवहृत की गयी अवैधानिकता के स्पष्टीकरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नावली के रूप में श्री अभियंता महोदय की सेवा में प्रेषित किया गया है?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरदयालसिंह---माननीय मंत्री जी, आप यह सूचना कब तक एकत्र कर लेंगे ?

श्री राममूर्ति---अब समय का बताना तो एक दम मुश्किल है, लेकिन जल्दी ही होती है काम में ।

श्री नन्दराम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि तीनों ही प्रश्नों की सूचना एकत्र की जा रही है, वह एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे सके ?

श्री राममूर्ति---क्योंकि एक दूसरे से संबंधित हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जब सूचना एकत्र हो जायगी तब सदन के सामने पेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह सूचना तो आयेगी ही, इसमें आश्वासन की जरूरत नहीं है।

*५६-५७---**श्री उग्रसेन**---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली डिवीजन में शारदा नहर से जल वितरण

*५८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फस्ली सन् १३६४, १३६५, १३६६, १३६७ के वर्षों में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, बरेली के अन्तर्गत कितने डिवीजन हैं जिनकी पूरे वर्षों में और १३६७ के ज्येष्ठ महीने (मई, सन् १९६०) तक कितने क्यूबिक फीट पानी प्रत्येक सेकेन्ड दिया गया और यह प्रत्येक वर्ष बार कितना पानी कुल हुआ ?

श्री राममूर्ति—बरेली में तीन सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैं और उनके अन्तर्गत १३ डिवीजन हैं। इन १३ डिवीजनों में से केवल पांच डिवीजनों में ही शारदा नहर से पानी की पूर्ति की जाती है। इन डिवीजनों में प्रयोग में लाई गई पानी की मात्रा सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५०-२५१ पर)

*५९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, बरेली के मातहत जितने भी डिवीजन हैं, उनको १३६४, १३६५, १३६६, १३६७ के फसली वर्षों में कितनी मात्रा में पानी एलाट किया गया था और क्या यह सत्य है कि किसी डिवीजन ने एलाटेड मात्रा से अधिक पानी प्राप्त किया है ?

श्री राममूर्ति—शारदा नहर के पानी का अलाटमेंट, अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, सिंचाई कार्य, बरेली डिवीजनों को साप्ताहिक टेलीग्राफिक आर्डर्स द्वारा देते हैं, जो नदी की सप्लाई तथा सिंचाई के लिये पानी की मांग पर निर्भर रहता है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह टेलीग्राफिक आर्डर्स केवल एक साल तक ही रक्खे जाते हैं अतएव एलाटमेंट की मात्रा से पानी अधिक दिये जाने के विषय में सूचना देना सम्भव नहीं है।

*६०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिस डिवीजन ने एलाटेड मात्रा से अधिक पानी प्राप्त किया वह उसे क्यों और कैसे प्राप्त हुआ ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि टेलीग्रैफिक आर्डर्स के कन्फर्मेशन लेटर्स जो भेजे जाते हैं वह सुरक्षित हैं, उनको भेजकर अधिक पानी दिये जाने के विषय की सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अगर माननीय सदस्य की इत्तला में यह है कि कोई चीज सुरक्षित रखी हुई है तो मैं जरूर उसकी मालूमात कर लूंगा और इत्तला जरूर दे दूंगा।

*६१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[बारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिसई कृषि फार्म का आय-व्यय

*६२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिसई, तहसील हरैया, जिला बस्ती के सरकारी कृषि फार्म में सन् १९५५ से दिसम्बर, सन् १९५९ तक कितना व्यय हुआ तथा कितने की आय हुई ? यह फार्म कितने एकड़ का है और उक्त अवधि में कितना प्रतिवर्ष अन्न इस फार्म में पैदा हुआ ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न तालिका (क) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५२ पर)

*६३--श्री ऊदल--इस फार्म में कितने कर्मचारी लगे हैं और उक्त अवधि में अलग-अलग प्रतिवर्ष कितना रुपया उनकी तनख्वाह तथा भत्ते के रूप में खर्च हुआ है ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना संलग्न तालिका (ख) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५२ पर)

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तालिका उन्होंने दी है उसमें आय बहुत कम हुई है और व्यय ज्यादा है, इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--इसका असल कारण यह है कि वह जमीन जेरे-काश्त नहीं थी जब गवर्नमेंट ने ली थी, ऊसर पड़ी हुई थी इसलिये वह जमीन बहुत अच्छी नहीं है और उसको अच्छा बनाने में बहुत खर्चा हो रहा है। एक दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारे विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही हो। ये दो ही कारण हो सकते हैं।

श्री ऊदल--जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक कारण विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही हो सकती है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि खर्चा कम हो जाय और पैदावार ज्यादा होने लगे ?

श्री चरणसिंह--खेती मुहकमें में जो फार्म्स हैं उनमें कितनी आमदनी और खर्चा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और उसके क्या कारण हैं, इन बातों पर विचार करने के लिये एक कमेटी बैठी हुई है उसके अन्तर्गत यह फार्म भी आ जाता है। इसमें पहले साल जो खर्चा हुआ है वह भी मुझे बहुत अधिक लगा और उसके सम्बन्ध में तहकीकात किये जाने का आदेश दे दिया गया है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी कब बनाई गई थी और कब तक यह अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर देगी ?

श्री चरणसिंह--यह कमेटी शायद दिसम्बर, १९६० से पहले बनाई गई थी, निश्चित तारीख मुझे याद नहीं है। पहले डिप्टी-मिनिस्टर, एग्रीकल्चर इसके चेयरमैन थे, अब कुंवर श्रीपालसिंह इसके चेयरमैन हैं। मुझे उम्मीद है कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की कोशिश करेगी।

चौधरी दाताराम (जिला सहारनपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फार्म कब से चालू है और इसकी जमीन जो खराब है वह कब तक ठीक हो जाने की उम्मीद है ?

श्री चरणसिंह--सन् १९५७-५८ से चालू है। जमीन निरन्तर अच्छी होती रहेगी, इसकी कोई मियाद नहीं है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म को चलाने का उद्देश्य क्या है ? क्या यह सीड फार्म है या एक्सपेरीमेंट फार्म है ?

श्री चरणसिंह--मुख्यतः सीड फार्म है।

श्री ऊदल--यह कमेटी पूरे प्रदेश के फार्मों की जांच करेगी या चन्द जिलों में ही करेगी और क्या झांसी के फार्म की भी जांच करेगी जिसमें हर साल लाखों रुपये का घाटा हो रहा है ?

श्री चरणसिंह---यह कैटिल-कम-मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स की तहकीकात नहीं करेगी। झांसी का वैसा ही फार्म है। बाकी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के मातहत जितने फार्म हैं, सबकी करेगी। सबका मतलब यह नहीं है कि हर फार्म पर जावेगी लेकिन उसकी सिफारिशें सबके लिये होंगी।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री सदन की जानकारी के लिये बताने की कृपा करेंगे कि जबसे यह फार्म चला है तब से इसमें कितना घाटा होता रहा है?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने रिपोर्ट दे दी है।

हाई स्कूल का जाली सर्टिफिकेट जारी करने में फतेहगढ़ में गिरफ्तारी

*६४---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में हाई स्कूल के जाली सार्टिफिकेट जारी करने के अभियोग में हाल ही में कई गिरफ्तारियां हुई हैं?

श्री चरणसिंह---फतेहगढ़ में हाई स्कूल के जाली सर्टिफिकेट के सिलसिले में केवल एक गिरफ्तारी हुई है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यक्ति किस दफा में गिरफ्तार किया गया, वह कौन है तथा उसके खिलाफ क्या आरोप हैं?

श्री अध्यक्ष---सवाल में आपने खुद कहा है "जाली सर्टीफीकेट जारी करने के अभियोग में", और अब आप अभियोग पूछते हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या यह सत्य है कि इस केस की जांच के सिलसिले में जाली सर्टीफिकेट जारी करने के प्रान्तव्यापी षडयन्त्र की भी सूचना मिली है?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

श्री मदन पांडेय---क्या जांच में कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जिनके आधार पर मंत्री जी यह अनुमान लगातें कि यह प्रान्त-व्यापी षडयंत्र हैं?

श्री चरणसिंह---मेरे पास इत्तला से प्रान्त-व्यापी नहीं मालूम होता।

श्री चन्द्रजीत यादव---कितने जाली सर्टीफिकेट जारी करने की खबर सरकार को मिली है और उन्हें रद्द करने के लिये उसने क्या कदम उठाये हैं?

श्री चरणसिंह---और जाली सर्टीफिकेट देने का मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर ऐसा शुबहा माननीय मित्र को है तो मैं तहकीकात करा लूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वह कब हुआ?

श्री चरणसिंह---मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न ही में लिखा है कि हाल ही में।

श्री देवनारायण भारतीय---वह व्यक्ति किसी हाई स्कूल का अध्यापक या कर्मचारी है अथवा स्वतंत्र व्यक्ति है? अगर हाई स्कूल का है तो उस स्कूल का नाम क्या है?

श्री चरणसिंह---मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि वह किसी स्कूल का कर्मचारी है।

श्री मदन पांडेय---गिरफ्तार व्यक्ति कहां का है और उसका पता क्या है?

श्री चरणसिंह---उसका नाम ओम प्रकाश है और हाई स्कूल का जाली सर्टीफिकेट एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराने के लिये उसने लिया और कहा यह जाता है कि शाहजहांपुर के कोई रणबीर सिंह साहेब हैं, उनके जरिये हासिल किया । त हकीकात चल रही है ।

अजीतमल थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*६५---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना अजीतमल, जिला इटावा के अन्तर्गत १ जनवरी, १६६० से २५ नवम्बर, १६६० तक कितनी चोरियां, नकबजनी, राहजनी, फौजदारियां और सशस्त्र डकैतियां हुई हैं ?

श्री चरणसिंह---उक्त अवधि में थाना अजीतमल के अन्तर्गत २१ चोरियां, ८ नकबजनी, ६ सशस्त्र डकैतियों और ३ फौजदारी (बल्वे) की घटनायें हुईं ।

*६६---**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अपराधों से सम्बन्धित अब तक कुल कितने व्यक्ति भिन्न-भिन्न अपराधों में गिरफ्तार किये गये हैं और कितने व्यक्ति गिरफ्तार करना शेष हैं ?

श्री चरणसिंह---वांछित सूचना निम्न प्रकार है:

अपराध	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार करने को शेष व्यक्तियों की संख्या
१---चोरी	४८	१
२---नकबजनी	१२	---
३---राहजनी	---	---
४---फौजदारी (बल्वे)	४२	---
५---सशस्त्र डकैतियां	२२	३६

सहारनपुर में रामलीला जुलूस पर पथराव तथा लाठी चार्ज

*६७---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सितम्बर, १६६० में, सहारनपुर नगर में जब रामलीला का जुलूस निकल रहा था तो उस पर पत्थर फेंके गये ? अगर हां, तो पत्थर किसने फेंके व पत्थर फेंकने के अपराध में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री चरणसिंह---जुलूस पर एक मिट्टी का ढेला फेंका गया । यह पता नहीं चला कि ढेला किसने फेंका था, अतः ढेला फेंकने के संबंध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ ।

*६८---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि अन्य वर्षों में जुलूस के वक्त खतरे के स्थानों के घर, मंदिर व मस्जिदों की छतों पर पुलिस पहरा देती रही है ? क्या उपर्युक्त रामलीला जुलूस के समय ऐसा प्रबन्ध था ?

श्री चरणसिंह---जी हां । इस प्रकार का प्रबन्ध था ।

*६६---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---क्या यह सही है कि उस जुलूस के संचालकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ और दूसरे दिन जिस व्यक्ति के चोट लगी निकली उसे गिरफ्तार किया गया ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । पुलिस ने लाठी चार्ज उपद्रव करने वालों पर किया था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ढेला किस स्थान से फेंका गया ? क्या यह सही है कि वहां बहुत से लोग जमा थे ?

श्री चरणसिंह—कहा यह जाता है कि मस्जिद की ओर से फेंका गया; लेकिन मस्जिद में फौरन पुलिस अफसर गये और वहां कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुई कि वहां से किसी ने ढेला फेंका हो ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जुलूस तब तक बहुत शान्तिपूर्वक चल रहा था, उसे भी रोका गया, उसके लोग पकड़े गये लेकिन जहां से ढेला आया बताया गया वहां के लोग नहीं पकड़े गये ?

श्री चरणसिंह—जब ढेला आया तो जुलूस ने कहा कि जिस आदमी ने यह ढेला फेंका है उसे हमारे सुपुर्द किया जाय । पुलिस अफसरों ने और मैजिस्ट्रेटों ने जो मौके पर मौजूद थे, जुलूस को शान्त करने की कोशिश की । कोतवाल या कोई दूसरा पुलिस अफसर मस्जिद में गया लेकिन वहां कोई आदमी नहीं पाया गया, कम से कम ऐसा सबूत नहीं मालूम हुआ कि उधर से ढेला आया । जुलूस को समझाया गया कि वह आगे को बढ़े और पूरी तहकीकात की जायगी और दोषी को सजा दी जायगी । लेकिन जुलूस ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया और मतालबा करता रहा कि वह आदमी उनको दिया जाय । जुलूस ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की । जब उन्हें पुलिस अफसरों और मैजिस्ट्रेटों ने रोका तो उन पर ढेले फेंकने शुरू किये । जब २ मैजिस्ट्रेट और २६ पुलिस अफसर घायल हो गये और इस सदन के एक माननीय सदस्य डाक्टर जयगोपाल, जो वहां मौजूद थे, वह भी खूब पिटे क्योंकि वह शायद समझाने में शरीक थे, और मौलाना मंजूरुलनबी, जो मौके पर मौजूद थे उनको भी चोट आई, उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट— यह इन्क्वायरी किसने की और क्या मंत्री जी यह जानकर कि इन्क्वायरी गलत की गई है, फिर किसी ऊंचे अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—तहकीकात सम्बन्धित अधिकारियों ने की और गवर्नमेंट मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं समझती ।

श्री उग्रसेन—पहला ढेला किस उद्देश्य से फेंका गया, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—मैं ठीक तो सवाल को समझा नहीं लेकिन खयाल यह है कि ढेला फेंकने का इन्तजाम पहले से किया गया था ।

श्री मदन पांडेय—मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि पहले ही से पुलिस का प्रबन्ध इसलिये किया गया था कि अशान्ति का और तनाव का वातावरण था, तो पहले ही से दोनों और के या सन्दिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या प्रिकाशनरी मैजर्स लिये गये ?

श्री चरणसिंह—पुलिस का प्रबन्ध तो हस्ब मामूल था । कोई तनाव या झगड़े का अन्देशा या वातावरण विशेष नहीं था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जुलूस ने जब यह मांग की कि ढेला फेंकने वाले को हमारे ही सुपुर्द किया जाय तो क्या उन्होंने किसी ढेला फेंकने वाले आदमी को इंगित किया था ?

श्री चरणसिंह---यह कहा गया था कि मस्जिद की तरफ से ढेला आया, मस्जिद के अन्दर कोई आदमी होगा उसको हमारे सुपुर्द किया जाय ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जो पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ और जुलूस के लोगों ने जो शान्ति भंग की और अव्यवस्था उत्पन्न की, क्या उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने कोई कार्यवाही की? इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---१९-२० व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है । उन पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---पुलिस अधिकारी मस्जिद में गये और उनको वहां कोई नहीं मिला तो क्या सरकार ने इस बात को भी जानने का प्रयास किया कि ढेला किस तरफ से आया था ?

श्री चरणसिंह---ढेले के बारे में यह कहा जाता है कि वह मस्जिद की ओर से आया और मैंने भी इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया । अब वह मस्जिद की ओर से आया तो यह जरूरी नहीं है कि वह मस्जिद में से ही आये ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसी जुलूस का यह मांग करना कि ढेला फेंकने वाले को हमारे सुपुर्द किया जाय, कहां तक सही था ?

श्री अध्यक्ष---यह तो राय का सवाल है । सही नहीं था तभी तो लाठी चार्ज किया गया ।

हीरामन का पुरवा में तलाशी के विरुद्ध शिकायतें

*७०---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ जुलाई, १९६० को दिन के ११ बजे हाता नं० ९१/१४६ हीरामन पुरवा (कानपुर) तथा कुछ अन्य स्थानों में छापा मारकर अनवरगंज (कानपुर) की पुलिस तथा कुछ आबकारी इंसपेक्टरों ने तलाशियां लीं और घरों में घुसे थे ?

श्री चरणसिंह---जी हां । नं० ९१/१४७ हीरामन का पुरवा में तलाशी ली गई ।

*७१---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत आई है कि आबकारी तथा पुलिस कर्मचारियों ने उस दिन उन स्थानों पर अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाहियां की हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां । इस विषय में एक दरख्वास्त प्राप्त हुई है ।

*७२---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---यदि इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, तो उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह---इस दरख्वास्त की जांच सर्किल आफिसर को सौंपी गई । किन्तु सम्बन्धित घटना के बारे में मुकदमा अदालत में विचाराधीन होने के कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी ।

लखनऊ में स्टेनो-टाइपिस्ट, पुष्पलता की आत्महत्या

*७३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि लखनऊ की पुष्पलत नामक स्टेनो-टाइपिस्ट ने अभी हाल ही में विष पान करके आत्महत्या कर ली है और मरने के पहले वह एक पत्र लिख कर छोड़ गई है ? क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी कि जो उक्त पत्र में दिये गये हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह---घटना आत्महत्या की प्रतीत होती है। विसरा जांच के लिये भेजा गया है। नतीजा आने पर ही पता लगेगा कि मृत्यु विषपान से हुई या किसी अन्य कारण से।

मृतक के बिस्तरे पर दो पत्र मिले एक में केवल यह लिखा है---

"मेरी मृत्यु का कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं हूं। किसी पर शक अथवा दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है।" दूसरे पत्र में जो कि उसकी मां के नाम था निम्नलिखित बातें लिखी हैं---

"मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। मेरा जीवन विषाक्त होता जा रहा है, ये विषमयी-भावनायें मुझे गिरा न दें। इस भय से एवं तुम लोगों को लांछित न होना पड़े मैं अपने जीवन का अन्त किये दे रही हूं।"

अट्टा निवासी खचड़ू की पुलिस की गोली से हत्या

*७४---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि खचड़ू, पुत्र सुनहरी, निवासी ग्राम अट्टा, थाना बिसरख, जिला बुलन्दशहर की मृत्यु २७ दिसम्बर, १९६० को देहली राज्य की पुलिस की गोली द्वारा हुई? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री चरणसिंह---जी हां। इस मामले की जांच प्रारम्भ की गई और इस संबंध में बुलन्दशहर के उप-अधीक्षक पुलिस तथा दिल्ली के उप-अधीक्षक पुलिस में बात चीत हुई किन्तु इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि घटनास्थल किस राज्य के सीमाक्षेत्र में है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के जिलाधीश को यह सुझाव दिया गया कि इस मामले की संयुक्त जांच दिल्ली और बुलन्दशहर के दो मजिस्ट्रेट मिलकर करें। किन्तु जिलाधीश दिल्ली ने यह उत्तर दिया है कि पहिले दिल्ली और बुलन्दशहर के पुलिस अधीक्षकों में इस विषय पर बात चीत हो। इस संबंध में आगे कार्यवाही की जा रही है।

मथनियां निवासी छांगुर हरिजन का आवेदन-पत्र

*७५---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थानेदार महराजगंज, जिला गोरखपुर के खिलाफ कोई शिकायत स्थानीय अधिकारियों अथवा गृह मंत्री को श्री झींगुर हरिजन द्वारा सन् १९६० में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह---सन् १९६० में थानेदार महराजगंज के विरुद्ध कोई शिकायत झींगुर हरिजन से जिला अधिकारियों अथवा गृह मंत्री को नहीं प्राप्त हुई।

गोरखपुर जिले के ग्राम मथनियां निवासी श्री छांगुर हरिजन का एक पत्र थानेदार कोठीभार के विरुद्ध २० जनवरी, १९६१ को पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसकी एक प्रति गृह मंत्री को भी प्राप्त हुई थी। प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक, परिवाद ने की, किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो पाये।

तराई भावर, खाम इस्टेट्स में बीजगोदामों के कर्मचारियों का वेतन

*७६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि तराई भावर खाम-इस्टेट्स के अन्तर्गत चल रहे बीज गोदामों को कृषि विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों को कृषि विभाग में प्रचलित वेतन-क्रम नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह---३३ कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये थे, १---सीड स्टोर इन्सपेक्टर, ९ सुपरवाइजर, ४ सहायक सीड सुपरवाइजर और १९ कामदार। सीड स्टोर इंसपेक्टर पहिले से ही कृषि विभाग का प्रचलित वेतन-क्रम (१२०---६---२१०---१०---२५०) पा रहे थे। अन्य कर्मचारियों को प्रचलित वेतन-क्रम देने का प्रश्न विचाराधीन है।

हरी खाद के बीज वर्द्धन के लिए राज्य सहायता

*७७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---दिनांक २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई-कर में से सहायता की रकम को काट कर जिन किसानों से कर वसूल किया गया है उनकी संख्या कितनी है और ऐसे कर की कुल कितनी धनराशि है तथा कितनी धनराशि सहायता की है और वे नलकूप कहां-कहां लगे हैं जिनसे संबंधित किसानों को यह रियायत प्राप्त हुई है ?

श्री राममूर्ति---सूचना अभी एकत्रित नहीं हो पाई है।

झांसी में पकड़ी गयी डकैती

*७८---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ दिसम्बर, १९६० को झांसी जिले में सदर और न्यू झांसी थाना की सहायता से जो डकैती का केस पकड़ा गया है, उसमें कितनी मिलिट्री तथा पुलिस के आदमी सम्मिलित हैं ? क्या सरकार उक्त मामले का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---इस डकैती के सिलसिले में ३-९-६० को एक व्यक्ति पकड़ा गया उसने अन्य व्यक्तियों के अलावा एक पुलिस कांस्टेबिल तथा तीन मिलिटरी के सिपाहियों के नाम डकैती डालने वालों में बताये। कांस्टेबिल व एक मिलिटरी का सिपाही शनाख्त नहीं हुये। दो मिलिटरी के सिपाही सिक्ख थे। जांच में किसी सिक्ख का डकैती में शामिल होना नहीं पाया गया। इसलिये इनमें से किसी का भी चालान नहीं किया गया। डकैती का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५३ पर)

अतारांकित प्रश्न

१---**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)---[४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायक निवासों के कक्षों का आवंटन

२---**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायकों को आवासकक्ष आवंटित करने का क्या आधार है ?

श्री राममूर्ति---विधायक निवासों के कक्षों का आवंटन 'उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के सदस्यों के निवास सम्बन्धी नियम, १९५७ के नियम ५ (१)' के अन्तर्गत किया जाता है।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष---अब सचिव एक सूचना देंगे। कार्यक्रम में वह इस लिये नहीं है कि विधान परिषद् से अभी उसकी सूचना आई है।

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि कोर्ट फीस-(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ जो विधान सभा द्वारा २७ फरवरी, १९६१ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, से बिना किसी सिफारिश के आज १४ मार्च, १९६१ को वापस प्राप्त हो गया है।

प्रश्नों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है, "ऐसे प्रश्न सचिव द्वारा शासन को साधारणतया ५ दिन के भीतर भेज दिये जायेंगे"। श्रीमन्, हमारे पास जो प्रश्न अस्वीकृत होकर गया है, वह ७-२-६१ को मैंने भेजा और १-३-६१ को हमको भेजा गया है अस्वीकार करके। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—मुझे इसको देखना पड़ेगा। यह आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी का एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है कि कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह जिक्र किया था कि उनके पास कुछ मुसलमान भाइयों ने तथा कुछ अन्य लोगों ने भी ५ दिन की छुट्टी के बारे में अपने सुझाव दिये थे। जब उनसे नामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के भी एक सज्जन थे और श्री तातारी का नाम उन्होंने लिया। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि कल मुझ से यह भूल हो गई कि श्री सम्भली जी के नाम के बजाय श्री तातारी जी का नाम मैंने उस विषय में लिया, जिस विषय की चर्चा मैं उस सम्बन्ध में कर रहा था। कौन्सिल में जो कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं वे मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मुसलमान सदस्य भी यह चाहते हैं कि पांच दिन की छुट्टी की जाय, वे एक लिखा हुआ खत भी लाये उस समय मैंने उनसे यह कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन है क्योंकि विधान सभा के सदस्य भी ऐसी ही मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने उस समय चूंकि सारे मुसलमानों की चर्चा थी, सब मैंने देखा नहीं था, तथा चूंकि सम्भली जी मिलने भी आये थे, तातारी जी का नाम मैंने यह जानकर लिया कि सब मुसलमान यह चाहते हैं, यह भूल हो गई जिस का मुझे दुख है।

श्री अध्यक्ष—इसलिये यह स्पष्ट हो गया कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो उन्होंने कल कहा था कि उनके भी सदस्य यह चाहते हैं, यह बात गलत साबित हो गई और वह गलती माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मानी है और उसके लिये अफसोस भी जाहिर किया, तो यह प्रश्न उठता नहीं है, कि उन्होंने जानबूझ कर यह किया था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको पूरा पढ़ कर सुना देते।

श्री अध्यक्ष—जब उन्होंने रीग्रेट एक्सप्रेस कर दिया तो फिर कोई बात नहीं उठाई जा सकती।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खेद प्रकट किया तातारी साहब के नाम वाले प्रसंग पर लेकिन और सब प्रसंगों को देखा जाय तो उससे यह मालूम होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग चाहते हैं। आपके कार्यालय से हमें जो प्रति मिली है उसको अगर देखा जाय तो १७, रमजान का अन्तिम शुक्रवार, १८ शनिवार और १६ रविवार, तीन दिन छुट्टी थी; तो विशेष बात यह है कि १७ को मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार का दिन है यानी रमजान का आखरी जुमा है.....

श्री अध्यक्ष---ईद से बड़ा नहीं है।

श्री राजनारायण---अब यह तो मैं नहीं जानता स्वतः लेकिन इतना मालूम है कि जो आखिरी जुमा होता है रमजान का वह सबसे महत्वपूर्ण होता है।

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, असल बात यह है कि बजट की प्रति समय पर छप कर आ नहीं रही थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी उसको टालना चाहते थे इसलिये उन्होंने शुक्रवार को बजट पेश करने की बात करके दो दिन की छुट्टी आगे बढ़ा दी। मेरा तो मुख्य मन्त्री के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने जान-बूझ कर सत्य को छिपाने की कोशिश की।

श्री अध्यक्ष---यह बिलकुल गलत आपका आक्षेप है। अगर इस तरह से आप चार्ज करेंगे तो सब बदनियत हो जायेंगे। जब एक माननीय सदस्य ने खेद प्रकट कर दिया तो उसके बाद भी आप उसके हृदय में बैठकर परमात्मा का रूप धारण कर लेते हैं, यह गलत है। वे कहते हैं कि जान-बूझ कर मैंने नहीं कहा और उसके लिये खेद भी प्रकट कर दिया, फिर भी आप उनकी नियत पर हमला करते जाते हैं। मैं इसको अच्छा नहीं समझता क्योंकि यह कोई पार्लियामेंटरी पद्धति नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप क्यों आवेश में आ रहे हैं, अगर आप इतने आवेश में आ जायेंगे तो हमारा काम फिर कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष---आवेश में तो आप आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी की नियत पर हमला करना अच्छी बात नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं तो यह कह रहा था कि बजट की प्रति तैयार नहीं थी इसलिये उन्होंने यह किया।

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने कल ही कुबूल किया था और कहा था कि बजट की प्रति समय पर तैयार नहीं मिल सकेगी इसलिये ११ बजे के बजाय ३ बजे का समय बजट पेश करने का रख दिया जाय।

श्री राजनारायण---तो शुक्रवार की छुट्टी क्यों कैन्सिल की जा रही है? मेरा सुझाव है कि रमजान का यह आखिरी शुक्रवार है, इसलिये उस दिन छुट्टी रहे।

श्री अध्यक्ष---आप पहले लिख कर उन्हें दें तो उसका जवाब वे दे देंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे मुसलमानों के लिये ये शुक्रवार की छुट्टी को कबूल करें।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, कृपा करके आप बैठें।

श्री राजनारायण---मैं इतना और पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

नेशनल हेरल्ड के विरुद्ध भाषण की गलत रिपोर्ट छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने भी एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजा है। मैं इसको कल लूंगा क्योंकि मेरे पास दोनों ही विशेषाधिकार के प्रश्न लिखित नहीं पेश हुये थे परन्तु चूंकि राजनारायण जी ने जबानी बातचीत की थी इसलिये मैंने उनके प्रश्न पर निर्णय दे दिया। तो वह तो समाप्त हो गया। गोविन्दसिंह विष्ट ने प्रेस की गलत रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया है उसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इस लिये उसके बारे में आप (श्री गोविन्दसिंह विष्ट) से कल जिक्र कर देंगे।

गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर (गोरखपुर) तथा बलरामपुर शुगर कम्पनी (गोंडा) द्वारा गन्ने की खरीद बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार श्री उग्रसेन जी का ध्यान आकृष्ट कराने वाला प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है जो इस प्रकार है—

"बढ़नी, परसा, शोहरतगढ़, चिल्हिया, नवगढ़ तथा ऊसका, जिला बस्ती के गन्ना क्रय केन्द्रों से दिनांक ११ मार्च, ६१ से गणेश शुगर मिल आनन्द नगर (गोरखपुर) तथा बलरामपुर शुगर कम्पनी (गोंडा) ने गन्ने की खरीद बन्द कर दी है। गन्ना समितियों ने इस वर्ष के लिये केवल १५ लाख मन गन्ने का सट्टा उक्त मिलों से किया था। अब तक चार माह के सीजन में केवल चार लाख मन गन्ना उठाया गया है। इसी समय जब उक्त समितियों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है, मिल मालिक नेपाल का इस प्रकार का गन्ना खरीद रहे हैं। इस क्षेत्र में १,२०० गांवों के बीस हजार गन्ना किसान प्रभावित हैं उनका ११ लाख मन गन्ना सूख रहा है और उनकी १८ लाख रुपये की क्षति हो रही है। गन्ना उत्पादन संघ ने आज से अनशन करने की नोटिस दी है इससे वहां पर एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

इस लोक महत्व के विषय पर माननीय मुख्य मन्त्री जी बतादें कि वह किस रोज अपना वक्तव्य देना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेरा खयाल है कि जब असेम्बली ईद के बाद बैठेगी तभी जवाब में दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि १६ को ही अगर दे सकें तो अच्छा हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं कोशिश करूंगा सूचना उपलब्ध करने की।

श्री अध्यक्ष—जितनी भी सूचना मिल जाय तबतक उतनी ही आप दे दें, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—केन कमिश्नर आफिस में रिपोर्ट आई है श्रीमन्..

नियम ५२ के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्यों का स्थगन

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, दफा ५२ में एक वक्तव्य नैनीताल तराई के इलाके में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसके विषय में देने को आज के लिये कहा गया था.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उसमें कुछ दिक्कत बताई थी और मैंने उसकी तारीख अलग रख दी है, २७ तारीख मैंने रख दी है, वन मन्त्री जी की बात मैंने स्वीकार कर ली है।

श्री प्रतापसिंह—मैंने तो श्रीमन्, यह दफा ५२ में इसलिये दिया था कि बहुत से केसेज आज कोर्ट में हैं और उनसे रेवेन्यू विभाग का सम्बन्ध है, अगर ऐसा होता रहा तो किसान मारे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—कोर्ट में एक दिन तारीख टल जाय, तो २० दिन बाद मुकदमा लिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह—इस बीच में न होगा तो बहुत से लोग और गिरफ्तार होंगे और जेल भेजे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये आप बात कर लें तब तक ऐसी चीज न हो।

ऐसा ही एक प्रश्न गौरीशंकर राय जी का था, मैंने उसे २३ के लिये रख दिया है।

भूमि संरक्षण मंडल के लिये ३ व्यक्तियों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ की धारा ३(२)(ग) के अनुसार 'भूमि संरक्षण मन्डल' के लिये ३ व्यक्ति निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ की धारा ३(२) (ग) के के अनुसार 'भूमि संरक्षण मंडल' के लिये ३ व्यक्ति निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब आबकारी मंत्री के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, पर विचार किया जायगा। श्री राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सरकार की ओर से प्रस्तुत है वह निश्चित रूप से ही करभार बढ़ाने वाला है। कल इसी सदन में जब आप उपस्थित नहीं थे उस समय मैंने अपनी बहुत सी आपत्तियों पर प्रकाश डाल दिया था। मेरे बोलने के पूर्व एक कांग्रेसी वक्ता बोल रहे थे जिनका नाम श्री हरीसिंह जी है। हरी सिंह जी, जो हमारे पुराने परिचित हैं, संभवतः मेरठ जिले से हैं। उनको सबसे बड़ी आपत्ति थी

---

*२४ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

†१३ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।

हम लोगों के भाषणों के उस अंश पर कि हम लोग बराबर किसानों और मजदूरों का नाम लेकर सरकार पर दोषारोपण करते रहते हैं कि गरीबों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उनको इस बात पर भी आपत्ति है कि हम लोग ही एकमात्र किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं इस बात को सहर्ष मान सकता हूं और हम चाहते नहीं हैं कि मजदूरों और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि हम ही रहें, यानी सोशलिस्ट पार्टी ही रहे। मगर वस्तुस्थिति आज यही है कि हमारी इच्छा न रहते हुये भी सोशलिस्ट पार्टी एकमात्र प्रतिनिधि हैं किसान मजदूर गरीब जनता की। अब इसको क्या किया जाय। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से आज हम गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस प्रकार से आज सोशलिस्ट पार्टी शोषित पीड़ित मानवता को उठाना चाहती है उसी प्रकार से हरीसिंह जी भी उठावें, अन्य दूसरे इस सदन के सम्मानित सदस्य उठावें।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे वस्तुतः किसान मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने लगेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम तो करते ही हैं और हमारा दल भी व्यापक होगा। मैं आपके द्वारा सफाई दे देना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति अगर सही माने में शोषित पीड़ित मानवता के उत्थान की योजना बनाता है और उसे अग्रसर करता है तो सोशलिस्ट पार्टी उसका स्वागत करेगी और सहर्ष उनका साथ देगी और उनको सहयोग देगी मगर कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिये। लेकिन अगर केवल कथनी कथनी रह जायगी, बढ़ाया जायगा करोड़पति का कैलाश और खुदेगी कंगालों की खाई या दूसरे शब्दों में कहूं कि कंगालों की कीचड़ पर करोड़पतियों का कमल खिलाने की योजना बनेगी तो सोशलिस्ट पार्टी उसका निश्चित रूप से विरोध करेगी, करती रही है, कर रही है और करती रहेगी।

मैं यह विश्वास के साथ भी कहना चाहता हूं कि इस विरोध में जो भी उसके मार्ग में आवेगा चाहे वह कोई भी हो सोशलिस्ट पार्टी सब का सामना दृढ़ता के साथ करेगी। सोशलिस्ट पार्टी केवल नाम से नहीं आंकती कि कांग्रेस पार्टी क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, जनसंघ क्या है, स्वतंत्र क्या है। हम तो उनके कार्यक्रम को देखते हैं और मुझे अफसोस है कि आज ९–१० साल तक इस सदन में मैं केवल एक बात पर जोर दे रहा हूं मगर हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुझे पता नहीं है कि मैं अपनी बात को ठीक से क्यों नहीं समझा पाता।

श्री अध्यक्ष—आप तो स्वयं मार्गविहीन हो जाते हैं। इस विधेयक से संबंधित बात पर आ जाइये।

श्री राजनारायण—हम किसी की नीयत पर नहीं जाना चाहते। इंटेंशन पर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे पास वह पारदर्शी शीशा नहीं है कि हम किसी के इंटेंशन में घुसकर देख सकें। हम तो गरीबों को देखते हैं कि उसका व्यावहारिक असर क्या होता है।

मैं तो हरीसिंह जी को बताना चाहता हूं कि डीजेल इंजिन जो है क्या उसके द्वारा आटे की चक्की नहीं चलती। और अगर आटे की चक्की चलती है तो ७ नये पैसे प्रति लीटर उस पर टैक्स लगेगा। साढ़े ४ लीटर का गैलन होता है तो करीब ३२ नये पैसे अर्थात् करीब ६ आने। अब ६ आने प्रति गैलन जो करभार बढ़ जायगा तो उससे आटे पर महंगाई आयेगी या नहीं?

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी किसान और मजदूर की, जिसके पास पिसाई भी नहीं है, कहीं कोई चक्की लगी हुई है? सिवाय सरमायेदारों को छोड़कर?

श्री राजनारायण—हम तो इसीलिये बैठ जाते हैं ताकि सफाई हो जाय। बहुत अच्छा सवाल किया है हरीसिंह जी ने। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आटे की चक्की हो सकती है कुछ पैसे वाले लगायें मगर जो आटा पीसा जायगा उसको तो गरीब किसान और मजदूर खायेगा या अगर पिसाने लायेगा तो पिसाई ज्यादा देगा कि नहीं? अभी तक श्रीमन्, कांग्रेस सरकार के पक्ष में जितने सदस्य हैं उन्होंने विज्ञान की तरक्की शायद इतनी नहीं कर दी है कि राख की रोटी गरीब लोग खा लेते, खायेंगे तो आटे की ही रोटी। तो जो चक्की के मालिक पर टैक्स बढ़ेगा डीजल इंजिन का इस्तेमाल करने के कारण उसको वह पिसाई पर बढ़ा देगा और आटा भी महंगा होगा। और गरीब किसान मजदूर को ज्यादा दाम देने पड़ेंगे।

इस प्रकार बसों को देखा जाय, करीब-करीब सभी बसें आजकल डीजल से चल रही हैं। तो जब ६ आना प्रति गैलन के करीब टैक्स बढ़ जायगा तो बस का किराया भी बढ़ेगा। क्या आज गरीब किसान मजदूर बसों पर नहीं चलते हैं? हरीसिंह जी सहमत होंगे कि उसके पास अपनी मोटर नहीं है, गरीब किसान ज्यादातर अपनी दूर की यात्रा बस पर ही करता है। गरीबी ही के कारण दिल से बुरा मानते हुये भी कुछ अनुचित कार्य हमको भी करने पड़ जाते हैं जैसे रिक्शा पर बैठना। पर क्या करें। क्या आज गरीब आदमी रिक्शा खींचकर अपना जीविकोपार्जन नहीं करता है?

देश और विदेश की चर्चा की जाती है कि वहां पर भी डीजल पर टैक्स है तो वह चर्चा अनावश्यक है। हम तो चाहते हैं कि हम अपने देश की वस्तुस्थिति को देखें, साधनों का अंकन करें और उसी के तदनुरूप कोई योजना बनायें जिसमें निश्चित रूप में गरीबों की स्थिति सामने आये। माननीय हरीसिंह जी अगर अमेरिका जायेंगे तो वहां की औसत आमदनी की भी उनको जानकारी होनी चाहिये। वहां १०,००० रुपया सालाना प्रति व्यक्ति की आमदनी है जब कि हमारे यहां ३०० रुपया के करीब है। तो दोनों का कैसे मुकाबला हो सकता है? यह तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। और अगर तुलना भी करें तो सर्वान्गीण रूप में करें। आज सरकारी पक्ष की ओर से सफाई के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि अमरीका में डीजल का टैक्स भार क्या है? यहां से कम है या ज्यादा है? पैट्रोल को कितने महंगे पर हम अपने देश में खपाते हैं। पैट्रोल बनता है कहां और उसका किराया घुमाकर कई हजार मील का बना करके यहां देश में बेचा जाता है। इन तमाम बारीकियों पर पता नहीं क्यों सरकार नहीं जा रही है। आंकड़ों की भूल भुलैया में पड़कर वस्तुस्थिति को भुला रही है। तो मैं कहूंगा कि सरकार सही माने में सोचे और अगर सरकार सोचेगी तो निश्चित रूप में इस विधेयक को वापस लेगी।

इस विधेयक का भार निश्चित रूप में गरीबों पर पड़ रहा है। चाहे बस का उदाहरण सामने रखा जाय, चाहे आटा चक्की, धान की चक्की, तेल की चक्की का उदाहरण सामने रखा जाय, चाहे सरकारी फारमों में डीजल के ट्रैक्टर चलते हैं या दूसरे प्राइवेट फार्म्स में डीजल के ट्रैक्टर चलते हैं उनका उदाहरण सामने रखा जाय, हर दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि इसका बोझ गरीब जनता पर अवश्य पड़ रहा है। इस सदन में जब मैं भाषण करने को उद्यत होता हूं तो मेरी यह इच्छा नहीं होती कि माननीय मंत्री जी ही सुन कर जवाब मात्र दे दें, बल्कि इसलिये मैं यह परिश्रम करता हूं कि सदन के दूसरे सम्मानित सदस्य भी सुनें।

एक बात मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अब केवल कांग्रेस पार्टी ही इलेक्शन में जीतने का एक मात्र साधन नहीं रह गयी है। बिना कांग्रेस का टिकट पाये हुये भी जनता उनको चुनाव में वोट करेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं सम्मानित सदस्य जरा मेरी बात को सुनें और सुन कर जनता के बीच में जाकर कहें कि आज की सरकार तुम्हारे ऊपर कर का बोझ बढ़ा रही है और तुम्हारी कमर को तोड़ रही है। आज की सरकार गरीबों के हित को नहीं देख रही है। १९६०–६१ का बजट १५० करोड़ का था जब कि आप इस बात से अवगत हैं कि ३६–३७ का बजट १२ करोड़ का था और इस तरह से १२ गुना टैक्स का बोझा आज बढ़ गया लेकिन इस सरकार की लिप्सा टैक्स बढ़ाने की पूरी नहीं हो

रही है। यह सरकार चाहती है कि येनकेन प्रकारेण जनता पर टैक्स बढ़ाये। इस बात को करीब-करीब सभी अर्थ शास्त्री मान चुके हैं कि देश की जनता में कर देने की क्षमता नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में भी कर को बढ़ाना यह कहां की न्यायसंगत बात है? जब इन बातों को लेकर मैं उदाहरण देता हूं कि सरकार रावणशाही के मार्ग पर चल रही है तो मेरे कुछ आदरणीय मित्र जिनको मैं इज्जत की दृष्टि से देखता हूं वे कभी-कभी रंज में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने रावण बना दिया। रावण तो उत्तम कुल में पैदा हुआ था 'उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव, विरंचि पूजहि बहुभांती। बर पायहु कीन्हेउ बड़ काजा, जीतेहु लोक पाल सुर राजा।'

इतने उत्तम कुल में होने वाला रावण, इतना पराक्रमी रावण भी राक्षस कहलाया, निशाचर कहलाया और गरीब ज ता ने राम का साथ देकर उसका पतन कराया। उसने गरीबों पर टैक्स बढ़ा कर अपनी गढ़ी लंका बना ली सोने की तब गरीबों ने रावण का विरोध किया और वह विरोध हुआ कैसे :

"रावण रथी, विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा।"

रावण के पास बड़े-बड़े रथ थे, राम बिना रथ पैदल थे, यह देख कर विभीषण अधैर्य्य हो गया।

तब रामचन्द्र जी घबड़ाये यह देख कर कि रावण के रथ को देख कर उनके साथी चिंतित हैं। रामचन्द्र जी ने तब क्या कहा :

'सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना।' रामचन्द्र जी ने कहा कि जय प्राप्त करने वाला रथ हमारे पास आ गया है।

उसी तरह से हमें भी इस बात की चिन्ता नहीं कि कौन हमारे विरोध में है। हमारे विरोध में अगर सिद्धांततः कांग्रेस है और उसी सिद्धांत पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट चलेंगे तो उनसे भी हमारा विरोध होगा क्योंकि हमारे पास तो एक मार्ग है, एक सिद्धांत है और यही समझ कर हम खड़े हैं कि इसी मार्ग पर चलने से समाज का कल्याण है, जनता की भलाई है इसलिये टैक्सेशन बढ़ाने वाला जो विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत है उसका विरोध मैं हिम्मत के साथ करना चाहता हूं। और जब हम विरोध करते हैं तो सरकार की ओर से इसके समर्थन में क्या तर्क आता है पंचवर्षीय योजनायें, पंचवर्षीय योजनाओं से देश का कल्याण करना है। अगर पैसा नहीं रह जायगा तो हम पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे कार्यान्वित करेंगे? जब पंचवर्षीय योजना का नाम ले कर कर भार बढ़ता है तो हम को पंचवर्षीय योजना पर भी दृष्टिपात करना पड़ जाता है थोड़े में। पंचवर्षीय योजना है क्या? ब्योरे से इस अवसर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बजट आ ही रहा है। उस समय हम उसमें ब्योरे से जायेंगे। मगर जो आज कांग्रेस की पंचवर्षीय योजनायें हैं उनको एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो करोड़पतियों को बढ़ाने वाली योजनायें हैं और दूसरी तरफ गरीबी के क्षेत्र को व्यापक करने वाली योजनायें हैं। एक तरफ तो अमीर और अमीर हो रहा है और दूसरी तरफ गरीब और गरीब हो रहा है। जब यह वस्तुस्थिति है तो ऐसी पंचवर्षीय योजना का समर्थन जो जो लोग करेंगे उनसे हमारा विरोध होगा। श्रीमन्, कभी-कभी आप भी हमको एक नसीहत देते रहते हैं और हम उस पर गौर करते हैं कि सभी पर दुलत्ती न झाड़ा करो। हम सभी पर दुलत्ती नहीं चलाते और न चलाने की हमारी इच्छा ही रहती है मगर जिन जिनकी नीतियां एक हैं उन पर तो दुलत्ती इच्छा न रहते हुये भी चल जायगी और इसीलिये रानीखेत के चुनाव में चल गयी। वहां सोशलिस्ट पार्टी ने अकेले कांग्रेस का ही मुकाबिला नहीं किया बल्कि सोशलिस्ट पार्टी को वहां कांग्रेस पार्टी, प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट, जनसंघ, इन सभी पार्टियों का मुकाबला करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—इसमें आप चुनाव कहां से घसीट लाये।

श्री राजनारायण—हम ज्यादा प्रसंग में कह रहे हैं और प्रसंगवश ही हमने इसे कह दिया और इसके सारे आंकड़े हैं कि किन पार्टियों के कार्यकर्ता वहां गये हुये थे?

श्री अध्यक्ष—आप इस समय चुनाव की बात न कहिये।

श्री राजनारायण—मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा था चूंकि आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर ही सारे टैक्स की प्रणाली बनायी जा रही है, तो एक तरफ तो पंचवर्षीय योजना के मूल में हम समर्थक हों और दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की ओर से जब टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था हो तो हम उसका विरोध करें, वह विरोध कुछ जमता नहीं है। इसलिये मैं अपने उन परमप्रिय दोस्तों से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो यह टैक्स बढ़ाने का विधेयक आया है उसके विरोध में वे हमारा साथ दें। और उनके साथ को लेने के लिये हमने ऐसा कह दिया। केवल पार्टी के लेविल से आज कोई काम बनने वाला नहीं है जब तक कि उसके तदनुरूप हम जनता के हित को सामने रखते हुये अपना कार्यक्रम नहीं बनायेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न सिद्धांत और कार्यक्रम का है। अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि जब राजनारायण बोलते हैं तो सिद्धांत की बात ले आया करते हैं .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जितनी बातें आपके खिलाफ लोग करते हैं उन सब का जवाब आज ही आप सदन में देना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—जी नहीं, लेकिन जब भी हम कुछ बोलेंगे तो कोई सिद्धांत रहेगा तभी तो बोलेंगे। हम आपकी इच्छा समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष—और लोगों को बोलने का मौका दीजिये।

श्री राजनारायण—मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके द्वारा सदन के सभी दलों के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जनहित के नाम पर, गरीबों के नाम पर, जांगर लगाने वाली जनता के नाम पर, सरकार के द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत है उसका जम कर विरोध करें और उसको गिरावें। चाहे वे लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों तब भी हमारी उनसे अपील है कि इसको गिरावें और यह मैं गारंटी देता हूं कि अगर वे जनहित में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो भी हम सन् ६२ के एलेक्शन में उनको जितवा देंगे।

आबकारी मंत्री (ड़ाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के करीब १२ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखने का प्रयास किया है। सब से अधिक समय शायद माननीय राजनारायण जी ने लिया है। इस विधेयक में यह बताया गया है कि १९३९ में मोटर स्प्रिट पर जो फुटकर बिक्री होती थी उस पर टैक्स लगाने की बात थी। उस वक्त डीजल आयल को इसके परव्यू से निकालने के लिये १९५७ में बिल पेश हुआ और सदन ने उसको पारित किया। लेकिन आज तक जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यू० पी० से जो लगे हुये सूबे हैं, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार वगैरह, वहां पर इस डीजल आयल पर बिक्री कर लगता है। लेकिन आपके सूबे में इसके बिक्री कर पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ सेल्स टैक्स २ पैसे लिया जाता है। इस तरह से इस विधेयक के मूल अधिनियम की धारा ३(१) के अनुसार टैक्सेशन की बात कही गई है जिसमें ७ नये पैसे फी लिटर बिक्री कर पर लिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल अपने भाषण में माननीय अवस्थी जी ने बहुत सी बातें रखीं, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। उन्होंने बताया कि छः आने गैलन से ज्यादा रेट बढ़ा दिया गया है। १९५७ में जो ऐक्ट पास हुआ था उसमें मोटर स्प्रिट पर दो आने से ६ आने अवश्य बढ़ा था। लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस समय

भी बढ़ाया जा रहा है। अगर गलन को लिटर में कंवर्ट करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक लिटर करीब ६ आने प्रति गैलन के बराबर है और वह करीब ८.११२ पर लिटर पड़ेगा। इसको राउंड एबाउट करने में ९ नये पैसे पर लिटर कर दिया गया है। बढ़ाया नहीं गया है बल्कि राउन्ड एबाउट करने में यह रखा गया है। इसके साथ ही साथ डीजल आयल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा बल्कि बिक्री कर पर ७ नये पैसे फी लिटर के हिसाब से टैक्स लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ७ नये पैसे की वृद्धि नहीं हुई बल्कि २ नये पैसे जो सेल्स टैक्स लिया जाता था उसको छोड़कर केवल ५ ही नये पैसे हुये।

अभी बोलते हुये कल और आज भी माननीय सदस्यों ने कहा था कि इससे काश्तकारों का बड़ा नुकसान होगा। डीजल आयल बड़ी-बड़ी व्हेकिल्स में इस्तेमाल होता है जैसे ट्रक्स और बसेज में और जो छोटे छोटे इंजिन होते हैं या जो स्टेशनरी होते हैं उनमें डीजल आयल अवश्य इस्तेमाल किया जाता है। चक्कियां चलाने की बात कही गई। उस संबंध में मैं यह कहना उचित समझता हूं कि इससे कोई विशेष आम जनता पर असर नहीं होगा, क्योंकि अगर वह जनतंत्र में, जम्हूरियत में, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि गांव में या छोटे शहरों में भी यह देखा जाता है कि औरतें चक्कियां चलाती हैं और उन चक्कियों का आटा लोगों को काफी अच्छा लगता है और उसमें प्रोटीन कंटेंट डिस्ट्राय नहीं होता है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो बड़ी-बड़ी चक्कियों से और मशीनों से जो आटा पीसा जाता है उसमें प्रोटीन कंटेंट डिस्ट्राय हो जाता है और तरह-तरह की सब बीमारियां उससे होती हैं। तो अगर उसके ऊपर असर पड़ता है डिजल आयल से तो चक्कियां जो हैं वह लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और लोगों की तन्दुरुस्ती उससे बढ़ेगी, लोगों को गांवों में देखा गया है कि गरीब आदमी जो है वह दूसरों की चक्कियां चलाकर के अपनी रोजी कमाते हैं। इस तरह से जो गांवों में चक्कियां लगाकर के आटे को पीसते हैं वह गरीबों के साथ और भी अहित करते हैं। अगर गरीबों की हमदर्दी माननीय सदस्य के दिल में है तो बहुत से गरीब ऐसे होते हैं—हो सकता है कि उनके जिले कानपुर में न हों, लेकिन और जगह होते हैं और आज से पंद्रह बीस साल पहले का मैंने देखा है—कि वह लोग चक्कियां चलाकर के जीविकोपार्जन करते चले आये हैं। तो उस प्वाइंट आफ व्यू से भी कोई इसको लगाने से नुकसान नहीं होता।

माननीय अवस्थी जी ने कहा कि पचास, साठ लाख रुपये जो इससे मिले सरकार को, वह मैंने नहीं बतलाया कि किस तरह से, किस ढंग से वह खर्च किया जायगा। सरकार के जितने भी रेवेन्यू के फंड्स हैं चाहे वह रेवेन्यू किसी भी रूप में क्यों न आये जनरल रेवेन्यू में फाइनेंस को ट्रांसफर करते है और फाइनेंस डिपार्टमेंट सरकार के विभिन्न मुहकमों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्लानिंग के काम में उसे खर्च करता है। आप जानते हैं जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने जम्हूरियत, जनतंत्र और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी दुहाई दी, और उन्होंने नाना प्रकार के चार्जेज इस सरकार पर लगाने शुरू किये। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन देशों में अधिनायकवादी परम्परा है, जिन देशों में टोटैलिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट है, उन देशों में भी इस तरह के प्लान बनते हैं जैसे कि रूस में फाइव ईयर प्लान्स १९१७ की राजनैतिक क्रांति के बाद से चल रहे हैं। जिन देशों में जनता के लोगों ने चुनकर के सरकार बनायी है उन देशों में जनता में जनतंत्र की भावना को बढ़ाने के लिये सरकार किन-किन कार्यों को कार्यान्वित करे उसके लिये प्लान की आवश्यकता पड़ी है। अमेरिका की राजनैतिक क्रांति सन् १७७६ में हुई थी। राजनैतिक क्रांति के पश्चात् अमेरिका में आठ बार तक फाइर इयर प्लान्स चलते रहे। फ्रांस में भी चले। तो हमारे देश में भी जहां पर जनता से चुनकर सरकार आयी है देश की गरीबी और नाना प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिये जनतांत्रिक सरकार ने जब शासन को अपने हाथ में लिया तो शोषित पीड़ित मानवता के करुण क्रंदन को सुनकर के उसने उनकी शिक्षा के लिये, औषधालय या सड़कों के निर्माण के लिये या खेतों की पैदावार को बढ़ाने के लिये, अच्छे-अच्छे बीज, खाद इत्यादि देने के लिये,

[डाक्टर सीताराम]

नहरें, ट्यूबवेल्स, कुयें आदि बनवाने के लिये तथा इसी तरह से जितने भी डेवलपमेंट के प्लान किसी भी जम्हूरियत जनतंत्र या डेमोक्रेसी में होने अत्यावश्यक हैं उनको किया और जिनके लिये कि यह सरकार जो है वह बधाई का पात्र होनी चाहिये।

जैसा कि कहा गया है अमेरिका का दृष्टांत हमारे सामने रखा गया कि वहां पर ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में यह बात कही जाती है। खैर, उन बातों में यहां मैं नहीं फंसना चाहता क्योंकि जैसा कि मैं समझता हूं संभव है और बहुत से माननीय सदस्य इन धाराओं पर बोलना चाहेंगे। लेकिन मैं उचित समझता हूं कि जो भी बातें इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, कही जायं वह पार्टीबन्दी के आधार पर नहीं होनी चाहिये। वस्तुतः जो बातें सत्य हों वही कहनी चाहिये। शोषित पीड़ित मानवता के लिये यह सरकार जो कर सकती थी, कर रही है। फिर भी यह कहना कि शोषित पीड़ित मानवता के लिये कुछ नहीं कर रही है वांछनीय नहीं होगा। मैं तो यहां तक कहना उचित समझता हूं कि जितना भी कार्य इस थोड़े से समय के अन्तर्गत कांग्रेसी सरकार ने पीड़ित मानवता के लिये किया है उतना दुनिया के किसी भी देश में जहां पर जनतंत्र, डेमोक्रेसी का नारा लगाया जाता है नहीं किया गया है। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की जीती-जागती मिसाल नहीं है। जहां तक डिक्टेटरशिप या टोटैलिटोरियन टाइप की गवर्नमेन्ट की बात है वहां भी रूस के बनने में बहुत समय लगा है। १९१७ की क्रांति के बाद करीब-करीब ४४ साल रूस को हो गये लेकिन बहुत से मामलों में रूस भी और देशों के मुकाबिले में आगे नहीं बढ़ पाया है। हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक युग में भले ही वह आगे बढ़ गया हो लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन की बात है उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ख्रुश्चेव ने १॥ महीने पहले साउथ रूस में बोलते हुये कहा था कि एग्रीकल्चर में हम डाउन हुये हैं। इसी प्रकार से मोलन्कोव की सरकार को एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। मैं यह कहना उचित समझता हूं कि जहां पर डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है वहां सब देशों में उनको उठने में समय लगा है। इस तरह से अपने देश में अहिंसात्मक राजनैतिक क्रांति के बाद इस देश के कर्णधारों ने देश में शासन स्थापित करके देश को उठाया ....

श्री अध्यक्ष—इसका विधेयक से सम्बन्ध नहीं है।

डाक्टर सीताराम—चूंकि यह कहा गया था कि सरकार टैक्स लगा रही है और पीड़ित मानवता के लिये कुछ नहीं कर रही है इस वजह से मुझे उसका उत्तर देना उचित प्रतीत हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूंगा कि डिजल आयल पर जो टैक्स लग रहा है वह और सूबों में भी है हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं था। उसकी ही डैफिनिशन के सेक्शन ३ के अन्दर लगाने का प्राविधान है और साथ ही कुछ और ११(२) और १७ (२) में कांसिक्वेन्शियल चैंजेज हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह उचित समझता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ट्रैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट ट्रैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १—७

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्रार्विसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने के लिये — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यूनाइटेड प्रार्विसेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) के शीर्षनाम, वृहत् शीर्षनाम तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit and diesel oil" रख दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट संख्या १,१९३९ के शीर्षनाम, वृहत् शीर्षनाम तथा उसकी प्रस्तावना का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में शब्द 'Motor Spirit' तथा "Taxation Act" के बीच में शब्द "and Diesel Oil" बढ़ा दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९३९ की धारा १ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २ में:— — यू० पी० ऐक्ट संख्या १,१९३९ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (ए) में अंक "145' के स्थान पर अंक '130' रख दिये जायं, तथा शब्द "Combustion Engines" और उसके बाद आये हुये फुलस्टाप के बीच में शब्द "but does not include Kerosene" बढ़ा दिये जायं :

(२) खंड (ए) के पश्चात् नये खंड (एए) तथा (एएए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं—

"(*aa*) 'diesel oil' means any inflamable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point above 130° F. but not exceeding 175° F. which is ordinarily used for providing reasonable efficient motive-power for any form of motor vehicle or for internal combustion engines ;

(*aaa*) 'Kerosene" means any inflamable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point not below 95° F. and not above 110° F. which is generally used for purposes other than for providing motive-powers for any form of motor vehicle or for internal combustion engines". तथा

(३) खंड (सी) तथा (डी) और उसके स्पष्टीकरण में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit or diesel oil or both" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १ ,१९३९ की धारा ३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३ में उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(1) There shall be levied from every retail dealer and collected in such manner as may be prescribed a tax on the retail sales of motor spirit and diesel oil at such rate, or rates, as may be notified not exceeding nine naye paise in the case of motor spirit, and seven naye paise in the case of diesel oil per litre on such sales."

६—(१) मूल अधिनियम की धारा १० तथा ११ और धारा १७ की उपधारा (२) में जहां भी शब्द "motor spirit" आये हों उनके स्थान पर शब्द "motor spirit or diesel oil or both" रख दिये जायं ।

(२) मूल अधिनियम की धारा १० के खंड (ए) में तथा धारा १७ की उपधारा (२) के खंड (जी) में जहां भी शब्द "is" आया हो उसके स्थान पर शब्द "are" रख दिया जाय ।

७—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के खंड (डी) के स्पष्टीकरण में शब्द "in such spirit" तथा शब्द "for the purpose of trade" के बीच में शब्द "or diesel oil" बढ़ा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १,२,३,४,५,६ और ७ तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने नेता समाजवादी पार्टी के भाषण के बाद जो भाषण दिया तो जहां तक मैंने उसको समझा....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में सो रहे हैं। अगर उनको सोना हो तो वह लाबी में चले जायं ।

श्री अध्यक्ष—असल में 'सोना' पढ़ने में या गौर से सुनने में नहीं आता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह तो अध्यक्ष का अपमान है ।

श्री अध्यक्ष—वह गहराई से सुन रहे हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह जो बिक्री कर में वृद्धि की गयी है डीजल आयल पर, इससे केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही हानि नहीं है, वरन् कृषि क्षेत्र में भी प्रदेश को विशेष हानि होगी। आपको ज्ञात होगा कि गाजियाबाद में बहुत से डीजल इंजन बनना शुरू हो गये हैं और अब उनका प्रयोग कृषि क्षेत्रों में किया जायगा और सरकार कहती भी है कि कृषि का आधुनिकीकरण होना चाहिये। इसलिये वहां पर डीजल का इस्तेमाल लाजमी है और इसलिये इसका असर कृषि पर निश्चय ही पड़ेगा ।

सरकार की दूसरी नीति है कि हम कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे जब छोटी-छोटी मेड़ें तोड़ी जायंगी तो वहां ट्रैक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी और आज कल ज्यादातर ट्रैक्टर डीजल से चल रहे हैं। तो सरकार की कृषि से संबंधित किसी भी योजना में डीजल का प्रयोग अवश्यम्भावी है और इसलिये अब कृषि ज्यादा महंगी पड़ेगी ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कांसीक्वेंशियल चेंज की कही। लेकिन इसके माने यह तो नहीं हैं कि जो मुनाफा जाय वह सरकार के पक्ष में जाय और घाटा उपभोक्ता के पक्ष में जाय। अगर एक आध पैसा मुनाफा उपभोक्ता के पक्ष में ही चला जाय तो क्या हर्ज हो जायगा। देहात में दो आदमियों में झगड़ा हुआ तो उसमें फैसला एक ने यह किया कि भूसा तुम ले लो और अनाज हम ले लेंगे, या अनाज हम ले लेंगे और भूसा तुम ले लेना। दोनों सूरतों में वे ही अनाज लेंगे, तो दोनों सूरतों में सरकार ही मुनाफा ले यह ठीक नहीं है।

तीसरी दलील माननीय मंत्री जी ने यह दी कि चूंकि अन्य प्रान्तों ने कर दिया है इसलिये हमारे यहां भी हम यह कर लगा रहे हैं। केन्द्र ने उन लोगों की मांग पर महाराष्ट्र दे दिया, गुजरात दे दिया, लेकिन यहां से विन्ध्य प्रदेश के लोग गये, बड़ी मेहनत की लेकिन हमारे यहां की सीमा वही रही, हमारे यहां विन्ध्य प्रदेश अलग नहीं किया गया। तो यह कोई बात नहीं हुई कि चूंकि वहां बढ़ गया है इसलिये यहां भी बढ़ जाना चाहिये। मध्य प्रदेश में रोडवेज के कर्मचारी बोनस पाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बोनस नहीं देती। क्या यहां की सरकार बोनस उन लोगों को देने लगेगी? नहीं देगी। हां, उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जो अन्य प्रदेशों को दिशा प्रदान करती हैं। पंचायत राज कानून सब से पहले यहां ही पास किया गया, रक्षा दल सब से पहले यहां ही बना। तो उत्तर प्रदेश, जैसा नेता लोग कहते हैं, दूसरे प्रांतों को दिशा देता है। आपस में झगड़ा सब जगह हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल पहला यहां ही बदला। तो हम इस मामले में दूसरे प्रांतों का अनुकरण करें, उन्होंने टैक्स बढ़ा लिया तो हम भी बढ़ा लें, यह ठीक नहीं है। बंबई में एक रोडवेज का कर्मचारी ९० रुपया महंगाई भत्ता पाता है, लेकिन हमारे यहां तनख्वाह ही ३० रुपया है। तो यह एक लचर दलील है। इससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर बड़ा व्यापक असर पड़ेगा और साढ़े ६ करोड़ जनता कर से पिस जायगी। हमारे यहां प्रति व्यक्ति इंडस्ट्री का एलाटमेंट और प्लान में जो एलोकेशन आदि किया गया है वह बहुत ही कम है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री, १००,८०,१७,२० करोड़ की अन्य प्रांतों को मिल गयी हैं, उड़ीसा है, आसाम है, बंबई है, इन सब में बड़ी इंडस्ट्री गयी है, लेकिन हमारे यहां दो चार लाख की इंडस्ट्री दी गयी हैं। हम तो प्लानिंग कमीशन से भी मारे हुये हैं। सरकार को इसलिये यह कहना चाहिये कि हम यहां यह टैक्स नहीं बढ़ायेंगे क्योंकि हमारे यहां पूरा औद्योगीकरण नहीं हुआ है, हम को ज्यादा बड़े-बड़े कारखाने नहीं मिले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रदेश के साढ़े ६ करोड़ उपभोक्ताओं को इससे बचायें और इस कर को न लगायें नहीं तो गरीब जनता की कमर और टूटेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मान्यवर, मैंने इस विधेयक पर विचार के समय माननीय मंत्री जी के तर्कों को सुना और मुझे अफसोस है कि जिन बातों को मैंने प्रस्तुत किया था उन बातों में से एक का भी जवाब माननीय मंत्री जी ने अपने तर्कों में नहीं दिया। माननीय मंत्री जी जाने कहां से रूस की बात ले आये। मैंने उनसे कहा था कि वे अमेरिका भी जा चुके हैं और वे वहां से कृषि के बारे में एक अच्छी डिग्री भी लेकर आये हैं, कुछ वहां की बात बतायें। अभी हाल ही में जो देहली में प्रदर्शनी हुई थी, वहां पर अमेरिका वालों का जो पान्डाल था, उन अधिकारियों से मैंने प्रश्न किया था कि उनके यहां कृषि में जो मुनाफा है वह किस प्रकार का है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि अगर वहां पर पेट्रोल ३ रुपये ६ आने प्रति गैलन जो यहां का रेट है कर दिया जाय तो उससे मुनाफे पर क्या असर होगा। उन्होंने बताया कि अगर हम इतना रेट हाई कर दें तो मुनाफा नहीं के बराबर रह जायेगा। उन्होंने बताया था कि उनके यहां पेट्रोल की दर ८५ नये पैसे प्रति गैलन है। तो उसके मुकाबिले में यहां पर इतनी ज्यादा कीमत होना अच्छी बात नहीं है।

इससे बहुत नुकसान होगा और गरीब जनता पर ही उसका असर होगा। माननीय मंत्री जी ने अपने तर्कों में इस बात को नहीं बताया कि किस प्रकार इसका असर जो उद्योग-धंधे हैं और कृषि है, उस पर नहीं होगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस आधार पर वे इसको तेज करने जा रहे हैं। उन्होंने यह बताया अपने भाषण में कि रूस में प्रोडक्शन गिरा। किस संदर्भ में

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

उन्होंने यह बात कह. यह मेरी समझ में नहीं आया और इसलिये में उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूं। वह बात बिल्कुल अर्थहीन थी। हां, यह बात जरूर कहूंगा कि यह जो डीजल इंजन बनते हैं हमारे यहां गाजियाबाद में उनके उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं बतायी। मैं नहीं जानता कि वे किस आधार पर यह बात कहते हैं कि इसका असर जो इसके बनाने वाले हैं उन पर नहीं होगा। जो भी डीजल इंजिन के बनाने वाले हैं, गाजियाबाद में, उसमें अधिकांश ऐसे साधारण श्रेणी के व्यक्ति हैं जो उनके एक एक या दो दो पुरजों को ही बनाया करते हैं। इस कर से यह सारे उद्योग-धंधे ही चौपट हो जायेंगे। आज जितने भी सेंटीफीगल पाइप चल रहे हैं वे सभी डीजल आइल से ही चलते हैं। जितने भी ट्यूबवेल्स लगे हैं, जहां बिजली नहीं है, वहां पर भी वे डीजल से ही चलते हैं और एक तो पहले से ही उनका रेट इतना हाई है कि वे उसका इस्तेमाल लाभप्रद रूप से नहीं करते, अब और भी रेट हाई हो जायेगा और इसका असर उस गरीब जनता पर ही जाकर पड़ेगा।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

आज अधिकांश ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो डीजल से ही चलते हैं। मैंने खुद कानपुर में जाकर देखा है कि उनका खर्चा इतना बढ़ गया है कि वे चल नहीं पाते और सिंचाई बहुत तेज पड़ती है, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खेती की पैदावार बढ़ाने का साधन सिंचाई है, तो जो बिजली से ट्यूबवेल नहीं चलते हैं बल्कि डीजल्स से चलते हैं उन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स से हजारों को लाभ होता है। किस प्रकार वह इस टैक्स के बोझ को पूरा करेंगे, कैसे उन किसानों को राहत पहुंचायेंगे? आटा चक्की की बात है, तेल मशीन की बात है, धान कूटने की और रूई धुनने की जो मशीनें हैं उनकी बात है इनके काम डीजेल इंजिन से होते हैं।

मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे प्रदेश में बिजली पैदा करने के दो ही साधन हैं, एक तो तापजनित है, दूसरा पानी से।

विद्युत् स्थापना पर इतने अधिक व्यय को देखते हुये यह स्पष्ट है कि सरकार बिजली इस प्रदेश को उपर्युक्त उद्योग-धंधों के लिये नहीं दे सकती।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा निर्णय हो जाय और मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन न दिया जाय? परिवहन मंत्री भी उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और सब का संयुक्त उत्तरदायित्व है। क्या आबकारी मंत्री, परिवहनमंत्री की तरफ से आश्वासन नहीं दे सकते कि डीजेल पर पैसा बढ़ेगा, लेकिन सरकार आश्वासन देती है कि किराये में बसों के तनिक भी वृद्धि नहीं होगी। गांव के जोकि गरीब लोग हैं, वहां से जब बसें गवर्नमेन्ट की गुजरती हैं तो मजबूरी में उनको उनसे चलना पड़ता है। क्या उस मजबूरी से फायदा उठा कर वह चाहते हैं कि इधर तो डीजेल पर टैक्स बढ़ा दें और चूंकि सरकार का एकाधिकार सड़कों पर है, इसलिये उधर किराया बढ़ा दिया जाय? अगर वह आश्वासन देते कि किराया नहीं बढ़ेगा तो हम विचार करते। यदि सरकार चाहती है कि पैसा आये तो कम से कम गरीबों पर तो उसका कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। जो इसका कार्य-क्षेत्र होगा उसका पूरा प्रभाव गरीबों पर जा रहा है, जोकि खेतिहर मजदूर हैं, खेती करने वाले हैं, छोटे नौकर पेशा हैं व छोटे दूकानदार हैं जो तादाद में बहुत बड़े हैं, और हरीसिंह जी कह रहे थे कि खेतिहर मजदूरों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। गरीब लोग ही ज्यादा सफर करें, वही आटा पिसावें और जितने मशीन के काम हैं वह सब करावें, और कहा जाता है कि गरीबों से सम्बन्ध नहीं है। हमारे गांव में सेंट्रिफ्यूगल पम्प से सिंचाई होती है और ६ रुपया, ८ रुपया बीघा लेते हैं। अब डीजेल के दाम बढ़ने से और उन्होंने १ रुपया बीघा बढ़ा दिया तो किसानों का कितना नुकसान होगा? मंत्री जी तो करोड़ों के बजट का इंतजाम करते हैं किन्तु यह नहीं समझते हैं कि अगर टैक्स में २–४ पैसे की वृद्धि हो जाती है तो उससे कितने खेतिहर और मजदूर सुविध **ओं**

से महरूम रह जायेंगे। करोड़ों के बजट का इंतजाम करके ऐसे हृदयहीन वह न हो जायं कि उन करोड़ों और लाखों आदमियों की फिक्र न करें जिनके ऊपर कर का बोझ पड़ने से उनको बहुत सी चीजों से महरूम रह जाना पड़ेगा ।

तीसरे, इस तर्क का कोई उत्तर नहीं है । सदन में माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनका बहुमत है । किसी प्रकार से उन बातों को पास करा लेते हैं जो प्रदेश के लिये हितकर नहीं होती और न कोई तर्क ही होता है । मैंने यंत्रीकृत फार्मों के सम्बन्ध में बार-बार कहा कि उनमें सरकार को नुकसान है । सभी यंत्रों से सुसज्जित होने के बावजूद भी मेकेनाइज्ड फार्मों में सरकार को नुकसान है तो फिर सरकार इन फार्मों को खत्म करके वह ज रोन भूमिहीनों को क्यों नहीं दे देती । लेकिन सरकार ने कभी उत्तर नहीं दिया कि क्यों नहीं दे देती और घाटा क्यों उठा रही है। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले दस वर्षों से सरकार इन फार्मों पर नुकसान उठा रही है । जब मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि चूंकि मशीनरी इस्तेमाल होती है और पेट्रोल और डीजल तेज है इसलिये नुकसान पड़ता है । अब इतनी बात स्पष्ट है कि जब डीजल का दाम और बढ़ जायगा तो सरकार की तरफ से यह तर्क आयेगा कि चूंकि डीजल का दाम बढ़ गया है और मशीनों से खेती हो रही है इसलिये घाटा हो रहा है ।

इस प्रकार से सरकार तथ्यों को कमजोर तर्क में छिपाकर जनता के रोष को कम करे, यह बात प्रदेश के लिये अच्छी नहीं होगी । सरकार को चाहिये कि यंत्रीकृत फार्मों में जो नुकसान हो रहा है । उसको या तो अधिकारियों या जिसकी भी गल्ती हो उनसे पूरा करे या फिर उसकी ऐसी नीति हो कि उन फार्मों को मुनाफे में परिवर्ति । किया जाय । मुझे आश्चर्य है कि सरकार कोई निश्चित तर्क सामने नहीं रखती । एक तरफ तो जो उसके यंत्रीकृत फार्म हैं जिन्हें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं उनमें घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ गरीब किसान हैं जिनके पास थोड़ी खेती है, अलाभकर जोतें हैं उन पर सरकार टैक्स लगाती जा रही है। जब फार्मों पर नुकसान हो रहा है तो किसानों को कौन-सा फायदा है जिस पर बराबर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है । इस विधेयक का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास देने के लिये कुछ है नहीं । जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे-छोटे दूकानदार हैं और १०० रु० से कम माहवार के नौकर हैं उन पर इसका असर पड़ेगा । इस सम्बन्ध में सरकार के पास एक भी तर्क नहीं है । ५० लाख रुपये का नया टैक्स प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ने जा रहा है ।

इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर टैक्स नहीं दिया जा सकता । श्रीमन्, एक कहावत है कि एक भेड़ पालने वाले ने भेड़ से कहा कि तुम अपनी ऊन मुझे काट लेने दो, जब जाड़ा आयेगा तब तुमको कम्बल बनवा दूंगा । उसी प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से टैक्स लेने का तर्क है । जाड़े में चाहे भेड़ मर जाय, किसान मजदूर या १०० रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी चाहे मर जायं लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के लिये टैक्स वसूल होना चाहिये । श्रीमन्, मैंने जो तर्क और तथ्य रखे उन पर मन्त्री जो विचार करें और तब कोई तर्क रखें जो कि उचित हो तब तो इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है लेकिन अगर कोई तर्कहीन विधेयक संख्यानुसार के बल पर लाया जाय तो हम उसका घोर विरोध करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को जरूर गिरा दें क्योंकि इस विधेयक के पारित होने से लाखों गरीब आदमियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और प्रदेश के उद्योग-धंधों, कृषि और छोटे छोटे इंजीनियरिंग के धंधों को नुकसान पहुंचेगा । अतः मैं इस विधेयक के पारित होने का घोर विरोध करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक के पारित किये जाने का विरोध कर रहा हूं । मुझे अपने प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं मिला, उससे यह न समझा जाय कि हम उनकी बातों का जवाब देने को तैयार नहीं थे ।

श्री अधिष्ठाता—मौका आपको दिया, लेकिन आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो इस विधेयक पर दो दिन से बहस चल रही है, उसमें हर दल के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मूलतः सभी ने यही कहा है कि इसके द्वारा निर्धन वर्ग पर बोझा पड़ेगा लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि निर्धन लोगों पर बोझा नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लोग भी जो इस संबंध में बोले हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि निर्धनों पर इनडायरेक्ट वे में बोझा पड़ेगा। सरकार की नीति है कि डायरेक्ट और इन.ायरेक्ट तरीके से टैक्सेज को बढ़ावे और तब तक टैक्सेज को बढ़ाना चाहती है जब तक ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके के समान वह ही न टूट जाय। वह यह भी नहीं देखना चाहती कि कौन सा तिनका ऐसा होगा कि जिससे ऊंट की पीठ ही टूट जायगी। इसके अलावा टैक्सेज वसूल करने के बाद भी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उसका व्यय कैसे हो रहा है। श्रीमन्, एस्टीमेट कमेटी के आप भी सदस्य हैं और मैं भी हूं। उसने इस बात का कई बार इशारा किया है कि सरकार का व्यय पर कोई कन्ट्रोल नहीं है तथा एस्टीमेट्स कमेटी के निदेशों का पालन सरकार द्वारा नहीं हो रहा है।

मंत्री जी ने कहा कि जो रेवेन्यू आता है, उसको हम जनता के वेलफेयर के काम में खर्च करते हैं। यह बात तो आम तौर से कही जा सकती है लेकिन देखना यह है कि सड़क और स्कूल जो बनते हैं वे केवल दिखावटी चीज ही होती है। वास्तविकता तो तब कही जा सकती थी जब लोगों की औसत आमदनी और बढ़ती। उनमें तो यह प्रदेश गिरता हुआ ही दिखायी देता है। इससे यह साबित होता है कि सरकार का यह कहना गलत है कि जनता से टैक्स ले लेने के बाद उलट कर उससे जनता को ही लाभ पहुंचाते हैं।

सरकार में रद्दोबदल हुई। जो मंत्रिमंडल पहले था वह आज नहीं है। आज के मंत्रि-मंडल के सदस्य जब पहले मंत्रिमंडल में नहीं थे तो उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार अपव्यय करती है, व्यय पर इसका नियंत्रण नहीं है। उस दिन जो उन्होंने ढेला दूसरों की तरफ फेंका था आज उसी ढेले की चोट के पात्र वे हो गये हैं। उनका व्यय भी आज अनियंत्रित है। जब सरकार एक तरफ एकोनामी की बात कहती है तो जब वह टैक्सेज को लगाये तो बताये कि वह कौन-सी एकोनामी कर रही है। इन टैक्सेज को बढ़ा कर सरकार दुर्गति रूप में व्ययों को और बढ़ाना चाहती है। इसलिये मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं कि इस विधेयक को पारित न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—क्या माननीय मंत्री जी को इसका कुछ जवाब देना है?

डाक्टर सीताराम—जवाब तो हर बात का हो सकता है लेकिन वोटिंग तो २ बजे से पहले हो नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता—यदि आपको कुछ कहना तो कहें वरना इसको इस समय स्थगित कर दिया जायगा और अगला प्रश्न ले लिया जायगा।

डाक्टर सीताराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना उचित समझता हूं कि अभी अभी वर्मा जी ने जो यह कहा कि सरकार के पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास वर्मा जी के प्रत्येक प्रश्न का यानी हर बात का आठ-आठ, दस दस घंटे तक के लिये जवाब है। उन्होंने अमेरिका की दुहाई देते हुए कहा—शायद उनको यह नहीं मालूम कि अमेरिका की क्या हालत है। उन्होंने किसी की कही हुई बात सुन ली। अब जरा थोड़ी सी मेरी बात सुनें। माननीय वर्मा जी ने कहा कि अमेरिका में ८५ नये पैसे में एक गैलन पेट्रोल मिलता है जबकि हमारे देश में एक गैलन के लिये ३ रु० ६ आने देना पड़ता है। अगर वे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बाई रिगिल, को पढ़ें और १९४६ की अवधि के

प्रोडक्शन को देखें तो वे इसी नतीजे पर पहुंचेगें कि दुनिया के और देशों तथा एशिया से वेस्टर्न कंट्रीज में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जहां पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है वहां से करीब १,५०० मील का लम्बा पाइप है और १५ इंच डाइमीटर का पाइप है जिसके जरिये वहां पेट्रोलियम निकाला जाता है। यह मानी हुई बात है और यह सब को अच्छी तरह से मालूम है कि जो चीज जहां ज्यादा पैदा होती है उसकी कीमत वहां कम होती है। चूंकि वहां पेट्रोलियम ज्यादा होता है इसलिये वहां ८५ नये पैसे में एक गैलन मिल जाता है जबकि हमारे देश में कम्पेरेटिवली उसकी कीमत ३ रु० ६ आने है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जो आयल कम्पनीज हैं, जैसे बर्मा शेल, स्टैंडर्ड वैकुअम और कालटैक्स, उनके यहां रेट बहुत ज्यादा है। यह बात सत्य है कि दुनिया के और देशों के मुकाबले में अमेरिका में पेट्रोलियम का रेट लोअर है।

जहां तक पावर अल्कोहल की बात कही गयी, वह मोलासेज से निकाला जाता है। सबको यह अच्छी तरह से मालूम है कि अमेरिका में मोलासेज २० रु० मन भी नहीं मिलता है जबकि हमारे यहां पूर्वी जिलों में दो तीन फैक्टरियां ऐसी ह और जिनका नाम मैं ले सकता हूं, वे कहती हैं कि हमारे यहां से कोई फ्री मोलासेज ले जाय लेकिन उसे उठा ले जाय। तो यह कहना कि अमेरिका में ८५ नये पैसे गैलन के हिसाब से पेट्रोलियम मिलता है, यह तर्क यहां काम नहीं देता। इस तर्क को कोई आदमी नहीं मान सकता है। यह कहना सही है कि अमेरिका में मोटर स्प्रिट का दाम ८५ नये पैसे गैलन के हिसाब से है जिसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है और उससे वहां प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है और हमारे यहां मोटर स्पिरिट का दाम या डीजल का दाम ज्यादा बढ़ जायगा तो वैसी हालत में इसका असर जरूर पड़ेगा लेकिन यह कहना कि इससे शोषित पीड़ित मानवता का कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल असत्य है। इससे शोषित मानवता लाभान्वित होगी। हां, यह बात अवश्य है कि जो लोग पूंजीपति वर्ग के हैं और जिनके पास मोटर होती है उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बहुत से ट्रैक्टर्स बेकार हो जायेंगे, ट्रैक्टर की खेती बेकार हो जायगी।

वास्तव में ट्रैक्टर की खेती तो वही लोग करते हैं जिनके पास खेती ज्यादा है। हमारे जिले के माननीय उग्रसेन जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देवरिया में ट्रैक्टर से खेती करने वाले कितने आदमी हैं। अधिक आदमी ऐसे न होंगे, हो सकता है कि २०-२५ आदमी ऐसे हों . . . . .

श्री उग्रसेन—सरकारी फार्म भी तो हैं, उनमें भी तो जनता का ही पैसा लगा है।

डाक्टर सीताराम—कानून तो जो भी बनाया जाता है वह सभी के लिये बनाया जाता है, चाहे सरकारी फार्म हों या प्राइवेट फार्म हों, डीजल आयल इत्यादि पर लगेगा और बिक्रीकर लगेगा, जो भी ट्रैक्टर चलायेगा वह उसको देना होगा। आज जबकि देश की प्लानिंग हो रही है, ऐसे समय में अगर देश के धनीमानी व्यक्तियों पर थोड़ा-सा इस तरह का भार पड़ जाय तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और उसको बुरा न समझना चाहिये। ऐसे प्लानिंग के समय में जनतांत्रिक सरकार पीड़ित मानवों के लिये ही इस प्रकार कुछ पैसा धनी लोगों से लेती हैं और अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। इससे जनता का अधिक लाभ होता है। यह कहना कि इसका प्रभाव कम से कम ५० लाख आदमियों पर पड़ेगा यह बिल्कुल गलत बात है। यह ५० लाख के आंकड़े कतई ठीक नहीं हैं। मोटर स्प्रिट का भाव ३ रु० ६ आना ठीक है लेकिन इतने टैक्सेशन के बाद भी डीजेल आयल मोटर स्प्रिट के मुकाबले में सस्ता होगा। बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं लेकिन जहां तक इस विधेयक के लाने की बात है मैं और क्या कहूं ?

कुछ सदस्यों ने कहा कि इसके कारण और प्रदेशों के मुकाबले में यहां गरीबी बढ़ जायगी। सब जानते हैं और पंजाब के लोग और यहां के माननीय सदस्य जानते हैं कि पंजाब में भी डीजेल पर टैक्स है लेकिन फिर भी वहां के लोग खुशहाल हैं और वहां के लोग छोटे-छोटे

[डाक्टर सीताराम]

उद्योगों में इसका प्रयोग करके वहां का उत्पादन बढ़ाते हैं और इस तरह से उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में वह सहयोग देते हैं और जब उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को खाना कपड़ा और सब चीज मिलती है। वहां के लोगों में एक स्फूर्ति और चेतना उत्पन्न होती है और वह पीड़ित मानवता को इन कार्यों के सम्पादन द्वारा सुखी बनाने में सहायक होते हैं। इसलिये यह चार्ज सरकार पर लगाना ठीक नहीं है कि वह इस कर के द्वारा पीड़ित मानवता पर टैक्स लगा रही है और इससे ५० लाख आदमी प्रभावित होंगे।

जहां तक मोटर बसों के किराये के बढ़ने की बात है, मैं कह चुका हूं कि इस समय सरकार के पास ३०० बसें हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग में हो सकता है कि अधिक संख्या में डीजल की हों लेकिन काफी तादाद में पेट्रोल की भी होंगी, कुछ मोटर स्प्रिट वाली भी है। इसी तरह से प्राइवेट आपरेटर्स के पास भी डीजेल व मोटर स्प्रिट सभी तरह की हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि प्राइवेट आपरेटर्स किराया बढ़ा देंगे, वह किराया उस वक्त तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आर्डर न दें। और जब किराया बढ़ता है तो कम आदमी चलते हैं और माइल्स कवर ज्यादा होते हैं तो प्राफिट ज्यादा होता है। तो हमारा जहां तक खयाल है, वे किराये में वृद्धि करने की गलती नहीं करेंगे। उनको जो आशंका है वह कुछ हद तक ठीक हो सकती है लेकिन इसके ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई प्राइवेट आपरेटर बिना परिवहन आयुक्त की आज्ञा के किराया बढ़ा नहीं सकता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी बातें कही गयी हैं लेकिन इन्हीं चन्द बातों को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---चूंकि १ और २ बजे के बीच में मत नहीं लिया जा सकता इसलिये मैं इसे स्थगित करता हूं, फिर किसी समय पर मत ले लिया जायगा। अब आगे का कार्यक्रम लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१†

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---माननीय अधिष्ठाता महोदय....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने उस दिन भी कहा था कि माननीय यादव जी हर चीज के लिये रामबाण हैं, हर मर्ज की एक ही दवाई हैं।

श्री अधिष्ठाता---वह स्वयं शिक्षा उपमंत्री हैं। इस वक्त तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप यादव---ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कई वर्षों से जैसी स्थिति है वह चिन्ता का विषय न केवल सरकार के लिये है बल्कि आम नागरिक के लिये भी रहा है। जैसी घटनायें पिछली कई वर्षों से हो रही हैं उनको देख कर यह कहा जा सकता है कि उससे न तो शिक्षा का स्तर ही ऊंचा हो सकता है और समय-समय पर ऐसी भी स्थिति आ गयी है कि अव्यवस्था हो गयी है, जिससे नागरिकों को भी कष्ट हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, इन कठिनाइयों के कारण जो कुछ भी नतीजा हुआ है उसकी जानकारी आपको मुझसे कम नहीं है। आपने उन परिस्थितियों को बहुत निकट से देखा है और जैसी भी चिन्ता इस माननीय सदन के सदस्यों को है उसका इजहार समय-समय पर होता रहा है। जब कभी शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा

† ९ मार्च, १९६१ को कार्यवाही में छपा है।

सदन में आती थी हमेशा इस बात का जिक्र होता था कि व्यवस्था शिक्षा की विश्वविद्यालय में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिये। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो बहुत अशोभनीय थीं चाहे वह पुलिस के भेजने से सम्बन्ध रखती हों, चाहे इसी प्रकार की कोई और हों लेकिन चिन्ता का विषय है हमारे उन भावी नागरिकों को जिनको हम अच्छा बनाने के लिये वहां भेजते हैं, उनकी जो स्थिति यह हो जाती है वह उचित नहीं है। इसी दृष्टिकोण से यह १० धाराओं का छोटा-सा विधेयक लाया जा रहा है।

इस बीच में उन घटनाओं को देखते हुये इस सदन की यह बराबर मांग थी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जो कुछ घटनायें हो रही हैं, जो कुछ कुप्रबन्ध और अव्यवस्था हो रही है, उसको देखने की दृष्टि से सरकार ने एक आयोग कायम किया। इस आयोग के पास बहुत सा काम है, इसलिये भी रिपोर्ट वह बहुत जल्द नहीं दे सकेगी। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व सरकार ने तिथि निर्धारित कर दी है कि उस दिन तक उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये लेकिन वह आने वाली बात जब होगी उसी समय सरकार उस पर विचार कर सकती है लेकिन जैसी आज की स्थिति है उसमें यह आवश्यक था कि इस विधेयक को लाकर जो आवश्यक धारायें हैं उनको संशोधित किया जाय।

इसमें विषय बहुत नहीं है। मुख्य विषय उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में ही है जिसके द्वारा हर विश्वविद्यालय के अधिनियम में धारा जोड़ी जायगी।

उपकुलपति की नियुक्ति के अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे-छोटे विषय हैं जिनका कि मैं उल्लेख कर दूं।

उपकुलपति की जैसी कि नियुक्ति अब तक इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में होती है वह अधिनियम १९५४ का है। उस अधिनियम में जैसा भी तरीका दिया हुआ था उस तरीके को इस समय यह समझा जाता है कि ठीक नहीं है। इस समय ही नहीं, १९५६ में जब गोरखपुर विश्वविद्यालय का अधिनियम बनाया गया उस वक्त भी शायद यही विचार शासन का था कि जो १९५४ में उपकुलपति के बनाने के बारे में इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय में तरीका रखा है वह शायद सफल नहीं हुआ है। १९५६ में जबकि गोरखपुर विश्वविद्यालय बिल अधिनियम बना उस समय भी उसका तरीका बदल दिया गया। जैसा कि तरीका आजकल लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा में चल रहा है उसका ज्ञान माननीय सदस्यों को है कि ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल जो यूनिवर्सिटी की होती है वह तीन नाम और अगर तीन नाम से ज्यादा उसके बीच में आते हैं तो उनको सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से वोटिंग कराकर कुलपति के पास भेजती है। कुलपति उसमें से एक आदमी को छांट कर नियुक्त करता है।

वैसे तो, श्रीमन्, चुनाव का विषय ऐसा है जिसके बारे में यह कहना कि चुनाव की व्यवस्था ठीक नहीं होती यह तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के इतने उच्च अधिकारी को जैसा कि वाइस-चांसलर होता है जिसका मुख्य काम शिक्षा का है और जो स्वयं ऐकेडेमीशियन होना चाहिये उसके लिये क्या चुनाव का तरीका ठीक है कि नहीं, यह दूसरा विषय हो जाता है। यूनीवर्सिटी को अधिकार है, अटोनोमस संस्थायें हैं, अपना कार्य करती हैं लेकिन वहां पर वाइस-चांसलर को ही केवल अगर नियुक्त किया जाय और उसको चुनाव के अलावा दूसरे तरीके से नियुक्त किया जाय तो कोई गलत न होगा। और वह तरीका जो यह सदन स्वीकार कर चुका है उसके मानने में इस बात की दिक्कत न पड़ेगी कि यूनिवर्सिटी की अटोनामी को छीना जाता है।

दूसरे चुनाव के जो नतीजे होते हैं खास तौर से वाइस-चांसलर बनाने के लिये अगर एक बहुत योग्य व्यक्ति है वह शायद वोटिंग की वजह से इधर-उधर न घूमना चाहे। यही नहीं, वोटिंग की गिनती बढ़ाने के लिये इसकी भूमिका अलग बांधी जाती है और जब ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल की सदस्यता के लिये चुनाव होता है और उससे पहले उस स्थिति को हासिल करने के लिये जब कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को बनाने में सहायक हो सकेगा अपने-अपने तरीके अख्तियार किये जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। न तो उस आदमी को बाहर

[श्री रामस्वरूप यादव]

ही जाना पड़ता है बल्कि एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर वह सेवा भी उस विश्वविद्यालय में करना चाहे एक अच्छे व्यक्ति की तरह तो वह उससे वंचित रह जाता है। उसको अच्छे वोट नहीं मिलते हैं। वैसे तो कुलपति को अधिकार है कि जो भी तीन नाम आये हों उनमें से किसी को वह चुन सकते हैं।

श्रीमन्, अनुभव पिछला यही है कि जब कभी विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति के बारे में ऐग्जीक्यूटिव काउन्सिल में विषय आया है और अगर तीन ही व्यक्ति उसके लिये हुए हैं तब भी यह देखा गया है कि किसी तरह ऐसी वोटिंग हो जावे जिससे ४ आदमी रख दिये जावें, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सबसे ऊपर जाय या मुझे यह आशा है कि मुझे वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं अपना नाम भी रखता हूं साथ ही साथ उसी व्यक्ति का भी नाम रखता हूं चाहे उसे वोटिंग में जीरो ही मिले या कुछ प्वाइंट मिल जायं क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन होता है। तो ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि तीन आदमियों से ज्यादा के नाम वहां पर प्रोपोज हो जायं और उन पर वोटिंग हो। जब कभी ये नाम कुलपति के सामने आते हैं, यह तो मैं नहीं कहता कि ऐसी कोई परम्परा सी बन गयी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलें उसकी ही नियुक्ति की जाय, लेकिन विषय अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि एक तरीका फालो किया गया कि तीन से ज्यादा व्यक्ति हों तो उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोट करा कर उनके नाम भेजे जांय और उनके वोटस् की संख्या भेजी जाय। तो साधारणतया इसकी आलोचना हो सकती है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की गयी, उसमें पक्षपात किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा सकता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि एक को ५.६ वोट मिले और दूसरे को ५.१, तब कुलपति के सामने भी ऐसी स्थिति में यह प्रश्न आ जाता है कि उनकी नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिये। उनकी क्या एकेडेमिक योग्यतायें हैं, इसका भी कोई संकेत नहीं है, न कोई व्यवस्था है। वाइस-चांसलर को इस सब झगड़े से दूर रखने के लिये यह किया गया कि विश्वविद्यालय के अन्दर हम ऐसा वातावरण पैदा कर सकें जो उनका सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का है वह न केवल वोट पर चुन कर आये बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर आये। इसके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट का थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ दूं—

"The whole idea of 'standing as a candidate' for the Vice-Chancellorship must be suppressed. The executive must in no way be limited to considering the names of would be candidates. On the contrary, they should regard man's declared intention of seeking the Vice-Chancellorship as *prima facie* evidence of his unfitness for the post."

मैंने कहा उनका विचार ऐसा था कि यदि वाइस-चांसलर के चुनाव के सम्बन्ध में कोई अपना कैंडिडेट बन कर भी आये तो यह भी उसकी अयोग्यता हो जाती है। इन परिस्थितियों को देख कर यह आवश्यक समझा गया कि उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में उस विधेयक द्वारा तरमीम लाई जाय। उसी के अनुसार मैंने निवेदन किया था कि गोरखपुर यूनीवर्सिटी में एक सिद्धान्त यह आदरणीय सदन स्वीकार कर चुका था और उस सिद्धान्त को ५४ के बाद ५६ में स्वीकार किया गया और ५४ वाला प्रयोग उस वक्त भी सफल समझा जाता तो ५६ वाले में भी वही प्रयोग रिपीट होना चाहिये था लेकिन दो वर्ष बाद यह महसूस हुआ कि जो कुछ लखनऊ और आगरा यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में किया गया है वह प्रयोग उपकुलपति के बनाने में सफल नहीं है।

एक आभास उसका हो चुका था। उस आभास के आधार पर यूनिवर्सिटियों से सम्बन्धित जो नियम हैं उसमें तरमीम करने की आवश्यकता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा में भी दो बड़े सुधार कर दिये हैं। ऐसी एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल की नियुक्ति की है

जिसके सदस्य वाइस-चांसलर का नाम भेजते थे, दूसरे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से सम्बन्धित सज्जन और तीसरे चांसलर के बनाये हुए सम्बन्धित सज्जन लेकिन यह सुधार किया गया कि हाईकोर्ट से बनाये हुए जो सम्बन्धित सज्जन होंगे वे रिटायर्ड जज होंगे या आजकल के जज होंगे । चीफ जस्टिस को अधिकार नहीं होगा कि वह बाहरी व्यक्ति को नामजद कर दें । इसलिये हम यह चाहते हैं कि जिसका भी नाम आये हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज ही उस पर रहे जिससे एक अच्छी राय आ सके ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा तरीका है और यह माना जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जैसा शिक्षा का कार्य चल रहा है शायद वह इस वक्त देश में सबसे अच्छा है और यदि देश में न भी कहा जाय तो इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों से तो अच्छा ही है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। तो वहां भी करीब करीब यही तरीका है । वहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो दो आदमी भेजे जाते हैं उनमें एक नाम वहां के विजिटर का होता है । लेकिन दो आदमी आज की स्थिति में जबकि हम जानते हैं कि अभी वाइस चांसलर जिस तरह से एग्जीक्युटिव कौंसिल में आदमी भेजते हैं उस तरह से दो व्यक्तियों को भेजने का अधिकार अगर दे देंगे तो सम्भवतः जितने अच्छे आदमियों को वहां जाना चाहिये वह न हो सके । यह भी विचार किया गया है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल भी जिस व्यक्ति को वहां बैठने के लिये भेजेगी उसका सम्बन्ध उस विश्वविद्यालय या उसके कालेजों से नहीं होगा । तो मैं समझता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी इन दोनों में जो तरीका है, सिद्धान्त तो वही है सिर्फ उससे थोड़ा सा फर्क हमने सुधार करके कर दिया है और इससे शायद स्थिति में कुछ सुधार ही होगा।

दूसरे, श्रीमन्, धारा ३ में तरीका हमने बदला है और साथ-साथ यह भी प्राविधान कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाय जिसमें कोई वाइस चांसलर न हो तो उस समय के लिये जो ६ महीने से ज्यादा नहीं होगा चांसलर महोदय वाइस-चांसलर की नियुक्ति कर दें। ऐसे समय आये हैं जबकि दिक्कतें पड़ रही थीं कि दूसरे वाइस-चांसलर की नियुक्ति नहीं हो सकी और साथ ही साथ उस वाइस-चांसलर का समय खत्म हो रहा था । और भी ऐसे समय आने की सम्भावना है कि जब रजिस्ट्रार को उस समय के लिये वाइस-चांसलर बनाना उचित न समझा जाय क्योंकि रजिस्ट्रार के लिये जरूरी नहीं है कि वह साहित्यिक व्यक्ति ही हो । मुमकिन है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे रजिस्ट्रार रख लें जिनका अनुभव दफ्तरों का ज्यादा हो क्योंकि रजिस्ट्रार के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा रजिस्ट्रार हो जाता है जो साहित्यिक नहीं है और वहां पर वाइस-चांसलर नहीं रहता है तो उस वक्त उस रजिस्ट्रार को वाइस-चांसलर बनाना उचित नहीं होगा और दूसरे वाइस-चांसलर को नियुक्त करने में कुछ समय अवश्य लगा करता है, इसलिये कि उस समय ठीक आदमी रखा जा सके । चांसलर को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी को वाइस-चांसलर नियुक्त कर दे लेकिन ६ महीने से ज्यादा के लिये वह नियुक्त नहीं कर सकता ।

इसके अतिरिक्त अभी तक वाइस-चांसलर का टर्म पांच वर्ष का था । उसको घटा कर तीन वर्ष कर देने का इस विधेयक में प्रस्ताव है । श्रीमन्, यह तो अनुभव की बात है कि सब एहतियात को रख कर भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें कि अगर किसी वाइस चांसलर को ज्यादा समय दिया जाय तो ज्यादा समय होने की वजह से वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि वह समझता है कि पांच वर्ष तक उसे हटना नहीं है । इसके अतिरिक्त अच्छा व्यक्ति तो पांच वर्ष तक अच्छा काम करेगा लेकिन वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह पांच वर्ष के बाद फिर आ सकता है । इसलिये तीन वर्ष का समय नियत करना आवश्यक समझा गया और साथ ही साथ दोबारा आने पर जो प्रतिबन्ध था उसको हटा दिया गया । इस सम्बन्ध में मैं यह बतला दूं कि अपने देश में काफ़ी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें वाइस-चांसलर का टर्म तीन साल का है, जैसे जबलपुर यूनिवर्सिटी में तीन साल का है,

[श्री रामस्वरूप यादव]

बम्बई में है, मद्रास में है, बिहार यूनिवर्सिटी में तीन साल का है, राजपूताना यूनिवर्सिटी में है, अन्नमलाई में भी तीन साल का है। तो वाइस-चांसलर का टर्म तीन साल का कर दिया और साथ ही साथ यह प्रतिबन्ध कि एक ही टर्म में वाइस-चांसलर रह सकेगा, हटा दिया।

श्रीमन्, मैं यह भी बतला दूं कि पहले बिहार में भी वही तरीका था जो हमारे यहां आजकल है। बिहार ने भी उस तरीके को अपने यहां बदल दिया और पूरे अधिकार चांसलर को दे दिये क्योंकि उन्होंने अपने यहां जरूरी समझा कि जो स्थिति है वह ठीक नहीं है और जो उनके यहां तरीका चल रहा था वह ठीक नहीं था। इसलिये उन्होंने अपने यहां बदल दिया।

श्रीमन्, धारा ३ में वाइस-चांसलर के रिमूवल की भी एक उपधारा जोड़ी गई है। यह एक साधारण सी बात है और निर्विवाद बात है कि वह विशेष परिस्थितियों में ही हटाये जायंगे और सब उससे सहमत भी होंगे कि उनका हटाया जाना जरूरी है। यह चीज देहली यूनिवर्सिटी में भी है। डायरेक्टर आफ मैडीकल ऐन्ड हैल्थ सर्विसेज को इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल का सदस्य रखना जरूरी समझा गया कि इस समय होम्योपैथिक मैडिकल कालेज को आगरा विश्वविद्यालय से एफीलियेट किया जा रहा है। इसलिये उसका रखा जाना आवश्यक समझा गया।

श्रीमन् इसमें एक धारा यह भी जोड़ी गई है जैसा कि पहले विश्वविद्यालय विधेयक में था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का सदस्य होने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं था और कोई व्यक्ति कितने ही टर्म्स तक सदस्य रह सकता था। लेकिन बीच में इसमें तरमीम हुई जिसमें प्रतिबंध लगाया गया कि कोई सदस्य दो टर्म्स से ज्यादा एक्जीक्यूटिव कौंसिल का सदस्य नहीं रह सकता है। श्रीमन्, निवेदन यह है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति देश में हैं जिनका सदैव से शिक्षा संस्थाओं से ही संबंध रहा है और अन्य किसी संस्थाओं से संबंध नहीं रहा है। यदि ऐसे व्यक्तियों को दो टर्म के बाद एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जाने से वंचित कर देंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। जिन व्यक्तियों के इन संस्थाओं में रहने की आवश्यकता है उनको मौका देना चाहिये; अगर वह चुनकर आ सकते हों तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये।

श्रीमन्, जो हमारे यहां होम्योपैथी का कालेज है उसमें हाई स्कूल लड़के लिये जाते थे। यह विषय इस सदन में भी कई बार आया है कि उनको डिग्री नहीं दी जा सकती थी और डिप्लोमा दिया जाता था। अब आगरा विश्वविद्यालय ने कह दिया है कि वह कंडेन्स्ड कोर्स देकर डिग्री दे सकेगा। इसलिये आवश्यकता हुई कि इस विधेयक में परिवर्तन किया जाय। धारा ४ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है और उसी तरह से सम्बन्धित है जिस तरह से सेक्शन ३ आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। कालेजेज के बारे में जो आवश्यकता थी वह तरमीम कर दी गई है। इसी तरह से, श्रीमन्, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में परिवर्तन किया गया है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एक ही तरीका होना चाहिये। इसलिये आवश्यक संशोधन लाया जा रहा है जो धारा ५ में है। धारा ६ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में संशोधन लाया जा रहा है और धारा ७ में वाराणसी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लाया जा रहा है।

धारा ८ ऐसा विषय है जिस पर दो रायें लोग सोच सकते हैं। वह यह है, श्रीमन्, कि आजकल जहां वाइस चांसलर हैं, इस ऐक्ट के लागू होने पर उनका समय समाप्त हो जायगा। और कोई नई बात नही है। श्रीमन्, १९५४ का लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट ....

श्री उग्रसेन—गोरखपुर का भी समाप्त हो जायगा या नहीं, यह जरा बतला दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव—यह जो क्लाज है यह नया क्लाज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—इसको स्पष्ट आप कर दें जो प्रश्न माननीय उग्रसेन जी ने उठाया है।

श्री रामस्वरूप यादव—इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। इस समय न कर सका तो अभी तो यह डिबेट चलेगा, उस बीच में कर दूंगा।

श्रीमन्, मैं इस सिद्धान्त के ऊपर निवेदन कर रहा था कि जहां तक इसके औचित्य के बारे में बात हो रही थी, बीच में भी यह कहा गया, मैं आशा करता था कि समय आने पर इसके बारे में कहा जायगा कि यह गलत है कि मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं उनका समय क्यों समाप्त कर दिया गया, तो, श्रीमान्, इसी सदन के द्वारा स्वीकृत जो विधेयक हैं, जो अब अधिनियम बन गये हैं, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान ले जाना चाहूंगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५४ जैसा था उसका, श्रीमन्, ट्रांजीटरी प्राविजन ४० अगर पढ़ लिया जाय तो स्पष्ट हो जायगा। वह अंग्रेजी में है, मैं आपकी इजाजत से पढ़ दूं :—

"Notwithstanding anything contained in the Principal Act, the Statute or the Ordinances the term of the Vice-Chancellor and every elected officer or Authority of the University, holding office or constituted on the date immediately preceding the commencement of the Lucknow University(Amendment) Act, 1954 (hereinafter called the "Amending Act,") shall determine on the appointment, election or constitution of the corresponding officer or authority in accordance with the provisions of the Principal Act as amended by the Amending Act."

इसी तरह से, श्रीमन्, स्टेट्यूट बने जिसके बारे में हाई कोर्ट भी लोग गए। उस स्टेट्यूट के अनुसार, श्रीमन्, डीन्स थे जिनके कि पहली मई को चुनाव हुए थे और वह ७ मई को समाप्त कर दिये गए। इसके बाद, श्रीमन्, उस बारे में विवाद उच्च न्यायालय में गया, वहां पर कुछ फैसले हुए। उन फैसलों के कारण उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी बिल, १९५९ आया जो कि अधिनियम बना इसी सदन में। उसमें भी यही बात रखी गई। इससे स्पष्ट है कि इस सदन की यह नीति रही है कि नया अधिनियम आने पर जो व्यवस्था उस वक्त थी वह तब्दील हो जानी चाहिए क्योंकि उसके बिना उसका फायदा ही नहीं उठाया जा सकता। यह मैंने बतलाना आवश्यक इसलिए समझा कि जिसमें आप यह समझ जायं कि यह कोई नई चीज नहीं है। यह आदरणीय सदन इस चीज को स्वीकार कर चुका है और उसी के अनुसार कार्य होता रहा है।

श्रीमन्, धारा ९ और १० स्टेट्यूट्स बनाने के बारे में हैं; ये आवश्यक हैं। पहले भी जब कभी अधिनियम बने तो उनमें भी यह धारायें थीं। वैसे तो विश्वविद्यालय को स्वयं अधिकार है अपने स्टेट्यूट्स बनाने का। लेकिन सरकार ने कुछ समय के लिए जिससे तरमीम होने के बाद में उसके अधिनियम सुचारु रूप से कार्य कर सकें, इन स्टेट्यूट्स को बनाने का अधिकार पहले भी अपने हाथ में लिया है और इस समय भी लिया है। इसी तरह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का अधिकार है। यह, श्रीमन्, आपको स्वयं अनुभव होगा और आदरणीय सदन के और माननीय सदस्यों को भी इस बात का अनुभव होगा कि कभी-कभी बहुत दिक्कतें पड़ जाती हैं धाराओं के इंटरप्रेटेशन के बारे में। ऐसी स्थिति आ जाती है जब कठिनाइयों को पार करना मुश्किल हो जाता है जिससे कि विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इस अधिकार को भी उस समय तक के लिए लिया जाय जैसा कि पिछले अधिनियम में लिया गया था। इसलिए धारा १० भी इसमें जोड़ दी गई है।

मैंने, श्रीमन्, अपने विचार रख दिये। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जिन चिन्ताओं से केवल सरकार ही नहीं विरोधी दल के भी कई सदस्य चिन्तित थे कि विश्वविद्यालय के सुधार की आवश्यकता है उनको सरकार पर इस बात के लिए आपत्ति थी। इस सदन में प्रश्न उठाये गये विरोधी दल के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों द्वारा कि शायद इस तरह की नियुक्ति जो वाइस चांसलर की है वह सही नहीं है, तो उन सबको देखते हुए जो सरकार की समझ में

[श्री रामस्वरूप यादव]

आया, वह विधेयक की शकल में आपके सामने प्रस्तुत है। आज की स्थिति को देखते हुए जल्द ही आवश्यकता इस बात की थी जिससे कि हम अगले साल के शुरू होने के पहले एक अच्छी व्यवस्था कर सकें और उस व्यवस्था से विश्वविद्यालयों को ऐसी स्थिति में ला सकें जिससे कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वह अपने अध्यापकों का और विश्वविद्यालय का भी सही तौर से उपयोग कर सकें, इसलिये यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आशा करूंगा कि आदरणीय सदन इस पर विचार करेंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं समय निर्धारण के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। वैसे बिल पर टाइम निश्चित नहीं होता। किन्तु यह महत्वपूर्ण बिल है और इस में अधिक लोग हिस्सा लेना चाहेंगे। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावक के लिये २० मिनट और बाकी लोगों के लिये १०-१० मिनट का समय निश्चित रहे।

श्री उग्रसेन—उस समिति नें, जो विजनेस ऐडवाइजरी समिति है, अभी इस सिलसिले मे कोई समय निर्धारित नहीं किया कि इतना समय इसको दिया जायगा। मैं समझता हूं जब तक समय निश्चित न हो माननीय सदस्य बोलते रहें और फिर उसके बाद जैसा देखा जाय वैसा किया जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का इस सिलसिले में समय का कोई फैसला न हो जाय तब तक बिल पर कोई समय निर्धारित न होना चाहिये। मैं समझता हूं आप ऐसे प्रस्ताव की अनुमति नहीं देंगे।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—मैं अभी बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में गया था। वहां पर अध्यक्ष ने यह कहा कि इस पर आज तो ऐसे ही बहस चलती रहे और कल सबेरे फिर कमेटी बैठे तब इस पर निर्णय हो कि कितना समय इसके लिये लिया जाय। इस समय के लिये मेरा सुझाव है कि इस पर अभी कोई समय निश्चित न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं यह समझता हूं कि अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि जब तक बिजनेज ऐडवाइजरी कमेटी इसके लिये समय निर्धारित न करे तब तक इस पर समय का बन्धन नहीं लगाया जाय। इसलिये जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं उन केलिये कोई समय निर्धारित नहीं होगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी परिधि को विस्तृत कर सके और जो अपना प्रतिवेदन आगामी एक माह में प्रस्तुत कर देवे।

श्रीमन्, आज हमारे सामने विश्वविद्यालय विधेयक जो प्रस्तुत है और जिसको हमारे शिक्षा उप मंत्री ने योग्यता के साथ रखा है और उसको रखते समय उन्होंने जो उद्देश्य और कारण बतलाये उन सबको हमने बड़े ध्यान से सुना। इन उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि "विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र की हाल की प्रवृत्तियां तथा घटनाक्रम सरकार के लिये गम्भीर चिन्ता के विषय रहे हैं।" मैं इस बात को माने लेता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो घटना चक्र पिछले दो सालों में हमने देखा वह न केवल चिन्ता, गम्भीर चिन्ता की बात थी बल्कि दुखद बात रही है। हमारे उपमंत्री जी ने अपने भाषण के अन्त में कुछ चिन्ता का जिक्र किया। विरोधी पक्ष के लोगों में भी इस विश्वविद्यालय के प्रति गम्भीर चिन्ता रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान पिछले २,३ साल की तरफ ले जाऊं तो इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आप यह महसूस करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय मुख्य रूप से इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनायें हुई हैं जिनको लेकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। उन घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार और विरोधी-पक्ष को बराबर चिन्ता रही है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के घटनाचक्र के दौरान मे हमारे नेता राजनारायण जी ने भी उसको शान्त करने में अपना योग दान दिया और परिणामस्वरूप उनको कारावास का दंड दिया गया। सभी कार्यों का हम सिंहावलोकन करके देखें तो यह कहना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय की पृष्ठ-भूमि चिन्ताजनक रही है। उन चिन्ताजनक वस्तु को दूर करने के लिये सरकार ने जो तरीके अख्तियार किये उनके परिणामस्वरूप आज हमारे सामने विधेयक प्रस्तुत है और हम उसी कसौटी पर उसको कसना चाहते हैं। इसी उद्देश्य और कारण में सरकार ने आगे यह भी कहा है कि "इस बीच में इस बात का तीव्रता से अनुभव किया गया है कि निर्वाचन पद्धति द्वारा उप-कुलपतियों की नियुक्ति करने की वर्तमान प्रक्रिया उतनी संतोषप्रद सिद्ध नहीं हुई जितनी आशा की जाती थी। इसके विपरीत उसने विश्वविद्यालयों के भीतर दलबन्दी और गुटबन्दी को जन्म दिया है।" वगैरह, वगैरह। जब यह भूमिका हमारे सामने है कि विश्वविद्यालयों में कुछ गंभीर चिंतना का वातावरण पैदा है और सरकार अब कुछ सुधार की ओर बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि क्या इन सुधारों के परिणामस्वरूप यह स्थिति कुछ सुन्दर, संतोषप्रद और शान्तिमय हो सकेगी। विश्वविद्यालयों में शान्ति पैदा करना एक बात है, लेकिन उनमें सुधार करना, उन्हें किसी एक मार्ग पर ले जाना, दूसरी बात है। इस कसौटी पर भी हम इन सुधारों को कसना चाहेंगे।

आज सरकार ने थोड़े से संशोधन ही इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत किये हैं और उपमंत्री जी के कथनानुसार हम अगर देखें तो केवल १० धारायें संशोधन के रूप में हमारे सामने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रस्ताव रखा है, मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को लेकर हम विचारविमर्श, परामर्श कर और इसके लिये उचित होगा कि यह विधेयक एक प्रवर समिति में जाय जिसे इसकी परिधि को बढ़ाने का भी अधिकार हो और हम उस शान्तिमय वातावरण में इस के सभी पहलुओं पर विचार करें, देखें। मैं चाहूंगा कि आप केवल इन १० धाराओं पर ही विचार न करें, बल्कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों, पर, जो उच्च शिक्षा देने के लिये बाध्य हैं और जिनके द्वारा हम देश में सुन्दर नवयुवकों की एक जनरेशन पैदा करना चाहते हैं, इस दृष्टि से सब पर विचार करें।

आज हमारी सरकार की तरफ से जो विधेयक लाया गया है उसमें केवल तीन या चार बातों का उल्लेख है और उन्हीं तीन चार बातों का सुधार करने का प्रयास सरकार ने इसमें किया है और उसमें मुख्य प्रयास सरकार का उपकुलपति के चुनाव की प्रणाली के संबंध में है और विशेषतया सरकार ने चिन्तना प्रकट की है कि यदि हम उपकुलपति का चुनाव ठीक ढंग पर कर लेंगे तो बाकी सभी समस्याएं हल हो जायंगी। मैं इस बात से विरोध करता हूं और उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि वे उपकुलपति की चुनाव प्रणाली में चाहे जितना ही हेर-फेर कर लें, लेकिन जब तक विश्वविद्यालयों में मौलिक सुधार नहीं किया जायगा तब तक विश्वविद्यालयों की शिक्षा से हमें वह परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जिनकी हम आशा करते हैं।

यह भी कहा गया कि एक आयोग बैठा है और वह आयोग उन सभी बातों पर ध्यान दे रहा है। मैं जानता हूं कि आयोग सर्वशक्तियों को लेकर बैठा है और निकट भविष्य में अपनी सिफारिशें भी सरकार के सामने रखेगा, लेकिन कभी-कभी आयोग की बात सुनने पर हमें वह बात याद आ जाती है कि जब सरकार किसी बात को टालना चाहती है तो उसके लिये वह एक कमीशन को मुकर्रर कर देती है। आप देखें कि १९६२ तक उसकी रिपोर्ट आयेगी और उसके बाद हम उस पर विचार कर सकेंगे। सरकार को यह कहने का मौका मिल जायगा कि हमने ५ साल तक प्रयास किया। आपने यह भी चिन्तना प्रकट की है कि सरकार ने

[श्री मोतीलाल अबस्थी]

विश्वविद्यालय आयोग के अतिरिक्त एक अन्य आयोग माध्यमिक शिक्षा के संबंध में नियुक्त किया था, किन्तु उसका जन्म होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी। ढाई, तीन महीने वह किस गर्भ में रहा, पता नहीं, किन्तु बाहर संसार में वह आ नहीं पाया।

आज दूसरा आयोग हमारे सामने है और यह कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट में चूंकि विलम्ब होगा अतः सरकार चाहती है कि कुछ आवश्यक सुधार सदन विचार करके कर ले और यह विधेयक पारित कर दिया जाय ताकि वे सुधार लागू हो सकें। मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि अगर सरकार का यही मंशा है कि जो वर्तमान उपकुलपति हैं उनके कार्यकाल को खत्म करके कुछ नये उपकुलपति आ जांय, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह बात कहने में मुझे हिचक नहीं है कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय जो कालीप्रसाद जी द्वारा संचालित है, अथवा इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो चल रहे हैं, उनके प्रति हमको संतोष नहीं है। उनके जो पिछले पृष्ठ हैं उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि न केवल उन्होंने विश्वविद्यालय का संचालन अच्छे ढंग से नहीं किया, बल्कि विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण भी नहीं दिया और जिनके आधार पर हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं उनमें ऐसे कीटाणु पैदा कर दिये हैं कि जो बढ़ रहे हैं और उन्हीं को काटने दौड़ते हैं। यदि ऐसे उपकुलपतियों को हम बदलने के लिये कोई कदम उठाते हैं तो बेजा नहीं करते और हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि जो औषधि इस समय हम इस कार्य के लिये प्रयोग में ला रहे हैं वह कहां तक ठीक है, क्योंकि यह औषधि ऐसी औषधि है जो कि महज इसी समय इन उपकुलपतियों के लिये नहीं होगी वरन् उसका असर आगे आने वालों पर भी पड़ेगा।

आज इस विधेयक को अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि आधे से ज्यादा हिस्सा उपकुलपतियों के संबंध में ही है। उनके लिये एक नयी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। अभी तक सरकार ने गोरखपुर के संबंध में उस नयी प्रणाली को अपनाया है और उस नयी प्रणाली को आज सभी विश्वविद्यालयों में करने का सुझाव हमारे सामने लायी है। उन्होंने कहा कि इस नयी प्रणाली को गोरखपुर में अपनाया जा चुका है। यह कहने से ही उनके तर्क को कोई विशेष बल नहीं मिल जाता। हमें कुछ और बातों की तरफ भी ध्यान देना होगा। गोरखपुर में भी उस प्रणाली को अभी तक हम ठीक प्रकार से प्रयोग में नहीं ला पाये हैं। हमारे देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुए एक सदी से भी ज्यादा समय हो चुका है। सन् १८३२ में पहले पहल एक यूनीवर्सिटी बनी थी। उस समय से अब तक जो भी उसके तरीके थे और अब क्या करने का सुझाव है, उन सभी पर हमको ठीक प्रकार से सोचना होगा।

हमारे सामने राधाकृष्णन रिपोर्ट है, मूयम कमीशन की रिपोर्ट है, उन लोगों के जो विचार हैं उनको हम समय-समय पर यहां पर रखते आये हैं। उस तरफ से भी उनको कोट किया जाता है। वे हमारे लिये एक तरह से बाइबिल की तरह से हैं। हमारे मंत्री जी ने भी अभी १ उदाहरण उसमें से दिया मगर तथ्य की बात को उन्होंने नहीं पढ़ा। इसी संबंध में एक कहानी याद आ गयी। एक सज्जन कहने लगे कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिये, यह कुरान में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया कि एक हिस्से पर हाथ रख लिया और आगे का हिस्सा पढ़ दिया जिसमें यह लिखा था नमाज न पढ़ी जाय। किन्तु उसके पहले यह लिखा हुआ था अगर कोई व्यक्ति नापाक हो तो उस वक्त नमाज न पढ़ी जाय। इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा उसके पहले के जो पैराग्राफ थे उनको नहीं पढ़ा। उन्होंने अगर उनको भी पढ़ा होता तो बात साफ हो गयी होती। राधाकृष्णन रिपोर्ट के उस पैराग्राफ को भी मैं पढ़ देना चाहता हूं....

".....that, it is really a part of a university's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that therefore to deprive it of this duty would be a counsel of despair.,"

श्री अधिष्ठाता—आप उसका हिन्दी में भी तर्जुमा कर दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं बहुत सुन्दर तरीके से तरजुमा कर दूंगा । इसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटियों का यह कर्त्तव्य है कि किस तरह से उपकुलपति को चुना जाय । उसमें उनकी अक्लमन्दी का यह मुख्य हिस्सा है । इसमें उन हिफाजतों को बताया गया है जिनका हमेशा पालन किया जाना चाहिये । वह हिफाजतें यह हैं कि कुलपति जब उपकुलपति को चुने तो कार्यकारिणी की सिफारिश के आधार पर चुने । दूसरा यह है कि कार्यकारिणी द्वारा केवल एक और एक ही—आप जरा इस पर ध्यान दें केवल एक ही नाम भेजा जाय, लेकिन यह बात जरूर है कि अगर कुलपति पसन्द न करे तो वापस भेज दे, भेजने का काम यह स्वयं अपना कर सकता है । तीसरे यह कहा है कि ऐसा कार्य करते समय उसे बड़ी गोपनीयता बरतनी चाहिये कि किसको मुकर्रर करना चाहता है । उन्होंने कहा है कि बेशक, कभी-कभी कार्यकारिणी के दरमियान कुछ मत-भेद हो सकता है तो यह सम्भव है कि कार्यकारिणी के अन्दर मत देने का प्रश्न उपस्थित हो जाय, लेकिन इस चीज को इस प्रकार से रखे कि कभी भी उसका उद्घाटन न हो पाये कि किस नाम को भेज रहे हैं, जब तक कि वह नाम कुलपति के पास न पहुंच जाय । उन्होंने यहां इशारा कर दिया है कि अगर कार्यकारिणी के सदस्य चाहें तो जिस आदमी को उचित समझ रहे हैं उसके पास जाकर उससे राय कर लें कि आपको यह कार्य भार दिया जा रहा है, आप इसको उठाने के लिये तैयार हैं या नहीं । इससे उस आदमी का मन्तव्य भी स्पष्ट हो जायगा ।

अब राधाकृष्णन कमीशन ने जो इशारा और सहायता दी है, उसको अगर देखें तो मुख्य लक्ष्य यह है कि वाइस चांसलर का चुनाव करते समय कार्यकारिणी की सलाह अवश्य ली जाय, जैसा कि हिन्दुस्तान के हर विश्वविद्यालय में होता है, केवल एक उदाहरण को छोड़ कर जो मंत्री जी ने बताने की कोशिश की है । तो मैं इस बात का इशारा अवश्य कर दूं कि मेरी इस सारी तर्कना का सार यह है कि चुनाव प्रणाली को अगर हम तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं इस शंका को दूर कर दूं । चुनाव प्रणाली जिस वीभत्स रूप में दिखलाई गयी, यह तो मौके की कहने की बात हुई । अगर हम उसको बुरा बतावेंगे तो हम इस सदन में बैठ भी नहीं पायेंगे, क्योंकि हम चुनकर आये हैं, इसलिये चुनाव प्रणाली किसी तरह से बुरी नहीं बतायी जा सकती । चाहे इस विधान सभा की या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की बातें हों, चुनावों के अन्दर जो एक कैनवेसिंग होती है, जो एलेक्शनिरिंग होता है, जिसको सभी जानते हैं, उसको दूर करने की अवश्य जरूरत है । इसलिये राधाकृष्णन कमीशन में इस बात का निर्देश है कि कार्यकारिणी केवल एक नाम को ही प्रस्तावित करे । उसमें यह होगा कि हर एक आदमी विभिन्न राय का होते हुए भी उनको एक जगह केन्द्रित होना पड़ेगा और चुनाव के विवाद छट जायेंगे । इसके विरुद्ध लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें व्यवस्था रही है कि चुनाव हो तो तीन नाम तक भेजें । अन्ततोगत्वा तीन नाम तो हो ही जायं । उन तीन नामों में कुलपति अपने को बाध्य समझता था कि जिसको जितने अधिक मत मिले उसी रूप में उसको पसन्द करे । तो यह त्रुटि कहां से पैदा हुई ? विश्वविद्यालय अधिनियमों में यह बात पहले से ही मौजूद है । उन्होंने कानून के अन्तर्गत एक से अधिक नाम प्रस्तावित करने में अपने को बाध्य समझा जिससे कन्वेसिंग और एलेक्शनिरिंग वगैरह सभी बातों की सम्भावनायें पैदा हो गईं । यदि हम राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित होकर चलते रहते तो मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति पर न पहुंच पाते । हमने यह भी देखा है कि इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति के स्थान पर गुर्टू और कुंजरू जैसे आदमी चुने गये जो निर्विवाद रहे, कभी कोई शंका नहीं हुई । क्या उस समय अधिकार नहीं था कि तीन नाम पेश करते लेकिन उन्होंने एक नाम भेजा ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सरकार के मुंह से यह कहा जाना अच्छा नहीं लगता कि चुनाव का तरीका ही दोषपूर्ण निकला इसलिये वह नया तरीका प्रयोग करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि जो तरीका उसने बतलाया है वह कसौटी पर कसने से उचित निकलेगा। एक अजीब तरीका हमारे सामने रखा गया है। सरकार कहती है कि निर्वाचन प्रणाली खत्म करके उसके स्थान पर चयन प्रणाली लायी जाय। लेकिन उसमें कौन चुनाव करने वाला होगा? कुलपति को ही एक आर्बिट्रेरी पावर, डिक्टेटरशिप की पावर दी जा रही है। कुलपति जिसको चाहे चुन ले। इसमें एक बहाना किया गया है कि तीन आदमियों की कमेटी रहेगी। उसमें कौन-कौन आदमी होंगे? एक तो उन्हीं का आदमी होगा जिससे यह कह दिया जायगा कि फलां आदमी का नाम लिखकर भेज दो। अब रहे दो आदमी। एक के लिये आपने जरूर सुधार किया है कि वह जज होगा। एक आदमी एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ से आयेगा।

अब एग्जीक्यूटिव कौंसिल अपना एक नाम भेजती है, गवर्नर का नामिनी भी नाम भेजता है और जज भी नाम भेजता है तो इन तीनों नामों को चुनने वाला फिर वही है जिसने अपने आदमी को भेज दिया है कि फलां आदमी को रख देना। तो आप अपने आदमी का प्रस्ताव भी कराते हैं और उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। इसमें जीतने वाला कार्ड कुलपति के पास है। फिर कुलपति को हमारे यादव जी सलाह भी देंगे। अब हमारे कुलपित कांस्टीट्यूशनल काम करना चाहें तो भाग कर कहां जांय। हमारे महामान्य राज्यपाल जो बोलते हैं वह उनके मुंह में रखकर कहलवाया जाता है, कलम पकड़ कर दस्तखत कराया जाता है। फिर हम कैसे कहें कि वह स्वतन्त्र हैं। वह तो मंत्रिमंडल की बात मानेगें ही। यह सरकार चाहती हैं कि उसके नामांकित किये हुये सदस्य यूनिवर्सिटी में जाकर बिठाले जायं और कार्यकारिणी के सदस्य तो दस पंद्रह साल तक जमकर बैठें। इसमें यह भी है कि सरकार अगर चाहे तो ६ महीने तक इमर्जेन्सी में मनमानी करे। मैं जानना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी कौन सी चीज है। यह विधान जब पास हुआ था तो आप जानते हैं आप भी कांस्टीट्यूशन ला के पंडित रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मुताबिक गवर्नर और गवर्नर-जनरल को इमर्जेंसी पावर्स थीं, जिन्हें इस विधान ने खत्म कर दिया कि अब उनके सर्वाधिकारों की आवश्यकता नहीं हैं। फिर कुलपति को एमर्जेंसी पावर ६ महीने की क्यों? इसके साथ ३ आदमियों की चयन कमेटी की बात भी है। हर हालत में उन्हीं की दखलन्दाजी बताती है कि सरकार एक नयी पावर लेना चाहती है। जैसे कैबीनेट बनने के बाद डिप्टी मिनिस्टिर्स इत्यादि चुने जाते हैं वैसे ही वाइस-चांसलर भी चुना जायगा। माना कि अमरीका के पैटर्न में यह है कि हैड्स को प्रेसीडेंट चुनता है या बनाता है। अगर वह पैटर्न लाया जाता है तो बात दूसरी है लेकिन खुलकर सरकार वह भी नहीं कहती।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। राधाकृष्णन कमीशन ने बहुत जोर देकर कहा है कि कार्यकारिणी समिति या कौंसिल संचालन करने वाली समिति होगी और इसके हाथ में सारी मंशा रहा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक जनरल बाडी जिसे कोर्ट या सिन्डीकेट कहते हैं उसमें हो सकती है और हर तरह के आदमी उसमें हों जिनकी तादाद १० से कम नहीं और २० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। आज सरकार ने उसकी शकल बदलने की जो कोशिश की है, मैं चाहूंगा कि वह उसे अच्छी तरह बदले। उन्होंने एक पत्ता उठाया है और कहते हैं कि शिक्षा विशारदों को इतना समय दिया जाय कि दिनभर उसी में लगे रहें। शिक्षा विशारद कहना और अशिक्षा विशारद कहना सरकार के हाथ की कौड़ी होगी। इसी विधान सभा में बिधेयक पास हुआ था, और अभी उसकी स्याहीं भी नहीं सूखी होगी कि २ टर्म के बाद तीसरी टर्म उचित नहीं होगी। एक ओर अगर तीन सयानों की समिति उचित है, चयन कमेटी उचित है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य को २ टर्म के अलावा ३ टर्म तक रहना कैसे उचित है? आप देखें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ३ साल का टर्म जरूर है, गोरखपुर और लख-

नऊ में भी तीन साल का है लेकिन आगरा में ५ साल का है और इसके हैं मानी यह कि १५ साल तक एक आदमी रह सकेगा। जहां कहीं यह तीसरी टर्म की बात रखी गई है वहां यह भी रख दिया गया है--मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूं---इसमें लिखा है कि

'For the purpose of this proviso the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of term of membership at the time of commencement of this Act.'

यानी इस कानून के प्रारम्भ होने पर २ टर्म गिनी जावेंगी। यह शायद ५८ में बना, तो ६४ तक २ टर्म उनको पहले ही से मौजूद थीं। जब जब दो टर्म की बात कही गई है, उसके साथ एक प्रोवाइजो हमेशा लगा रहा है कि इस ऐक्ट के कमेंसमेंट के बाद से इसे गिना जायगा। हाल ही में सन् ५८ में, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुए। तो ५८ से २ टर्म पहले ही बाकी हैं और तीसरा सरकार बढ़ाना चाहती है, तो सन् ६७ तक के लिये सरकार उनको जमा देना चाहती है।

शिक्षा विशारदों का यह सरकार कितना आदर करती है, इसका पहला नमूना तो यह है, हमारे कमलापति जी त्रिपाठी अब दर्शन भी बहुत कम देते हैं और आते हैं तो कहीं सिरे पर बैठकर निकल जाते हैं, उनके ये शब्द सुनते-सुनते मैं थक गया---मैं एक अध्यापक हूं और शिक्षा के लिये बड़ी आशा लेकर आया था परन्तु वह शिक्षा के उद्देश्य ही या लक्ष्य ही न बता पाये, १ साल बीत गया, २ साल बीत गये, ३ साल बीत गये और ४ साल बीत गये और अन्त में एक आयोग बैठा दिया। विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिये बैठाया। शिक्षा विशारदों को निमंत्रण हुआ और कहा कि अगर कोई तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिये माफी मांगते हैं। सरकार के शब्द बड़े सुन्दर हैं, वे मैं आपको सुना दूं, आपको सुनकर कौतूहल होगा।

श्री अधिष्ठाता---विश्वविद्यालय आयोग तो अभी कायम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---शिक्षा विशारदों को निमंत्रण सरकार ने दिया और फिर उसे वापिस कर लिया, वह भाषा मैं आपके सामने सुना देना चाहता हूं। कितनी सुन्दर भाषा यह सरकार प्रयोग में लाती है अपने शिक्षा विशारदों के लिये जिनको वह कभी-कभी न्यौता देकर बुला लिया करती है।

"Government apologizes for the inconvenience that you might have taken on being invited.....".

ऐसे ही कुछ शब्द हैं। लौट गये वे लोग बेचारे खाली हाथ अपने घर। अब देखिये बाकी शिक्षा विशारद कितने दिन तक कायम रहते हैं। जरूर मैं आपके द्वारा कुछ थोड़े से सुझाव रखने की कोशिश करूंगा कि विश्वविद्यालयों में कुछ हेर-फेर सरकार करे। अगर सरकार उनको मानकर अच्छी तरह चलने देगी तो आये दिन हड़ताल, लाठीचार्ज, विद्यार्थियों को कारावास, वह भी डिटेंशन विदाउट ट्रायल, और उसके बाद २ महीने तक बन्दी, पी० ए० सी० बटालियन का बैठाना, क्या इन कामों से सरकार बरी होगी? हमारा परीक्षण यह है कि उपकुलपति को चाहे जैसा बनाकर बिठा दें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को बनाने में, उन्हें रास्ते पर लगाने में, इस काम में सरकार कितनी कामयाब होगी, यह एक कसौटी होगी। इस पर सरकार का परीक्षण आज हो, कल हो, १० साल बाद हो, लेकिन वह होगा।

सरकार ने इन तमाम परिवर्तनों के साथ यह कहा कि हम अब डायरेक्टर आफ एजूकेशन को और डायरेक्टर आफ मेडीकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज को इसमें शरीक करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। डायरेक्टर आफ एजूकेशन वैसे पहले से ही हर जगह मौजूद है। कोर्ट में तो वे थे ही लेकिन कार्यकारिणी में करने की बात उनके लिये कैसे आयी सरकार इसका कारण हमको बताती। हां, इस रूप में यह बात हो सकती है कि

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उसके आने से विद्यार्थियों की सेहत पर अधिक ध्यान दिया जायगा। लेकिन यह बात भी नहीं है। विद्यार्थियों की सेहत का नमूना आप देख लें, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट से जिस में उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों की इन्टेलीजेंस पावर बहुत ही गिर गयी है । इसका कारण राधाकृष्णन और विनोबा जी ने बताया है लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि विद्यार्थियों की सेहत पर ध्यान दिया जायगा लेकिन यहां विश्वविद्यालय आयोग के टर्म्स आफ रेफेरेंस में वह भी नहीं है ।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

डायरक्टर आफ मेडीकल हेल्थ के लिये तो यह समझा भी जा सकता है कि विद्यार्थियों की सेहत में सुधार करने के लिये सरकार ऐसा कर रही है लेकिन डायरेक्टर आफ एजूकेशन कार्यकारिणी में शामिल क्यों किया जा रहा है ? वे कोर्ट में और सीनेट में तो पहले से ही थे । क्या उसके द्वारा सरकार अपने अल्पमत को बहुमत में तो बदलना नहीं चाहती है ? राधाकृष्णन ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्बरों में बैलेंस होना चाहिये और उस बैलेंस का झुकाव थोड़ा सा इन्टर्नल की तरफ होना चाहिये । इसके मानी हैं कि ऊंचे से ऊंचे शिक्षा विशारद भी इस बात को मानते हैं कि एक्सटर्नल और इंटर्नल में बैलेंस होना चाहिये जिससे काम सुचारु रूप से चले । अगर संचालन सुचारुरूप से होता तो आज ऐसी परिस्थिति न आती कि एकजीक्यूटिव के निर्णय देने का मौका ही छिन जाता। यह कहा गया है कि अब केवल कुलपति ही निर्णय लिया करेंगे । अगर उसमें कुछ विद्यार्थियों के हित की बात होती तब तो मैं उस के बारे में कुछ ध्यान भी देता ।

जितनी भी एग्जीक्यूटिव आज हैं उनमें ऐसा भी सदस्य रहता है जो स्टुडेंट्स वेलफेयर को रिप्रेजेन्ट करता है लेकिन वह एकेडेमिक रूप में काम करता है । वह उस सारे काम को ही पूरा नहीं कर पाते हैं । क्या उस काम को पूरा करने के लिये सरकार ने डायरेक्टर आफ मेडीकल ऐण्ड हैल्थ सर्विसेज को रखा है ? आपको यह हमें बताना चाहिये था कि उसको वहां रखने का कारण क्या था और बतलाते कि क्या इंटरनल और एक्सटरनल बैलेंस बिगड़ गया था जिसको ठीक करने के लिये यह किया जा रहा है ? ऐसी बात हमारे सामने नहीं है इसलिये हमको तो सरकार के ऊपर शंका ही होती है ।

श्रीमन्, हर विश्वविद्यालय चलाने के लिये जहां कि इन विश्वविद्यालयों के अधिनियम बने हुए हैं उन्हें आप देखें तो जितनी भी अथारिटीज हैं जो विश्वविद्यालय को चलाती हैं उनमें चार चीजें आवश्यक हैं । एक तो सिनेट या कोर्ट का होना दूसरे एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होना । कहीं कहीं फाइनेंस कमेटी है और चौथे फैकल्टीज का होना ये चार अंग ऐसे हैं जो यनिवर्सिटी को बनाते हैं । इन सब अंगों की तरफ सरकार का ध्यान पूरा-पूरा नहीं गया । सरकार ने केवल एक्जीक्यूटिव में एक दो हेरफेर किये हैं और ये सब काम यों ही पड़े रहे हैं । सरकार ने कार्यकारिणी के सम्बन्ध में कुछ मामूली सा हेरफेर प्रस्तुत किया है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा जो और बहुत से अन्य संशोधन हमारे सामने हैं उनको भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं ।

सरकार ने ट्रेजरार के सम्बन्ध में एक दफा रखी है लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए उसका कोई उल्लेख नहीं किया । सरकार ने इस दफा को जिस तरह से रखा है उसको मैं पढ़ देता हूं।

"The provisions relating to resignation, conditions of service, filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties of the Treasurer, shall be such as may be prescribed by Statutes."

अब पहले जो धारा थी उसमें हेर-फेर किया गया है उसको भी मैं पढ़ देता हूं जिससे आप समझ जायेंगे कि वह किन शब्दों में थी :

"The provisions relating to resignation, conditions of service other than emoluments, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (2), (3), (8) and (9) of section 10 shall *mutatis* outandis apply to the office of Treasurer."

जो पहला तरीका था इन वाइस चांसलरों के मुकर्रर करने का, उसके लिये नियम में था कि उनके क्या क्या फंक्सन हैं। वह अब तक लागू था। यानी कुलपति अपने निर्णय करने के लिये कार्यकारिणी के सलाह के मुताबिक कहीं-कहीं बाध्य था लेकिन अब सरकार ने स्टेट्यूट के अन्दर उन अधिकारों को ले रखा है।

जहां तक डेलीगेटेड पावर लेने की बात है अब तक सरकार के हाथ में कोई इसके लिये व्यापक अधिकार नहीं था लेकिन अब सरकार ने इसको अपने हाथ में लेकर इसे व्यापक बनाने की चेष्टा की है। एक तरफ तो यह कहा गया है कि ट्रेजरार की तनख्वाह कम हो लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कंडीशन आफ सर्विस के लिये स्टेट्यूट बनाया जायगा। अब स्टेट्यूट को बनाने में कितनी अवधि ली जायगी यह मैं नहीं कह सकता।

अब सरकार ने जो माइनर हेरफेर किये हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बतलाया गया है कि किसी संस्था द्वारा किसी बोर्ड आफ मेडिसिन द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्जामिनेशन के लिये हाई स्कूल कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है मैं उसका स्वागत करता हूं। एक तरफ यह भी कहा गया कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज को यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुएंट कालेज बना दिया जायगा। इस सम्बन्ध में भी मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक विशेष बात है जिसे देख कर मुझे बड़ी हैरत हुई, हैरत की बात यह है कि वाइस चांसलर के लिये अनर्हता की एक धारा रखी गयी है। मुझे याद आता है कि पंचायतों के पंचों की धारा में ही क्या उपकुलपति भी बहने लगे? मैंने पंचायत ऐक्ट में पढ़ा था और यही शब्द यहां थे कि इन सेन न हो, दिवालिया न हो, मारल टरपिट्यूड वाला न हो ....

श्री उपाध्यक्ष—यही असेम्बली के मेम्बरों के लिये भी है। (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी—अब पता नहीं कि अभी तक इस प्रकार की अनर्हता से उपकुलपति कैसे बरी रहे और अब कौन सी आवश्यकता इसको लागू करने की पड़ गई? क्या अब उनमें से कोई मारल टरपिट्यूड के लोग मौजूद हैं?

एक सदस्य—मिनिस्ट्री में मौजूद हैं?

श्री मोती लाल अवस्थी—जी हां, आप की खोज गहरी है। अब ऐसा मालूम होता है कि कोई वाइस चांसलर इनसेन है, अगर इनसेन न होता तो पी० ए० सी० क्यों बुलाता गोलियां क्यों चलवाता? अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है जब कि इनसेनिटी देख ली गई, जब कि गिरफ्तारियां हो चुकीं, गोलियां चल चुकी, जेल लोग भेजे जा चुके। अब मालूम हुआ कि कोई इनसेन है। कोई मारल टरपिटूयूड के आदमी नहीं रह गये हैं यह अब एक नई डिसक्वरी है और उसी के फलस्वरूप सरकार अब इसको जोड़ रही है। इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं लेकिन इस को जोड़ कर सरकार ने अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। जब आप कहते हैं कि ३ सयानों के द्वारा इस कार्य को करावेंगे, ३ में हाईकोर्ट के जज होंगे, एक गवर्नर के नामिनी होंगे और एक एग्जिक्यूटिव कौंसिल का नामिनी होगा। मैं समझता हूं कि इनसे अधिक अच्छा चुनने वाला और कौन हो सकता है। उनकी निगाह से इनसेन, दिवालिया

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

या मारल टरपिट्यूड से प्रभावित आदमी किस तरह से छूट सकता है ? यह धारा एक अपमान है कुलपति का कि इस प्रकार के कुलपति अब देश में हो सकते हैं कि जो इन अनर्हताओं से प्रभावित हों। यह हो सकता है कि बाद में कोई इनसेन दिवालिया या आचरणहीन हो जाय, लेकिन फिर भी तो लक्षण पहले से ही मालूम हो जाते हैं । मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं कि धारा ९ के पश्चात नई धारा ९–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दी जाय :

"Notwithstanding anything contained in section 9, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds :

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude.

and his term of office shall thereupon determine".

बावजूद इसके कि इस तरह के ३ सयाने सेलेक्शन करेंगे लेकिन फिर भी चांसलर को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन बातों के होने पर वाइस चांसलर को हटा सकता है । यह बड़ा सौभाग्य है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो कानून बना है वह हिन्दी में बना है और आगे भी वह हिन्दी में ही बनता जाता है लेकिन जो पहले के बने हुये हैं वह सब अंग्रेजी में है वह अंग्रेजी से ही ओतप्रोत है। अंग्रेजी ही यहां की सरकार को पसन्द है । अब जो बाते मुझे कहनी थीं वह सारांश में कहनी हैं । वह यह है कि विश्वविद्यालय के शिक्षण का जो ब्योरा हमारे सामने रखा है और उसके लिये जो कारण बताये हैं उन सभी से मैं सहमत नहीं हूं । मुझे देखने को मिल रहा है कि सरकार ने केवल एक अंग को ही लेकर अब तक कार्य किया है और उसी के ऊपर इस विश्वविद्यालय शिक्षण की व्यवस्था में परिवर्तन करने का साहस किया। आज हमसे यह भी कहा गया है कि जितने भी हम सुधार करेंगे उनको तत्काल हम कर देंगे । जितने भी कुलपति हैं उनको हम तत्क्षण हटायेंगे । स्वागत है आपको इसके लिये और उसे आपको करना चाहिये क्योंकि अगर इन कामों में देरी की जायगी तो औषधि के आते आते मर्ज बढ़ जायगा । लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि सरकार डाल डाल है तो वह पात पात । कभी कभी यह हुआ करता है कि एक कठिनाई का निवारण जरूरी हो जाय तब तक वह कठिनाई और आगे बढ़ जाती है और यह सम्भव है कि ट्रांजिटरी पीरियड के लिये जो भी आप नियम बनावें वह पारित न हो पावे और अगर उसमें कोई अड़चन पड़ गयी तो आपका सब काम ठप्प हो जायगा । मुझे मालूम है और सब लोग जानते हैं कि पिछले साल में फैकल्टी आफ डीन के सम्बन्ध में जो संशोधन किया था उसको करने में दिक्कत पैदा हुई । लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की सारी ताकत ताक पर रखी रह गई जब तक कि हाईकोर्ट का निर्णय न हो पाया। यह इसलिये है क्योंकि जो आपका कार्य करने का तरीका है उनमें लूपहोल्स निकलते हैं। वह लूपहोल्स उनको उस वक्त पता चलते हैं जब दोबारा देखते हैं । मैं इस आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यह जो संशोधन सरकार करने जा रही है सरकार उस पर स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं है । जो हमको सूचना है वह यह है कि जो संशोधन या सुधार करने जा रहे हैं उसमें वह दृढ़ निश्चय नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि एक सैक्शन की वह पसन्द है और दूसरे सैक्शन को वह नापसन्द है । कहीं ऐसा न हो कि जब तक इस कानून की स्याही सूखने न पावे फिर दूसरी कलम से दूसरी बात लिखी जाने लगे ।

जब यह सरकार बनी तो पहले ही यह घोषणा हुई कि विश्वविद्यालय में परिवर्तन होगा। यद्यपि जिस रूप में है उसके लिये यह कहा गया है कि गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी थी इसलिये ऐसा करना पड़ा। गम्भीर स्थिति है और आगे भी गम्भीर स्थिति पैदा

होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जो तरीका अपनाया गया है चुनाव प्रणाली का कि निर्वाचन की जगह पर चयन किया जायगा तो आपको इस बात को मान लेना चाहिये कि आपने एक नया तरीका ढूंढ़ कर निकाला और यही नहीं कि आपके यहां बल्कि सारे हिन्दुस्तान में वह बरता जायगा, क्योंकि आपके ही सूबे में विश्वविद्यालय नहीं है सारे हिन्दूस्थान मे विश्वविद्यालय हैं। ६०-६०, ७०-७० और ८०-८० साल के विश्वविद्यालय पुराने मौजूद हैं उनका सबका संविधान यही है कि उनके वाइस चांसलर के हाथ में ताकत है और अपने यहां का जरा देखें तो कौन सी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गयी है कि डिक्टेटोरियल पावर्स चांसलर को लेनी पड़ी? क्या ऐसी परिस्थिति विद्यार्थियों ने पैदा कर दी कि बिना चांसलर के हाथ में सारी पावर को दिये हुये विश्वविद्यालय में शिक्षा चल ही नहीं सकती। आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थीं, लेकिन उसके जवाब में मैं कहता हूं कि आप चांसलर के हाथ में अधिकार दे कर उचित नहीं कर रहे हैं कि हम हर जगह प्रजातांत्रिक तरीके, समता और समानता के आधार पर इस बात को मानते हैं कि यह संस्थायें जो अटोनामस हैं उनके कार्य में इस प्रकार दस्तन्दाजी करना कहां तक ठीक है? एक दफा अधिकार आपने दे रखा है, अब आप उसको ले रहे हैं जिसका परिणाम यह होगा कि कुलपति आपके इशारे पर काम करेगा और इससे सरकार का विश्वविद्यालय के काम में और अधिक हस्तक्षेप हो जायगा और स्वतंत्र रूप से वहां का काम नहीं चलेगा। इसलिये सरकार विद्वानों के, जैसे राधाकृष्णन, मूयम आदि के कथनों को देखे कि जो तरीका आज उन्होंने अपनाया है, वह घातक भी होगा। आज शायद यह तरीका सरकार के लिये सुन्दर दिखाई दे रहा हो, लेकिन यह घातक भी हो सकता है और इस रूप में घातक हो जायगा कि इससे विश्वविद्यालय पर कुठाराघात लगेगा और यह होगा कि कोई स्वाभिमानी प्रोफेसर यह नहीं सोच पायेगा कि हम विश्वविद्यालय के कार्य करने में सर्वाधिकारी कभी हो सकेंगे। उसे यही दिखाई पड़ेगा कि वह एक फैक्ट्री का मजदूर है, जिसका काम हुक्म को मानना है। जबकि होना यह चाहिये कि उसमें आत्म विश्वास पैदा हो जिस प्रकार की यूनिवर्सिटीज हमारे देश में प्राचीनकाल में रही हैं, नालन्दा आदि विश्वविद्यालय में स्वतंत्र वातावरण हो, शिक्षक और शिक्षण दोनों में सामन्जस्य हो और दोनों में एक रूपता हो। तो सरकार द्वारा उपकुलपति का चुना जाना बिना उनकी सलाह के मैं समझता हूं दाल में एक मक्खी डालना है जो सारी दाल को गंदा कर देगी। सरकार कहेगी कि हमने देख लिया इसलिये ऐसा किया। माना आज यह सुधार ठीक हो, क्योंकि स्थिति आपने पैदा कर दी गोलियां चलीं, कारावास हुए यह सब सरकार के कारण ऐसा हुआ और अब उसका दूसरा इलाज पैदा कर रहे हैं जो इस विषमता को और बढ़ाने वाला है। इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार ने जो तरीका अपनाया है वह अच्छा नहीं है।

सरकार पूछ सकती है क्या सुझाव हैं। २,४ सुझाव मैं दूंगा। हमें खुशी है कि अन्य पार्टियों की तरफ़ से कुछ सुझाव आये हैं। एक सुझाव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ़ से है। उनका सुझाव है कि सीनियर मोस्ट प्रोफ़ेसर उप-कुलपति चुने जाने योग्य हो सकेगा। उनका सुझाव है सेलेक्शन प्रणाली ठीक है—

श्री उपाध्यक्ष—यह कहां है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—संशोधन में है।

श्री उपाध्यक्ष—जब तक अमेंडमेंट पेश न हो जाय तब तक उस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं अपना सुझाव दूंगा, उनका सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधनों में वर्णित विषयों का आप उल्लेख न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—संशोधन और सुझाव में कोई खास अन्तर नहीं है। बहरहाल, मैं सुझाव दे रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि उप-कुलपति के चुनाव में हम हमेशा इस

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

दृष्टि से देखें कि जो शिक्षा के सम्बन्ध में उत्तम बुद्धि के आदमी हैं और अच्छे गुण वाले लोग हों उनको ही क्यों न रखा जाय ? राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में वाइस-चांसलर की क्वालिफिकेशन क्या हो इस सिलसिले में भी बतलाया गया है । पहले तो मैं पढ़ दूं पृष्ठ ४०५ पर चूंकि सरकार इस बात के लिये चिन्तित है कि इन विश्वविद्यालयों में भी वह अपना कंट्रोल कायम रखे । कंट्रोल के बारे में इस रिपोर्ट में यह कहा है :

"The right public policy is to give university the best possible constitution, securing among other things of the inclusion, of wisely chosen external members of its governing body, and then to leave it free from interference."

लिमिटेशन अगर हो तो उन्होंने उसको मुकर्रर कर दी है कि पब्लिक पालिसी तो यह होना चाहिये । उसमें सब चीजों के साथ यह बात भी हो कि उसमें योग्य, बुद्धिमान बाहरी आदमी भी आयें । इसके बाद उसमें कोई भी हस्तक्षेप न किया जाय । यह राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट है । इसके साथ सरकार ने यह बतलाया है कि वाइस-चांसलर किस तरह के हों उस सिलसिले में उन्होंने यह बतलाया है:—

"The simplest way of avoiding re-election would be to make his tenure of office indefinite, as in U. S. A., or subject only to the same retiring age as professors, as in the unitary universities of the Great Britain. Some of us believe that this is the ideal plan, but yield reluctantly to the opinion of our majority that this involves a more drastic change from present practice than it would be wise to command. We, therefore, unanimously recommend that all Vice-Chancellors should be appointed for six years and should not be eligible for re-election."

अब हमारी सरकार ने बतलाया कि उप-कुलपति की जो अवधि वह मुकर्रर कर रही है वह तीन साल की हो । पहले यह ५ साल की थी । उसका कारण यह बतलाया गया कि तीन साल की कर देने से यह मौका रहेगा कि दोबारा टर्म उसे मिल सकेगा । कमीशन ने जो इस सम्बन्ध में कहा है उसके बारे में मैं बतला देना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि इतनी टाइम लिमिट होनी चाहिये:—

"We feel, however, that to require or to allow re-election is unwise. We have had deplorable evidence that from the day of his appointment a Vice-Chancellor's every decision is liable to be swayed by his need to secure votes for his re-election, and that he may refuse to take quite necessary action for fear of consequent unpopularity. Even where there is not the case, the suspicion that it may be the case does almost equal harm. We believe that our proposals will go far towards eleminating the appointment of such weak Vice-Chancellors, but still we think it unfair to subject them to this diffiiculty."

श्री उपाध्यक्ष—हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उन्होंने कहा कि जिस वक्त से वाइस-चांसलर मुकर्रर हो उसे अपना काम करने में रिइलेक्शन की बात का ध्यान नहीं रहना चाहिये और कभी-कभी उसे यह डर रहता है कि वह अनपापुलर न हो जाय, जनता में अपना प्रभाव न जमा सके, इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिये उसकी अवधिकाल इतनी काफी होनी चाहिये कि वह अपनी पालिसी को पूरा करने के लिये काफी समय पा सके और एक उदाहरण उन्होंने यू० एस० ए० और ग्रेट ब्रिटेन का पेश किया । अन्त में उन्होंने बताया कि ६ साल का काल ठीक होगा, न ज्यादा लम्बा होगा न ज्यादा कम होगा और उन्होंने यह भी बताया कि लम्बा काल इसलिये होना चाहिये ताकि वे अपने काम को सुन्दरता के साथ कर सकें ।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पहले तरीका था कन्वेंसिंग का वह उचित नहीं था, लेकिन अगर यह कहा जाय कि जो आदमी इतने ऊंचे और महत्वपूर्ण पद पर काम करेंगे वे ऊंचे चरित्र के नहीं होंगे तो यह एक प्रकार की मूर्खता ही होगी। इसलिये हम चाहते हैं कि वाइस-चांसलर ऐसा होना चाहिये जो अपने सहायकों की इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि ६ साल तक का टेन्योर हो सकता है, लेकिन दोबारा चुने जाने की बात रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे सामने तीन साल की बात है और दोबारा चुने जाने की बात भी सरकार ने कही है।

उप-कुलपति के बारे में जो अलग-अलग राय हैं वे मैंने आपके सामने रखीं और यह भी बताया कि सरकार ने जो कारण बताये हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं। हम चाहेंगे कि उपकुलपतियों के चुनाव के लिये सरकार एक वृहत् दृष्टिकोण रखे। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों की जो अथारिटीज हैं, कार्यकारिणी समिति, सिनेट, बोर्ड, फैकल्टीज, इनका अनादर नहीं करना चाहिये, इनकी राय ले कर हमको काम करना चाहिये, यूनिवर्सिटियों में स्वतन्त्र वातावारण के लिये, उनकी स्वच्छन्दता के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें किसी मात्रा में अपना कार्य करने के लिये स्वतत्रंता भी हो। इसके अलावा इस विशेष काम के लिये जहां हमें बुद्धि उपार्जन का ही काम करना है वहां उन बुद्धिजीवियों का आदर भी करना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये इस बात से हम कभी इन्कार नहीं करेंगे कि उपकुलपति जो इन सब का संचालक है उसके निर्माण में इनकी राय ही न हो। आज कहा यह जाता है कि ऐसे आदमी का नाम दें जो कभी भी यूनिवर्सिटी की सर्विस में रहा ही न हो। जो संशोधन प्रस्तुत है उसमें यह कहा गया है कि—

"One person, not being a person who is connected with the University, a Constituent College, an Associated College or a Hall, to be elected by the Executive Council;"

जो एग्जीक्युटिव कौंसिल आदमी भेजे वह ऐसा हो जो यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक न रखता हो, यानी कोई बाहर का जीव हो। हर हालत से बाहर रहने की बात है क्योंकि जो दूसरा नामिनी चुनने वाला है उसके लिये यह शर्त है कि वह हाईकोर्ट के जज को ही चुने। इसके माने हैं कि वह भी शिक्षा से संबंधित नहीं होगा और तीसरा प्रतिनिधि सचमुच ऐसा होगा जो कुलपति का आदमी होगा और यह कहीं भी नहीं बताते हैं कि उसका ताल्लुक किसी समय भी शिक्षा से रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों के द्वारा चुने हुये आदमी ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी हालत में शिक्षा से ताल्लुक रखने वाले न हों। विश्वविद्यालयों का संचालन करने वाला, अगुवा और उसके लिये इस तरह से छूट दे दी जाय कि ऐसा आदमी चुना जा सकता है जिसका शिक्षा से कभी ताल्लुक ही न रहा हो। तब तो हम यह कहेंगे कि एक अजीब सी चीज हम को दी जा रही है। हम तो इस खयाल के हैं कि जो हमारी शिक्षा संस्थायें हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको इसके चुनाव से अछूता न रखा जाय और इनका चुनाव में पूरा-पूरा हाथ हो और ऐसे नामिनी को चुना जाय जो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों।

अब चुनाव की प्रणाली कई हो सकती हैं। एक प्रणाली हमारी यह हो सकती है कि हमारे यहां कुछ लोगों का एक पैनल हो और उस पैनल में से विद्यालयों के कुलपतियों से राय ले ली जाय कि इसके संबंध में आपकी क्या राय है और उनकी राय की कीमत होनी चाहिये, क्योंकि वह उस जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों के साथ जो लगे हुये एसोशियेटेड कालेजेज और एफीलियेटेड कालेजेज हैं, उसके लिये ऐसा इंतजाम होना चाहिये कि उनसे भी राय लेने का माध्यम बना रहे। इस बात को देखने की भी आवश्यकता है कि जो आदमी आ रहा है वह शिक्षा से संबंधित हो, बुद्धिजीवी हो और उत्तम आदमी हो।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, यह भी नितान्त आवश्यक है कि इन शिक्षा संस्थाओं में जो आदर्श पुरुष पहुंचे उनका चरित्र सुन्दर हो, लेकिन जब कभी छींटा उड़ाने की बात हम देखते हैं तो लोग कहने लग जाते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी से क्या उम्मीद करें जिसमें अगुवा ही इस प्रकार का हो। पहली बात तो यह होनी चाहिये कि उसके चरित्र पर किसी प्रकार की शंका न हो सके। इसके लिये जरूरी है कि चुनने का तरीका हो और चुनने वालों में ऐसे लोगों का बाहुल्य होना चाहिये जो प्रभावशाली हों और बुद्धिजीवी हों और विद्वता की गरिमा से भरे हुये हों।

अब श्रीमन्, सरकार द्वारा यह काम होगा यानी गवर्नर करेगा तो गवर्नर अपने मंत्रि-मंडल से ही तो सलाह लेगा। इसके माने हैं कि ऐसे आदमी होंगे जो शिक्षा से सम्बन्धित न हों, तो इस तरह की चीज रखना अनुचित है। अब इस विश्वविद्यालय के संचालन में दूसरी अन्य अथारिटीज हैं। उनमें कार्यकारिणी है, बोर्ड है, सीनेट है, फैकल्टीज हैं। इनके लिये हम अपनी सरकार से आशा करते थे कि सरकार इनको कुछ बल देगी और इनमें ऐसे परिवर्तन करेगी जिससे यह भी अपना योगदान देने में समर्थ हो सकें। कार्यकारिणी २० आदमी की हो। आज जो हमारे सामने है उसमें ऐसे आदमी होते हैं जिनमें फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती। ऐसे आदमी पहुंचाये जांय जो चाहे लाइम लाइट में न हों, लेकिन चरित्रवान, बुद्धिजीवी और प्रभावशाली हों।

इसलिये हमारा निवेदन है कि कार्यकारिणी के निर्माण में सरकार उचित परिवर्तन लाये। अगर सरकार यह सोचती है कि कमीशन मौजूद है वह सब कर लेगा तो मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि इस कमीशन के टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में कहीं गुंजायश नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर सकें और इसको अधिक व्यापक बनायें। इसके लिये आध घंटे के विवाद के लिये मांग की गई थी। सरकार ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन खैर बाद को तैयार हो गई। इसलिये हम समझते हैं कि सरकार इसको व्यापक बनाये और इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करे। केवल यही परिवर्तन न हो कि कुछ अधिकारी बढ़ा दिये जांय और डायरेक्टर आफ ऐजूकेशन और डायरेक्टर आफ हैल्थ को बढ़ाकर सरकार अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ले। यह नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो मामला हेरफेर का है उसके लिये विधेयक सरकार लाये और यह कहे कि इतना ही सब कुछ है। यह न हो। यह बुद्धि पर तरस आने की बात है। जब विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका सिंहावलोकन करें कि उस रास्ते पर शिक्षा चल रही है या नहीं जिससे हमें आशा हो जाय कि आदर्श शिक्षा इन संस्थाओं में मिलेगी। यदि वह बातें नहीं होती दिखाई पड़ती हैं तो ऐसे ही अवसरों पर हमें कहने का मौका मिलता है कि पूर्ण रूप से सिंहावलोकन करने के लिये लाओ इस विधेयक को प्रवर समिति में ले चलें और उसमें इसकी परिधि को बढ़ा लें जिसमें कि सब बातें लेकर देखें और उसके बाद ऐसी राय सरकार को दें कि जिससे सरकार अच्छा कार्य कर सके। इसलिये श्रीमन्, मेरा जो प्रस्ताव है परिधि को बढ़ाकर के विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का वह सब प्रकार से उचित है और मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर एक मत होकर इस काम को करने में हमारा साथ दें। इसमें क्या सुधार किये जांय उन सुधारों के ऊपर हम बड़े गौर से सोच रहे हैं और हमारे संशोधन आयेंगे अगर उनके लाने का अवसर हमें मिला और इसकी अवधि कुछ और बढ़ना सम्भव हुआ, क्योंकि अगर संशोधन आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जब तक हम सब बातों को अच्छी तरह से सामने न लावें तब तक पूरा चित्र नहीं आता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि हमें अपने सुझाव रखने के लिये यह मौका दिया जाय कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाय और वहां हम सारी बातों को रखें। बस, इतना ही कहकर मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---५३,

विपक्ष में---२३ ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (क्रमागत)

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मोतीलाल अवस्थी के भीषण भाषण के बाद किसी साधारण वक्ता का इस सदन में भाषण देना बड़ा कठिन कार्य है। मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर अभी उपमंत्री जी ने तथा हमारे अन्य मित्रों ने विचार प्रकट किये। मैं बैठा सोच रहा था कि आखिर क्या मामला है। इस विश्वविद्यालय विधेयक में इतने प्रकार के तर्क आये हैं और आयेंगे और समय समय के बदलते हुये तर्क आयेंगे, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था और सोचता हूं कि आज हमारे प्रदेश के सामने प्रश्न विश्वविद्यालयों के विधान का नहीं है। बल्कि इससे एक बड़ा प्रश्न है प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के सामने कि शिक्षण संस्थाओं का संबंध और विश्वविद्यालयों का संबंध राज्य से क्या हो। यह एक बड़ा आधारभूत प्रश्न है। मैं समझता हूं इस प्रश्न के ऊपर अगर थोड़ी सफाई हो जाय तो इस विधेयक के ऊपर विचार करने में बड़ी आसानी हो। यह दूसरी बात है कि किन्हीं कारणों से, दिलचस्पी से कानून उस तरह का बनाया जाय, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सत्य सर्वथा सत्य है और सर्वथा वह सत्य ही रहेगा। इस दृष्टि से इस पर विवेचना करने की आवश्यकता है कि आज राज्य और विश्वविद्यालयों का संबंध क्या है। मान्यवर, मैं आपके जरिये चाहूंगा कि इस माननीय सदन के सदस्यों की विहंगम दृष्टि दुनियां के विश्वविद्यालयों के पुराने इतिहास की तरफ ले जाऊं। मैं उन विश्वविद्यालयों की बात नहीं करता जो नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल में या मिडिल ईस्ट, यूरोपियन, अरेबियन कंट्रीज के धार्मिक विश्वविद्यालय थे वह तो एक पुराने काल की बात है। उनके संबंध में आज चर्चा नहीं होना है और उनसे कुछ रोशनी की बात भी इन विश्वविद्यालयों के लिये नहीं है। उन धार्मिक विश्वविद्यालयों के समय के बाद इनका समय शुरू होता है किन्तु उसी रोशनी को लेकर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है।

श्रीमन्, सबसे पहले इंग्लैन्ड की जो विश्वविद्यालय की बात है वह दुनिया के सामने आती है आधुनिक विश्वविद्यालयों में। इनकी किसी ला से स्थापना नहीं की गई थी। वह कानून से नहीं बनाया गया था जिस तरह से कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट बनाया गया और तब उसकी स्थापना हुई। कोई ऐक्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐक्ट के नाम से या आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐक्ट के नाम से कभी नहीं बना। उन संस्थाओं का स्वतः ही निर्माण हुआ था। जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय प्रथा के संबंध में यह कहा जाता है कि उसने उत्तरोत्तर प्रगति की है। उसी प्रकार से वहां के विश्वविद्यालय हैं और वे अपने

[श्री गौरीशंकर राय]

उत्तरोत्तर विकास का एक रूप हैं। उसके बाद उन्नीसवीं शताब्दि में उनको कानून की शरण लेनी पड़ी या वे कानून के निकट गए। इनके लिये एक और विचित्र बात है कि इंग्लैन्ड की सरकार ने कभी उनके लिये कानून बनाने का सोचा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों ने डिमांड की, विश्वविद्यालयों की यह मांग हुई कि विश्वविद्यालयों की तरक्की के लिये कोई कमीशन बैठे और उनकी तरक्की के लिये कोई व्यवस्था हो। यह नहीं कि जनता ने मांग की हो ताकि आवश्यकता के अनुसार जो प्रगति हो रही है, उस देश में जो प्रगति हुई थी उस प्रगति से विश्वविद्यालय पृथक थे, तो उनके सामन्जस्य के लिये ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जिसको उन विश्वविद्यालयों ने चाहा। इस प्रकार की मांग उन विश्वविद्यालयों के अन्दर से हुई। इस प्रकार की मांग देशवासियों की ओर से नहीं हुई।

मैं आपको थोड़े में बतलाऊं कि सारी दुनिया के अन्दर विश्वविद्यालयों का नियम क्या है। मैं आपको संक्षेप में यह बतलाऊं कि सारे विश्व में केवल रूस को छोड़कर, जहां विश्वविद्यालय की तरफ से वाइस-चांसलर अप्वाइंट होता है और प्रोफेसर अप्वाइंट होता है केवल कैरीकुलम और सिलेबस भी सरकार की तरफ से बनता है, जहां तक कि एक्जामिनर्स की लिस्ट भी सरकार की तरफ से एप्रूव होती है रूस में। हमारे बगल में हमारे भाई चन्द्रजीत जी बैठे हैं, वे तो उसका समर्थन ही करेंगे, लेकिन इस सदन में विश्वविद्यालय की आटोनामी की बात उन्हें भी करनी चाहिये और वे करेंगे, ऐसी मुझे आशा है, लेकिन जापान में, जर्मनी में, सभी जगह उनको आटोनामी है। जर्मनी में तो हिटलर के समय भी विश्वविद्यालयों के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जैसी कि यह सरकार करना चाहती है। मैं आपकी सेवा में जर्मन कमीशन की रिपोर्ट का कुछ अंश पढ़ कर सुनाऊंगा। हिटलर के समय में वहां कुछ इस तरह का हमला हुआ था यूनिवर्सिटीज पर, लेकिन तुरन्त ही योरोप के तमाम देशों ने महसूस किया कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में कुछ दोष थे जिनके कारण ही वे जर्मन राष्ट्र की उस विनाश से रक्षा नहीं कर सकीं और उसे एक शृंखलित रूप नहीं दे सकीं। रूस की बात तो छोड़ दीजिये, मैं टोटैलिटेरियन कंट्रीज की बात नहीं करता, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात भी नहीं करता, लेकिन इस युग में कहीं-कहीं अधिनायकवाद आया था, उनकी बात मैं देख रहा था। संसार में सबसे ज्यादा कंजरवेटिव यहूदी माने जाते हैं इसलिये मैंने हीब्रू विश्वविद्यालय की ओर देखने का प्रयत्न किया। संसार में वह ही एक धार्मिक विश्वविद्यालय समझा जाता है। अरब और ईरान आदि देशों के विश्वविद्यालयों का प्रारूप काफी बदल गया है, लेकिन जेरूसलम की हीब्रू यूनिवर्सिटी का रूप बिल्कुल भी नहीं बदला है। वह आज भी वैसी ही है और उसके संबंध में मैं केवल एक वाक्य पढ़ दूं कि उनका ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है। कैसे उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन चलता है।

"The administration of the university is controlled by an international board of governors which comprises of distinguished jews of all countries. The Broad lines of the Constitution of the British and American Universities, have been followed. The governing body is composed of men of public position as well as of academic distinction, who deal with the broad questions of policy and are intended to assist in the raising of funds.....The Board meets normally once a year in Europe, determines the Budget and makes the appointment of professors."

इसके माने यह हैं कि वर्ष में सारे विश्व के विद्वान यहूदी एक बार मिलते हैं और उसमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति का सवाल हुआ या और जो अन्य सवाल हुये, उन सब को तय करते हैं। वह बिल्कुल स्वतंत्र बाडी है उसका स्टेट से कोई संबंध नहीं है।

आपके सामने राधाकृष्णन कमीशन की बात अभी हमारे मित्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है और आगे भी आयेगी। हमारे माननीय मित्र नवलकिशोर जी पिछले तीन दिन से उसका

पारण और वाचन कर रहे हैं और वे उस के लिये काफी तैयार हैं। वे राधाकृष्णन कमीशन और मूथम कमीशन, सभी की बात कहेंगे, और वे रिपोर्टें सब के सामने हैं। मैं उसके शास्त्रीय विवेचन में नहीं पड़ना चाहता और आप के द्वारा सदन की सेवा में यह कहना चाहता हूं कि १९४८ में इंग्लैन्ड में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना था जिसके चेयरमैन थे सर वाल्टर माबरली। उन्होंने इंग्लैन्ड के विश्वविद्यालयों के संबंध में एक पुस्तिका लिखी है, नाम है 'दि क्राइसिस इन दि यूनिवर्सिटी'। उस समय उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि वहां की यूनिवर्सिटीज के लिये एक क्राइसेस आ गया है और चूंकि यहां जो परिस्थिति है उसमें मैं समझ रहा हूं कि विश्वविद्यालयों के लिये एक क्राइसेस उत्पन्न हो गया है। इसलिये उस पुस्तिका की दो चार लाइनें आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है—

".....it is coming to regard them as national institutions rather than as private corporations, however august and venerable."

उनका कहना था कि वे नेशनल इंस्टीट्यूशन्स थे। आगे उन्होंने कहा—

"It is true that two or three of the earliest universities, Bologna, Paris and Oxford, came into existence without any formal charter. They were customary societies rather than legal corporations ; they were not made but grew."

वे आगे कहते हैं कि उन के लिये कोई विधान नहीं बना, कैंब्रिज या आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिये कोई पहले से विधान नहीं था। यह उन्होंने लिखा है। आगे वे कहते हैं—

"During the nineteenth and twentieth centuries university constitutions have frequently been remodelled by legislative action, on enquiries by government appointed Commissions."

दो लाइन और पढ़ना चाहता हूं –

"It has been an accepted maxim that any seriousi nfringement of university autonomy would be too high a price to pay for increased co-ordination and efficiency. In this respect, Great Britain appears to be unique. Elsewhere universities fall into one of two classes—that which is both subsidized and controlled or that which is neither controlled nor subsidized. Here alone they are heavily subsidized but ordinarily uncontrolled. Should such governmental abstinence continue ? "

मान्यवर, सबसे विशेष बात जो इसमें देखने को मिलेगी वह यह मिलेगी कि वहां पर उन्हें सब्सीडी तो मिलती है, सरकार से सहायता तो मिलती है, लेकिन उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। वहां पर विश्वविद्यालय देश की सम्पत्ति नहीं वरन् राष्ट्र की सम्पत्ति मानते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—वहां पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मैं उसे बताऊंगा। मैं समझता हूं आपकी भी मजबूरी है।

तो मैं यह कह रहा था कि वहां पर सरकार का कंट्रोल उन पर नहीं होता है। आगे इसमें लिखा है—

"Without denying the ultimate over-riding authority of the State, and hence its right to intervene, a large body of university opinion would urge that such authority should only be exercised with extreme circumspection and in the last resort. To act otherwise, would be, in Burke's pharse, to take the extreme medicine of the constitution for its daily bread."

इसी में आगे लिखा है—

"Academic freedom is simply a way of saying that we get the best results in education and research if we leave their management to people who

[श्री गौरीशंकर राय]

know something about them. Otherwise we are likely to get unintelligent criticism and the "philistine" in the saddle. The criterion of methods, organization and results is likely to be what the 'low world' with 'coarse thumb and finger' finds straightway to its mind and values in a trice..... "the He who pays the piper calls the tune, but even so the cogency of this maxim varies with the piper."

उनके कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ही इस पर विचार करना होता है और सरकार को चिन्ता करने की जरूरत नहीं रहती। आगे लिखा है:—

"University autonomy is in line with the British tradition of spontaneous cohesion. The national genius has shown itself in a rich profusion of corporate bodies of voluntary origin, and often of high prestige and great longevity, such as the Inns of Court, the Royal Colleges of Physicians and Surgeons, the Royal Society and the British Academy, the Public Schools, the Boy Scouts, the Friendly Societies and The Trade Unions."

आगे यह लिखा है—

"Any sort of regimentation is unfavourable to the creative thinking which is the highest task of the university."

मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्था यह सरकार कर रही है उससे क्या क्रियेटिव थिंकिंग होने वाली है? आगे इसमें लिखा है—

"The risk of political interference is great and the experience of other countries should be a danger signal. Even fifty years ago, in the heyday of wissenschaft, it was hard for an a owed Social Democrat to get, or to retain, an academic post in Germany. But more recently National Socialist Germany, Fascist Italy and Communist Russia have afforded glaring examples of politically dominated universities."

उन्होंने एग्जाम्पिल दिया है कि यह कला इटली में, जर्मनी में और रूस में आ गयी है। आगे बहुत है। उन्होंने उसको अध्यात्मिक संस्था माना है। यूनिवर्सिटी के अधिकारों पर उन्होंने एक बड़ा भारी भाग लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंगलैन्ड में तो किसी की हस्ती नहीं है कि विश्वविद्यालयों पर कोई हमला कर सके, क्योंकि उनके विश्वविद्यालयों में पंचमांगी हर एक जगह पर, राष्ट्र के हर भाग में फैले हुये हैं। वहीं के ग्रेजुएट्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटीज का फिफथ कालम तो हर जगह घुसा हुआ है, उनके अधिकारों को कौन लेगा? जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, अगर ऐसा मौका कहीं आयेगा तो उसके लिये प्रत्येक प्रकार का प्रयास करेंगे। (व्यवधान) जहां अनपढ़ जाते होंगे, वहां का खुदा हाफिज है।

थोड़ा-सा और मैं आपको कष्ट देना चाहूंगा, उसके बाद इस विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा कि क्यों इसको संयुक्त प्रवर समिति में राय जानने के लिये भेजा जाय। इंगलैन्ड के सर अर्नेस्ट बारकर एक बड़े ख्यातिप्राप्त अध्यापक रह चुके हैं। इंगलैन्ड में या दूसरे देशों में जब विश्वविद्यालय नहीं थे तो वहां के जो पुराने ख्यातिप्राप्त अध्यापक थे उन्हीं की डिग्री और सार्टिफिकेट विश्वविद्यालयों के सार्टिफिकेट के बराबर समझे जाते थे। जब सिनेट और एग्जिक्यूटिव नहीं थीं तो उन्हीं का वर्डन स्टैंडर्ड का माना जाता था और वह अथारिटी माने जाते थे। उन्हीं अध्यापकों में से इनका भी नम्बर है। वह लिखते हैं:—

"There is one peculiarity in British Universities—not only the English, but also the Scottish, the welsh, and the Irish—which is of such cardinal importance that it ought to be stated at once. They are none of them state institutions. They are all of them voluntary societies—like the universities

of the Middle Ages from which they originally sprang. The real and essential fact is that all British Universities are autonomous institutions, or voluntary societies, with their own government, their own finance, and their own right of appointing their staff and generally controlling their life. They are financially aided by the central state and by the local governing authorities, but it is given without any rigorous conditions and without exacting the price of control."

सबने कहा है कि सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है उसकी कीमत की आशा सरकार नहीं चाहती है, बल्कि सहायता इसलिये देती है कि उच्च शिक्षा में सरकार का भी कुछ धर्म और कर्त्तव्य हो जाता है कि सहायता दे ।

"In the matter of government it has already been noticed that British Universities are essentially autonomous. They are not controlled by the Ministry of Education or the local Education authorities."

आगे कहते हैं—

"But royal commissions are only appointed if there is already a strong demand in favour of their appointment within a University ; and the statutory commissions are not only largely composed of members of the University concerned, but also consult the authrorities of the University in framing any Scheme of reform."

यह मतलब है । ये तो इंगलैन्ड की बातें हैं जोकि सारी दुनिया के सामने आज हैं ।

अब मैं इस मुल्क की बात रखना चाहता हूं । हिटलर के समय में जर्मनी का जन-जीवन कुंठित हो चुका था । हिटलर के शासन के बाद एक कमीशन बना । यह १९४७ में बना था । हिटलर के जमाने में थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी एटानोमी पर हमला हुआ ।

"Under healthy conditions the interest of the universities and the State coincide sufficiently, and this would lead to their fruitful co-operation. The universities will deal with their own affairs more responsibly, and will oppose group or fractional interests more resolutely, if, while enjoying far reaching autonomy , they are also responsible to the outside world for their actions."

उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी के अन्दर पार्टीबाजी है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे समाज पर है । विश्वविद्यालय के लोग इसका समाधान अच्छी तरह से कर देंगे बनिस्बत सरकार के । श्रीमन्, वह तो मैं बाद को बताऊंगा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों की गुटबन्दी का समाधान किया है या और उलझाव किया है । श्रीमन्, इसकी एक और डार्क साइड है । हिटलर के बारे में उन्होंने लिखा है—

"It was a fateful development when under Hitler's Reich a Ministry of Education was set up. The appointment of professors became a matter for the Reich Government. When the Third Reich fell, it was taken as a matter of course that responsibility for the universities should revert to the States.

हिटलर के जमाने में यह बात आई थी, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिये ही । हिटलर के मित्रों ने भी ऐसा नहीं समझा कि यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करके कोई कल्याण किया जा सकता है । उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता । कहीं-कहीं बारबेरस (जंगली) लोगों ने दूसरे देशों पर हमला किया है और विध्वंस किया यूनिवर्सिटियों का । ऐसे लोगों को इतिहास ने जंगली माना है । भले ही वे अपने को सभ्यता का प्रतीक मानते हों । जापान ने चीन पर हमला किया और विश्वविद्यालय का सर्वनाश किया था, इतिहास में ऐसे हमलावर रहे हैं, लेकिन मैं

[श्री गौरीशंकर राय]

बताऊंगा कि इस प्रकार के हमलावर लोग जो इस सरकार में मौजूद हैं वैसे विश्व में कहीं नहीं हैं। केवल रूस के लोग उनसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनसे कम हिटलर और मुसोलिनी हैं।

जर्मन कमीशन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी काउंसिल होगी :

"The University Council should be a link between the autonomous University and the State."

एक एलेक्टेड बाडी होगी जो स्टेट और यूनिवर्सिटी के बीच में सम्पर्क स्थापित करने का काम करेगी। यह सुझाव जर्मनी का है। उन लोगों का यह सुझाव है जिनका विश्वास एकतंत्र में रहा है।

अब मैं सारी दुनिया की पुस्तकें पढ़कर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैंने अब तक यह अर्ज किया कि सारे विश्व में विश्वविद्यालयों और राज्यों का क्या संबंध रहा। यह एक बड़ा लम्बा अध्याय है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य और विश्वविद्यालयों का क्या संबंध रहा है। प्रदेश में कई विश्वविद्यालय हैं, उनमें कब-कब अमेंडमेंट्स हुये यह जान लेने से सारी बातें समझ में आ जायेंगी। आगरा का एक विश्वविद्यालय है जिसके लिये सन् १९२६ में एक ऐक्ट बना। उसके लिये ५३ तक कोई अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद जब भारतीय संविधान के अन्तर्गत मर्यादित सरकार इस सदन में आई तब संशोधनों का तांता लग गया। पहला संशोधन १९५३ में बना, दूसरा १९५४ में, तीसरा १९५६ में और चौथा १९५८ में, पांचवा १९५९ में और छठवां १९६१ में बनने जा रहा है।

दूसरा विश्वविद्यालय इलाहाबाद का है। उसका सन् १९२१ में लेजिस्लेशन हुआ। उसके बाद १९५५ तक किसी लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई डिफीकल्टीज के रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी यूनिवर्सिटी में वितंडावाद नहीं हुआ। उसके बाद १९५५ में, १९५८ में १९५९ में तीन अमेंडमेंट्स हुये और फिर १९६०–६१ का आपके सामने मौजूद है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का लेजिस्लेशन सन् १९२० में हुआ। इसमें सन् १९५२ से १९५५ तक लेजिस्लेशन चलते रहे। उसके बाद १९५८ में और फिर १९५९ में और अब ६०–६१ में हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट सन् १९५६ में बना, संशोधन १९५८ में हुआ और अब १९६१ में होने जा रहा है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय ऐक्ट १९५८ में बना और १९५८ में ही उसका संशोधन हुआ, फिर १९५९ में हुआ फिर १९६० में करने के बाद १९६१ में फिर मौजूद है।

श्रीमन्, आपसे विशेषरूप से और सदन से यह कह देना चाहता हूं कि असल में विधि के अनुसार सन् १९५२ से अब तक कार्य हुआ ही नहीं क्योंकि जब जब कानून बना तब तब सरकार ने स्टेट्यूट्स को बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। १९५२ में अमेंडमेंट आया, १९५३ में स्टेट्यूट्स बनने थे, लेकिन १९५४ में फिर अमेंडमेंट आ गया, १९५५ में दूसरा अमेंडमेंट आया। अभी पिछले दिनों जब लखनऊ विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक आया था जो इन्हीं लोगों के काउन्टर पार्ट्स ने पेश किया था उसमें स्टेट्यूट्स बनाने के लिये १ साल का अधिकार लिया गया था, लेकिन उससे भी संतोष नहीं हुआ। वह मियाद अभी समाप्त न हो पायी थी कि दूसरा संशोधन आ गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय एकमात्र सरकार के हाथ ही में रहे हैं, सरकार के संचालन में ही काम करते रहे हैं। आज इनमें लड़ाई है, तो आज ये यूनिवर्सिटी ओटोनामी की बात करते हैं। श्रीमन्, कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि कहीं हमारी राय में परिवर्तन तो नहीं हो गया है। श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि आपकी तो वाइस चांसलर के बारे में राय यह थी कि उसको हटा दिया जाना चाहिये। मेरी वह राय अब भी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया जाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि सम्पूर्णानन्द सरकार का अगर कोई सबसे डिसग्रेसफुल कार्य रहा है तो वह कालीप्रसाद का वहां रखा जाना है और गुप्ता जी के ५० कामों में से सबसे डिसग्रेसफुल काम डाक्टर रंजन का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रखा जाना है।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस प्रकार से उन लोगों के नाम लेकर न कहें।

श्री गौरीशंकर राय—अच्छा तो मैं अब इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर कहूंगा। दोनों विश्वविद्यालयों में जो सरकार के कार्य रहे हैं वे बड़े डिसग्रेसफुल रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ अनाचार किया है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार के वाइस चांसलर का निष्कासन हो, लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे हो? क्या उनके नाम पर सारे विश्वविद्यालयों में अनाचार किया जाय? उनके हकूक के साथ अत्याचार किया जाय? अगर उन लोगों में कोई चरित्रदोष है तो उसके लिये आप इंक्वायरी कराइये। वह तो किया नहीं। अब मैं माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त से पूछना चाहता हूं कि विधान को बदल कर सारी सत्ता को हाथ में लेने की बात हो क्यों रही है? चाहे ये हों या इनके काउन्टर पार्ट हों जो आयेगा वह अपने आदमी को रखेगा, अपने आदमी को खुदा मानेगा। मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि विश्वविद्यालय के मामले को व्यक्तिगत या किसी एक पार्टी का मामला नहीं मान लेना चाहिये। इंडीविजुअल कंसीडरेशस से ऊपर उठ कर हमें यह देखना चाहिये कि विश्वविद्यालयों का निर्माण किस प्रकार से हो, लेकिन अगर विश्वविद्यालयों को इसी प्रकार से राजनीति का क्रीड़ास्थल बनाया गया तो आगे आने वाले इतिहासज्ञ किसी को माफ करने वाले नहीं हैं, चाहे आप थोड़े दिन के लिये खुदा बन कर ही क्यों न आ गये हों।

इसमें एक सबसे बड़ी विचित्र बात है कि इतने बड़े सवाल के ऊपर राधाकृष्णन कमीशन जैसे कमीशन ने भी स्पष्टवादिता से काम नहीं लिया। अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है कि गवर्नर चांसलर हो या न हो। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी हो तो उसका वाइस चांसलर गवर्नर रह सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के मामले में वह नहीं रह सकता। वैसे तो रिकमेंडेशन के मानने की जहां तक बात है, राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास है और उनको मैंने पढ़ा भी है, लेकिन यहां पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहता। राधाकृष्णन् ने कहा है कि गवर्नर को अपनी जगह पर रहते हुए चांसलर बनाना ठीक नहीं होगा जहां कि एक से अधिक विश्वविद्यालय हों। इस प्रदेश में क्या एक ही विश्वविद्यालय है? क्या आप राधाकृष्णन् की बात मानते हैं? श्रीमन्, राधाकृष्णन कमीशन के सामने यहां पर यह कहा गया कि हमारे यहां का चांसलर जो गवर्नर है, वह इन्डिविजुअल कैपेसिटी में काम करता है, वह व्यक्तिगत हैसियत से काम करता है, ऐसा उनका कहना है। श्रीमन् लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक पेटीशन के सिलसिले में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने इस सिलसिले में गवर्नर को कोई सलाह नहीं दी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा उनका कहना बिल्कुल मिथ्या है और उन्होंने गलत रिपोर्ट हमें दी। बराबर हर मामले में गवर्नर को कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ऐडवाइस करती है, अपने मन से चांसलर कुछ नहीं करता।

जहां तक अधिकार छीनने की बात है, हमारी पार्टी के एक मित्र चन्द्रशेखर जी कहते हैं कि सारी दुनियां में यह चीज है कि आजादी के पहले तो अधिकार की बात सबके सामने होती है, लेकिन आजादी मिलने के बाद वह उसे भूल जाता है। ट्राटस्की के मरने के बाद ही वहां के लोगों को अधिकार की बात मालूम हुई। जब तक आदमी जेल में रहता है तब तक तो वह आजादी की बात करता है, लेकिन आजादी मिलने के बाद दूसरों के लिये उस चीज को भूल जाता है। फिर उसकी समझ में वह बात आती ही नहीं है। उसी तरह से आज हमारे उधर के बहुत से मित्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जो आटानामी की हत्या हुई है उसकी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि यह आत्मप्रवंचना के सिवा और कुछ नहीं है। आज हमारे वे मित्र जिनका कल तक कहीं पता नहीं था कैसे तीसमारखां बन करके सारी संस्थाओं को ही रगड़ कर फेंक देना चाहते हैं। तो क्या मंशा है सुधार करने का? क्या अधिकार मिलने के बाद वे सारी बातें भूल गये? श्रीमन्, जहां तक यूनिवर्सिटी आटोनामी का सम्बन्ध है, आज उनके अन्दर पार्टीबाजी है, इसमें कोई टाइम फैक्टर की बात नहीं है।

[श्री गौरीशंकर राय]

मैं और उदाहरण न देकर केवल एक उदाहरण ही देना चाहता हूं जिससे वस्तुस्थिति साफ हो जायगी। मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५३ में आगरा यनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट आया और उसके लाने वाले उस समय के शिक्षा मंत्री, जो इस समय वित्त मंत्री हैं, थे। वे विश्वविद्यालय ऐक्ट का अमेंडमेंट उस समय इस खयाल से लाये थे कि वाइस चांसलर के पावर को कुछ बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब अगर मैं साफ कह दूं तो आप कहेंगे कि यह क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन सच्ची बात यही है कि पार्टीबाजी और बिरादरीवाद की बिना पर ही वह अमेंडमेंट लाया गया था। सीधी बात यह है कि जिस बिरादरी से उस समय के वाइस चांसलर का सम्बन्ध था उसके खिलाफ वाली बिरादरी के उस समय के शिक्षा मंत्री जी मददगार थे। उन्होंने सोचा कि पावर बढ़ा कर इस वाइस चांसलर को हटा देंगे और अपने मन के वाइस चांसलर को उसकी जगह पर बिठा देंगे, लेकिन श्रीमन् हुआ इसके उल्टा, वाइस चांसलर का पावर भी बढ़ गया और फिर वही वाइस चांसलर रह भी गये। क्योंकि कैबिनेट बदल गयी और उस समय के चीफ मिनिस्टर ने उन्हीं का फिर एप्वाइंटमेंट कर दिया और माननीय शिक्षा मंत्री का इन्टरेस्ट प्रिवेल नहीं कर सका। इसलिये माननीय मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इनडिविजुअल प्रोब्लम को सामने रख कर ऐक्ट में संशोधन न हो, क्योंकि इससे कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वाइस चांसलर को चुनने का अधिकार जनता को दिया जाय तो और भी अच्छा होगा जिस तरह से कि हम लोगों को चुना जाता है।

श्रीमन्, एक प्राणायाम होता है और एक द्राविड़ प्राणायाम होता है, लेकिन होते दोनों प्राणायाम ही हैं। तो सरकार इस तरह से द्राविड़ प्राणायाम करने की ही कोशिश कर रही है। श्रीमन्, मैं तो यही कहूंगा कि जब ऐक्ट में विधान है कि पांच आदमियों को कार्यकारिणी में नामिनेट करना है जिसमें एकेडेमिशियन्स का एप्वाइन्टमेंट हो, लेकिन क्या उनमें एकेडेमिशियन्स को ही लिया गया है? सब पोलिटिशियन्स को लिया गया है। एक क्लीक है "Politicians were oppointed in the Executive Council." और उनके एप्वाइंटमेंट के बाद वाइस-चांसलर का चुनाव होता था, सरकार के द्वारा चुने हुये वाइस चांसलर की कहानी अगर कहने लगूं तो न तो इतना समय ही है और न सदन को ही इतना धैर्य हो सकता है कि वह उस लम्बी कहानी को सुनें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में सभी को मालूम है कि वहां साल में २ बार गोली चली, डंडे चले और न मालूम क्या-क्या हुआ। आगरा यूनिवर्सिटी में किस तरह से ४०० आदमियों को प्रोफेसरशिप के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन से एगजेम्प्ट किया गया और किस तरह से वहां २०० लोगों को डाक्टरेट एक हफ्ते में कापी जांच कर दे दी गई। इसी तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में श्री शिब्बन लाल सक्सेना की किताब मौजूद है कि किस तरह से वहां एक बिरादारी वाले और एक पार्टी वाले व्यक्ति नामिनेट हुये।

ऐसा समझा जाता है कि जब हम राजनीति में आये हैं तो अवश्य ही सब विषयों के पंडित तुरन्त आते ही हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी का मामला हो तो एजूकेशनिस्ट हो गये, मेडिकल का मामला हो तो बड़े भारी डाक्टर हो गये, कोई विषय भी हो हर विषय के पंडित राजनीति में आते ही हो जाते हैं, कांग्रेस के मेम्बर हुये और सब रोगों के लिये रामबाण हो गये। श्री नवलकिशोर जी बैठे हैं वह जरूर सुन रहे हैं और अपनी राय देंगे मेरी बात को सुनकर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अप्वाइंटमेंट हुये, वहां चुनाव होने लगे और उनके बारे में मुकदमा कोर्ट में गया कि चुनाव गलत हुये हैं और फिर यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव नामिनेट हुई जैसे कि एक कहावत है 'रोने को थे आंख में धक्का लग गया'। सरकार ने सोचा कि जब कोर्ट में इंजक्शन हो गया तो यूनिवर्सिटी कौंसिल नामनिेट कर दें। इस तरह से मुकदमा दायर कराया गया और षडयन्त्र हुआ कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल चलती रहे। यह प्रशासन है यूनिवर्सिटी का। वाराणसी के विषय में मैं कुछ न कहूंगा, वहां का संस्कृत का और नया नया

मामला है, वहां पर सांख्य, न्याय तथा दर्शन आदि में, वहां एक सब्जेक्ट में दस लड़के हैं तो लिखे गये सौ और वहां हालत यह है कि विद्यार्थी और चपरासियों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या कम है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस विश्वविद्यालय को तो इस राजनीति से अलग रखा जाय और वहां के लिये स्वस्थ नियम रहें।

इसके उपरान्त आप देखें कि इस विधेयक में एक और क्लाज है जिसको कि 'रिमूवल आफ डिफिकल्टीज" क्लाज कहा गया है। मेरा कहना है कि यह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज क्लाज नहीं है बल्कि वह तो एक 'क्रियेशन आफ डिफिकल्टीज' क्लाज है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने सन् १९५३ में विश्वविद्यालय के कानून को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना शुरू किया था, वह आज के वित्त मंत्री हैं उन्हीं के हाथ से यह कार्य आरम्भ हुआ था। वह बड़े जोरदार लोग थे उस समय यहां पर। इसका उन्होंने प्रारम्भ किया और उसके बाद जो बचा खुचा था उससे एक कदम आगे बढ़ कर अब आज के शिक्षा मंत्री जी आये हैं, उन्होंने अन्तिम प्रहार कर दिया है और वह अब पुटिंग लास्ट नेल टु दि काफिन यह कर रहे हैं कि अब किसी को अधिकार न रहेगा और अब गवर्नमेंट ही नामिनेट करेगी। इससे तो यह अच्छा है कि जिस तरह से अमरीका में प्रेसीडेंट को अधिकार है कि वह अपने पालिटिकल अप्वाइंटमेंट्स कर ले और क्यों न यहां के संविधान में यह कर दिया जाय कि प्रदेश में एक राजनीतिक सरकार आने पर अपने अप्वाइंटमेंट्स कर लिया करे। चीफ सेक्रेटरी, वाइस चांसलर सब को वह नियुक्त कर लें। बड़ा जोर शोर है, यादव जी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि वह सलाह कर लें और पोलिटिकल अप्वाइंटमेंट्स की बात मान लें। मेरी समझ में जब करना है पोलिटिकल अप्वाइंटमेंट तो कहिये कि पोलिटिकल ऐप्वाइंटमेंट करना है इसमें संदेह की क्या बात है? इस सरकार पर मेरा चार्ज है कि विश्वविद्यालय व्यवस्था पर जो प्रहार सन् १९५२ में आरम्भ किया गया था उसका अन्तिम संस्कार आज हो रहा है।

श्रीमन्, मैंने मूथम को कोट करना चाहता हूं और न राधाकृष्णन् को, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्रीमन्, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रिमूवल का क्लाज नहीं है। मेरे मित्र ने कहा था कि दिल्ली वाले में है। तो उसको मैंने देखा। उसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों को भी निकालने का है, सिनेट के भी निकालने का है, यह नहीं कि आपकी तरह से सिर्फ वाइस चांसलर को निकालने का क्लाज हो। माननीय गुप्ता जी चाहे जितना नाराज हों, लेकिन बहुगुणा जी अब उससे निकल थोड़े ही जायंगे। तो यह ऊधौ मन की मन ही मांहि रही।" इस दिल्ली वाले क्लाज में इस प्रकार है:—

"Provided that nothing in this clause shall be deemed to affect any right accruing to any officer appointed on contract in accordance with the terms of the contract."

तो या तो यह प्राविजो आपको मिला नहीं और या मिलने के बाद भी जानबूझ कर छोड़ दिया गया था, लेकिन यह बात सही है कि सारी दुनिया में रिमूवल आफ वाइस चांसलर का क्लाज नहीं है। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ वाइस चांसलर जरूर हैं जिनके रिमूवल में लोगों को दिलचस्पी है कुछ पार्टीबाजी की वजह से क्योंकि उनकी मुहब्बत उनसे बहुत पहले की और पुरानी है। अब समय मिल गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरिट्स पर समझते हैं कि उनको निकालना चाहिये और उनका न निकालना देश के लिये अपमान है, शिक्षण संस्थाओं की प्रतिष्ठा के लिये घातक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मक्खी किसी के बदन पर बैठ गयी तो उस मक्खी को हटाने के लिये आदमी को बन्दूक से मार दो मक्खी मारने के लिये—एक विश्वविद्यालय के अन्दर परिवर्तन करने के लिये सारे विधेयक में परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी?

मैंने मेडिकल कालेज में गड़बड़ी वाले केस को उठाया था और मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक कमेटी बैठा दी। अब जल्दी क्या है? दो चार दिन का विलम्ब हो जाय तो क्या बिगड़ जायगा? मेरी समझ में संयम होना चाहियें, लेकिन सिंहासन बत्तीसी का सा हाल है कि सिंहासन पर बैठते ही पहले की बुद्धि समाप्त हो जाती है।

[श्री गौरीशंकर राय]

वाइस चांसलर के एप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में हमने सारी लाइब्रेरी देखने का प्रयास किया कि और जगह पर कैसे ऐप्वाइंटमेंट होता है। हमारे मंत्री जी ने उनमें से कुछ का रिफरेंस दिया और जो बचा है उसको नवलकिशोर जी रिफर करेंगे।

श्री नवलकिशोर--आप अपनी बात कहिये, मेरी बात को क्यों कहना चाहते हैं।

श्री गौरीशंकर राय--तो मैंने देखा सारी लाइब्रेरी में अन्नामलाई, पूना, बड़ौदा, नागपुर, दिल्ली, यूनिवर्सिटीज, राय कमीशन सब जगह देखा कहीं भी, सारी दुनिया में यह एप्वाइंटमेंट का तरीका नहीं है।

अब सवाल यह आता है कि कैसे एप्वाइंटमेंट हो। यह एक प्रश्न मैं भी ऐसा मानता हूं कि जिन लोगों के ऊपर उसको ऐडमिनिस्टर करना है उन्हीं से वह वोट मांगने जायं, यह उचित बात नहीं है। यह राधाकृष्णन् ने भी माना है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि बावजूद इसके कि वाइस-चांसलर का चुनाव यूनिवर्सिटी का कंसर्न होना चाहिये किसी दूसरे का नहीं होना चाहिये। इसके सिलसिले में कुछ सजेशन्स हैं और मूथम रिपोर्ट में भी हैं। उसमें एक सजेशन मुझे भी अच्छा लगा कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक बोर्ड बने जिसमें देश के एकेडेमीशियन्स हों और जिस विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के चुनने की आवश्यकता हो उसकी एक्जीक्यूटिव काउन्सिल का एक नामिनी रहे बोर्ड को ऐडवाइस करने के लिये। इससे मैं समझता हूं अच्छे लोग आयेंगे। अगर यह न सम्भव हो, तो मेरा सुझाव है कि आज जो वाइस-चांसलर को सर्वशक्तिमान बना दिया गया है यह खत्म किया जाय। यही सारे झगड़ों की जड़ है। डीन को कोई पावर नहीं, प्रिंसिन्पल को कोई पावर नहीं है। मेरी समझ में मूथम कमेटी की रिकमेन्डेशन है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और अगर कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड की नकल की जाय तो रोटेशन पर वाइस-चांसलर बनाये जायं जो सीनियर प्रोफेसर्स हों। अगर ऐसा हो जायगा तो मेरी समझ में इतनी पार्टीबाजी का समय ही न आयेगा और न इतने झगड़े ही होंगे। आज सारी पावर्स वाइस-चांसलर के पास सेन्ट्रेलाइज्ड हैं।

इस दृष्टि से भी विचार करें कि वाइस-चांसलर की चुनाव विधि में परिवर्तन करने के अलावा और भी कोई तरीका है जिससे ऐसी स्थिति पैदा न हो। जिस तरह के वातावरण से सरकार को पीड़ा है उस प्रकार के अप्वाइंटमेंट और उस प्रकार की दलबन्दी से तब बच सकते हैं जब इस सरकार से हमको निजात मिलेगी। क्योंकि सरकार के हाथ में अप्वाइंटमेंट के सारे अधिकार निहित हैं।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैंने एक दिन और कहा था, आप तो बिल्कुल समझ लेंगे, यह ऐसे आदमी हैं कि आपस में झगड़ा करके बारी-बारी से अधिकार लेते जायेंगे। अब इन दोनों में एक दूसरे को बदमाश कहते हैं, मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम दोनों की ही इज्जत करते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं और दोनों सही ही कहते होंगे। इसलिये क्यों हम किसी को डिस्बिलीव करें। अब यही आपस में झगड़ा करते हैं और सारी दुनिया को तबाह करने का कार्यक्रम है।

मैं यह कह रहा था अगर वाइस-चांसलर की पावर को विकेन्द्रित कर दिया जाय तो सब झगड़े समाप्त हो जायंगे। अब सवाल यह है कि कितने दिनों के लिये वाइस-चांसलर अप्वाइंट हो। राधाकृष्णन् कमेटी ने ६ साल के लिये कहा। अनामलाई विश्वविद्यालय का अभी उल्लेख किया गया कि वहां ३ साल का है। बड़ी विचित्र बात है श्रीमन्, जब कोई चीज कोट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही चीज कोट करते हैं जो उनके लिये ठीक है। उन विश्वविद्यालयों में अप्वाइंटमेंट की विधि क्यों नहीं कोट करते हैं? जिन विश्वविद्यालयों का नाम माननीय उपमंत्री जी ले रहे हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के विधान को आदर्श मानते हैं, तो उनमें वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट करने की क्या विधि है वह भी तो कोट करें। साधारण तौर पर ५, ६ साल का टर्म है।

यह जो विधेयक है इसी के मुताबिक अगर तीन साल की व्यवस्था हो गई तो अब तक तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के वोटों का भिखारी था, आज के बाद वह मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी की कृपा का भिखारी रहेगा तभी उसका टर्म रिपीट हो सकता है। सरकार को प्रसन्न रखने के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है।

मैं मानता हूं, चाहे मेरी राय कितनी ही कंजरवेटिव मानी जाय, कि चरित्र, ख्याति और व्यक्तिगत जो व्यवहार है आदमी का इन सारी चीजों का मूल्यांकन वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट के समय होना चाहिये और उस समय अगर शुद्ध बुद्धि रहेगी तो बाद में कोई इस प्रकार का अमेंडमेंट लाने का थैंकलेस काम नहीं करना पड़ेगा। यह इसलिये आया कि किसी ने पाप किया है। पाप वास्तव में इस सरकार ने ही किया है, किसी दूसरे ने थोड़े ही किया है। श्रीमन्, मैंने संक्षेप में अपनी राय दी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और मूथम कमेटी तथा राधाकृष्णन् कमीशन के सम्बन्ध में यहां काफी बातें कही गयी हैं। यूनिवर्सिटी की मान्यताओं के लिये इंगलैंड में रायल कमीशन और बंगाल में सेडलर कमीशन बना है और इंग्लैंड में पहले यूनिवर्सिटी कमीशन भी बन चुका है। मैंने सदन की सेवा में जर्मन कमीशन और दूसरे विद्वानों की चर्चा की और मैं अनुग्रहीत हूंगा अगर कोई मुझे बतलाने की कृपा करेगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त सारे विश्व में कहीं इस तरह की व्यवस्था रखी गयी हो कि जो चुनने वाला हो वही चुना जाने वाला हो। जो मौजूदा विधि है उसके मुताबिक चांसलर का नामिनी रहेगा और उससे जो नाम आयेगा उसमें प्रिफरेंस मार्क करने का भी अधिकार नहीं है। यह अधिकार स्वयं उनको है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एप्वाइंटमेंट होने लगा तो जो मौजूदा वाइस-चांसलर हैं ५ गवर्नमेंट के जो नामिनी हैं उनके अलावा किसी ने उनको वोट नहीं दिया और वही वाइस चांसलर हैं। इतना अधिकार लेने के बाद भी यह सरकार संतुष्ट नहीं है।

एक्जिक्यूटिव कौंसिल की लिमिट के लिये कुछ मान्यतायें निहित हैं। उनमें यह कहा गया है कि १५, २० से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिये। राधाकृष्णन् साहब की ऐसी राय है, लेकिन सुरक्षा के मुंह की तरह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ाना इसलिये आवश्यक है कि मौजूदा पार्टी बहुमत में हो जाय। डायरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर आफ एजूकेशन दो को बढ़ा दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सरकारी आफिसर बढ़ाये गये। प्रिंसिपल मेडिकल कालेज, प्रिल्सिपल इंजीनियरिंग कालेज को रखा गया। इस प्रकार से जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल हैं उसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

श्रीमन्, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय रामस्वरूप यादव जी ने जो भाषण दिया उसको मैंने सुना। विधेयक के उद्देश्य में लिखा है कि इस विधेयक के जरिये विश्वविद्यालय में जो गुटबन्दी है उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है क्या यह विधेयक उस गुटबन्दी को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगा? वह गुटबन्दी और बढ़ेगी। फर्क यह है कि कल जो निजाम एक के हाथ में था आज वह निजाम दूसरे के हाथ में है। निजाम का बदलना अगर गुटबन्दी को समाप्त करना कहते हैं तब तो गुटबन्दी समाप्त हो सकती है। मेरा तो विश्वास है कि गुटबन्दी और बढ़ेगी। बल्कि जैद की जगह बकर हो जायेंगे। फर्क दोनों में कोई नहीं है। जिसके हाथ में निजाम है वही उसे बढ़िया कहता है और गुटबन्दी समाप्त होने वाली नहीं है।

इसमें रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का जो क्लाज है यह क्रियेशन आफ डिफिकल्टीज का क्लाज है। पिछले साल जितने रिट्स मूव हुए हैं वे रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के मातहत हुए हैं और मौजूदा जो रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का क्लाज है उसमें क्रियेशन आफ डिफिकल्टीज का सेंट्रलाइजेशन होगा। मैं चाहता हूं कि सारे बिल पर फिर से विचार किया जाय और सिर्फ इसी पर विचार न किया जाय कि वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे हो।

[श्री गौरीशंकर राय]

यूनिवर्सिटी कमीशन की बड़ी चर्चा हुई। मैंने उसके बारे में पहले अपनी राय दी थी कैसे वह बना। कोई प्रोफेसर तक उस यूनिवर्सिटी कमीशन में नहीं रखा गया था। अब शायद कुछ प्रोफेसर्स रख दिये गये हैं और उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिये भगवान मालिक है। आप यह क्यों नहीं सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल पर किसका अख्तियार होगा, प्रदेश की सारी शिक्षा संस्थाओं के लिये आप स्वस्थ परम्परा बनायें। मैंने बार-बार इस सरकार से प्रार्थना की है और हाथ जोड़ कर प्रार्थना की है कि सरकार एक भी विश्वविद्यालय को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाने से छोड़ दे तो बड़ी कृपा होगी। बड़ा अन्याय कर चुकी है ५० से लेकर आज तक यह कांग्रेस की सरकार और अब इस प्रदेश को वह माफ करेगी और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करेगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय।

श्रीमन्, मेरे दल के योग्य और जोशीले नौजवान साथी बलिया के सदस्य और सोशलिस्ट दल के एक बुजुर्ग साथी, कानपुर के सदस्य के भाषण के बाद मेरा काम हल्का ही नहीं हो जाता बल्कि मुझे बोलने के लिये बहुत ही कम रह जाता है। श्रीमन्, बलिया के माननीय सदस्य द्वारा जो उदाहरण दिये गये हैं उसके बाद मुझको इस संसार के मुखतलिफ आधुनिक विश्वविद्यालयों के बारे में कहने को बहुत कम रह जाता है। मेरे बुजुर्ग साथी, कानपुर के माननीय सदस्य के भाषण के बाद कुछ चीजें जिनको कि मैं मार्क कर चुका था अब वे उपस्थित हो चुकी हैं और मुझे उनको भी कहने की जरूरत नहीं रह जाती।

श्रीमन्, मैं अभी तक, यह समझता था कि जब कोई उदाहरण या नज़ीर दी जाती है तो हमेशा इस प्रकार की नज़ीरें होती हैं जिसमें कि यह कहने का मौका मिलता है कि सदियों से, पीढ़ियों से यह बात चली आ रही है, मगर आज हमारी नयी सरकार जो आयी है वह पुराने उदाहरण नहीं देना चाहती। वह उन विश्वविद्यालयों के उदाहरण नहीं देना चाहती जो सदियों से चले आ रहे हैं और संसार भर में विख्यात हैं बल्कि वह उन विश्वविद्यालयों का उदाहरण देना पसन्द करती है जिन्होंने आज दो चार वर्ष हुये जन्म लिया है। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि बापू के नाम के मानोपोलिस्ट ये कांग्रेसी कल बापू का उदाहरण न दे कर के पोहकरमल सेठ का उदाहरण देना शुरू कर दें यह कह कर कि वे आधुनिक हैं।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उद्देश्य और कारण की कुछ पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। पहला ही शब्द है "दि रीसेन्ट ट्रेन्ड्स ऐंड डेवलपमेंट" अर्थात् हाल की प्रवृत्तियां तथा घटनायें। अब श्रीमन् इस "रीसेन्ट" शब्द से क्या इनका अभिप्राय है? सन् १९४८ से यानी जब से सत्ता इनके हाथ में आयी तब से आज तक हमारे मंत्री और हमारे मंत्री के मंत्री, अर्थात् उनके सलाहकार एक ऐसा विधेयक नहीं तय कर पाये जो दस, पांच वर्ष काम कर सके। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल के द्वारा और उस समय शायद वह गैर सरकारी मेम्बर थे, राजा सर महाराज सिंह, जिनके द्वारा एक बिल पेश हुआ जिसकी बदौलत इतने साल बड़ी आसानी से काम चला, लेकिन सन् १९५२ से यहां गड़बड़ियां होनी शुरू हुईं वह यह कि किस प्रकार उस इंस्टीट्यूशन को हथियाया जाय जहां कि सैकड़ों आदमी ३० रुपये से लेकर १,३०० रुपये तक नौकर रक्खे जाते हैं। तो यह जो "रीसेन्ट" शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है यह किस समय के लिये किया गया है—सन् १९४८ से जब से इन्होंने राज काज सम्हाला? क्योंकि सन् १९५२ से इन्होंने विश्वविद्यालयों के कानूनों में तरमीमें पेश करनी शुरू कर दीं। जो १९५२ में किया वह १९५५ तक चला। इसके बाद १९५७ में किया, १९५९ में किया और आज भी फिर मौजूद हैं। मगर रीसेंट हैं। किस काल के विषय में इस शब्द का प्रयोग करते हैं यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। श्रीमन्, मेरी समझ में जो विधेयक बनता है, जो ऐक्ट लागू किया जाता है उसका ध्येय, उसका लक्ष्य, उसका मकसद यही होता है कि कुछ अरसे के लिये वहां का काम निर्विघ्न रूप से चल सके

यानी कुछ अरसे के लिये विश्वविद्यालयों का काम ठीक तरह से चल सके, लेकिन यहां पर वह नौबत ही नहीं आ पाती। जहां जरा सा फर्क हुआ फौरन ऐक्ट बदला या तरमीम पेश की। श्रीमन्, इसका अभिप्राय कुछ और है। आप पहले भी कह चुके हैं कि तुम नीयत पर हमला नहीं कर सकते। इसलिये मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता हूं। मतलब कुछ और है, अभिप्राय कुछ और है और वह यह है कि सरकार स्टैच्यूट्स बदलने के बहाने पावर साल भर अपने हाथ में रखती है। इस प्रकार जब वह अरसा खत्म हो जाता है तो दूसरे अमेंडमेंट के बहाने और साल भर के लिये कब्जा करना चाहती है।

मैं यह जानना चाहूंगा और अपनी गलती तस्लीम कर लूंगा अगर मंत्री जी यह बताने के लिये तैयार हों कि लखनऊ विश्वविद्यालय में तीन साल के लिये एक-एक साल के एक्सटेंशन पर उपकुलपति रहे हैं या नहीं ऐसा क्यों? उधर उनका टर्म खत्म होने लगा तो स्टैच्यूट्स बदलने की पावर के अन्तर्गत एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। मैं चाहता हूं कि यह सब एक साथ बैठ जायं और अपने सेक्रेटेरियट के लोगों को भी मंत्री जी बुला लें और उनके सुपुर्द यह काम करके कहें कि इस प्रकार के विधेयक की रचना करके देखें जिससे कुछ समय के लिये विश्वविद्यालय के कार्य का निर्विघ्न रूप से संचालन हो सके।

श्रीमन्, यह सब गड़बड़ी की जाती हैं और गड़बड़ी इन विश्वविद्यालयों में नहीं हैं बल्कि उनके विभाग में हैं। यह मैं नहीं जान पाया कि क्या बात है, लेकिन जिसे मदान्ध कहते हैं उसी तरह से वह चाहते हैंकि किसी तरह से सारी पावर उनके हाथ में आ जायं और यह विश्वविद्यालय भी उसी तरह से चलने लगें जिस तरह से सरकारी नार्मल स्कूल चलते हैं और उनसे भी बदतर बनाकर छोड़ेंगे। यह उनका अभिप्राय है कि मुख्य अध्यापक का प्रिंसिपल उनकी खुशामद करता फिरे और चपरासी से पूछता फिरे कि किस समय मंत्री से मिलने का अवकाश प्राप्त हो सकता है। पांच वर्ष तक पावर अपने हाथ में रखी। वह खत्म हुई, लेकिन यह ठीक नहीं कर पाये। अब फिर वही चीज करना चाहते हैं।

श्रीमन्, आगे एक शब्द और है। आप फरमाते हैं उद्देश्य और कारणों में कि—

"The Commission appointed to enquire into the various problems...."

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में नहीं है क्या?

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, हिन्दी में है, लेकिन जरा उल्टा है। मैंने दासत्वकाल में अंग्रेजी में ही तालीम पाई और जो पढ़ा वह अंग्रेजी में ही पढ़ा, इसलिये मुझे इसमें सुविधा होती है। बाद को मैं तर्जुमा कर दूंगा। अगर आप चाहें तो पढ़ूं इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं अपने तरीके से तर्जुमा न कर दूं। लखनऊ में तालीम पाई है तो शीन और काफ दुरुस्त हैं। किसम और कास्त नहीं कह पाता हूं। (व्यवधान) हिन्दी हमारी मातृभाषा है, इसका हमें गौरव है। किन्तु श्रीमन्, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि दासत्व काल में पढ़े होने के कारण....

श्री अध्यक्ष—देवनागरी में आप नहीं पढ़ सकते?

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं पढ़ सकता हूं श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा है तो वह शिरोधार्य है, मैं हिन्दी में ही पढ़ने की चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष—हां, अगर आप हिन्दी में ही प्रयत्न करें तो अच्छा है। उसमें आपको अनुवाद नहीं करना पड़ेगा और दुबारा अनुवाद करने में उतना समय नहीं लगेगा।

श्री सुरथबहादुरशाह—अनुवाद तो श्रीमन्, वैसे भी नहीं करना चाहिये, लेकिन यहां सवाल यह है कि "काके आगे करूं सिंगार पिया मोरे आंधर"। यहां लोग हैं जो अंग्रेजी में धुरंधर हैं और खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मुझसे कहते हैं कि अनुवाद करो। केवल परेशान करने को। पढ़ेंगे सब सवेरे-सवेरे उठकर अंग्रेजी के अखबार, यहां जितने हिन्दी कहने वाले हैं सब सवेरे अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हैं.....

श्री उग्रसेन—आप क्या पढ़ते हैं ?

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं तो छिपाता नहीं हूं। (श्री राजनारायण के कुछ कहने पर) मैंने स्वयं आपको कई मर्तबे अंग्रेजी अखबार का अध्यन करते देखा है।

तो श्रीमन्, मैं वही पढ़ दूं, "विश्वविद्यालय की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया है, उसे उन समस्त प्रश्नों की जांच करने में काफी समय लगने की संभावना है।" इसमें श्रीमन्, जरा फर्क हो जाता है। जैसे कि जर्मनी में कहेंगे Ich nap haus gehen (इश ना हौसा गेहेन) में अपने घर जा रहा हूं और अंर्मजी में कहेंगे कि I am going to my house तो इसमें जरा अन्तर हो जाता है। अच्छा तो यह कहते हैं—

"The Commission appointed to enquire into the various problems regarding the University education is likely to take considerable time into going into all the issues covered by its terms of reference....."

अर्थात् इन सब प्रश्नों और समस्याओं को हल करने में बहुत कुछ समय लगने की सम्भावना है। श्रीमन्, यह देर की सम्भावना क्यों है, आप गौर फरमायेंगे, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी ने इसी आदरणीय सदन के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि हम एक कमीशन नियुक्त कर रहे हैं जो कि हर पहलू से गौर करके जांच करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा जिसके अनुसार हम ऐसा विधेयक बना सकेंगे या हम ऐसा कुशल सुधार कर सकेंगे कि जिससे हमारे ये सब विश्वविद्यालय कुशलता से चलें। श्रीमन्, अब आगे हुआ क्या ? बगैर इस सदन की इजाजत के, या इस सदन को बताये हुये उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस को बदल दिया गया। उसको ऐस्ट्रिक्ट किया गया। श्रीमन्, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस पर निर्णय दें कि क्या यह हमारे सदन का कंटेम्प्ट नहीं है ? क्या यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है ? क्या यह इस सदन की हतक नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कहां का विशेषाधिकार ?

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, इस सरकार के मंत्रिगण आश्वासन दें, इस आदरणीय सदन के सदस्यों को और सरकार के बदलते ही और दूसरे मंत्रियों के आते ही बगैर इस सदन को बताये हुये या इसकी खबर दिये हुये या इसकी इजाजत लिये हुये, बिना इस सदन को कान्फिडेंस में लिये हुये किसी कमीशन के टर्म्स आफ रेफ्रेंस को बदल देना, उसको ऐस्ट्रिक्ट करना क्या यह अपमान नहीं है ? क्या यह कंटेम्प्ट नहीं है ? मंत्री महोदय बतावें कि क्या यह तौहीन नहीं है ? श्रीमन्, आपकी व्यवस्था क्या हो यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर है कि इन लोगों को परवाह नहीं है। ये समझते हैं कि इनके साथ मुसाहिबों की तादाद इतनी ज्यादा है जो चाहेंगे करा लेंगे। महज इस ताकत पर ये इस बात को करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि अगर किसी का अपमान भी करेंगे तो इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि यह प्रवृत्ति रही तो वह दिन दूर नहीं है कि इनको इन्हीं बातों व हरकतों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। यह भी उसी प्रकार से अफसोस करेंगे जैसे कि कल का मंत्रिमंडल अपनी बातों पर आज अफसोस कर रहा है। आज वे कर रहे हैं तो परसों इनको अफसोस करना पड़ेगा।

श्रीमन्, जरा मुलाहिजा तो कीजिये। यह कहते हैं कि उजलत इस वास्ते है कि कमीशन की रिपोर्ट आने में देर होगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हमको बेवकूफ या बुद्धू बनाना चाहते हैं ? चाहे ये भले ही अपने को ऐसा समझते हों कि बहुत अक्ल उनके पास है मगर उसकी भी एक हद होती है। क्या यह तौहीन, कन्टेम्प्ट और अपमान नहीं है कि इस तरह से बेवकूफ बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि समय ज्यादा लगेगा इसलिये हम यह कर रहे हैं।

यह जो दूसरों को बुद्धू बनाने की कोशिश है इसकी यही असलियत है कि बैल का निशान लगाने वालों की अक्ल बैल से आगे नहीं बढ़ सकी.....

(कुछ शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप तर्क दीजिये। उनकी बातों पर ध्यान न दीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं तर्क तो दे रहा हूं, लेकिन हमारे मित्र सुनना नहीं चाहते हैं। बस वही कहावत मुझे याद आती है कि भैंस के आगे बीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "pearls before a swine".....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि...

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं अपना हक नहीं छोड़ रहा हूं। यहां पर माननीय सदस्य को परम्परा सीखनी चाहिये और संसदीय प्रणाली को सीखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनको रोक दिया।

श्री सुरथबहादुरशाह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने स्वयं एक दिन निर्धारित कर दिया था यानी कि ७ अगस्त को रिपोर्ट आयेगी। यह दिन वे स्वयं निश्चित कर चुके हैं। यह भी एक जानी हुई बात है और हमारे कहने की नहीं है कि गर्मी की छुट्टी विश्वविद्यालय में भी होती हैं और गर्मी की छुट्टी में विश्वविद्यालय बन्द रहेंगे। तो गर्मी की छुट्टी में जब विश्वविद्यालय बन्द रहेंगे तो उस समय यह कार्य कम्प्लीट हो सकेगा। मगर तब भी हम को आज समझाते हैं कि बड़ा समय लगेगा इसलिये हम यह विधेयक ला रहे हैं। यह किसे बेवकूफ बनाने की चेष्टा उसमें हो रही है? यह किस को डिसीव कर रहे हैं? और इसके ऊपर यह कि अगर हम कुछ सुनावें तो बोलने नहीं देते।

अब, श्रीमन्, आगे इसको मुलाहिजा फरमायें। इसमें शब्द हैं "दि फार्मेशन आफ ग्रुप्स ऐंड क्लीक्स"। आशंका है कि गुटबाजी और गुटबन्दी बढ़ेगी। अगर वाइस-चांसलर का एलेक्शन इसी प्रणाली के अनुसार होता रहा तो। यह श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन उनकी समझ की बलिहारी है। श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय की क्लिकबाजी के महान अखाड़िये के नाम से कौन परिचित नहीं हैं। क्या इस प्रांत के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट इस बात को नहीं जानते कि सन् १९४३ से लेकर पिछले वर्ष तक हर जिला कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों को इस बात के लिये इस्तेमाल किया गया था कि वे अपने शहर के परचे जमा कर के उन बैलेट पेपर को लखनऊ भेजें। आज इत्तफाक से, या संयोग से यह जान कर कि उनका गुट कुछ कमजोर हो गया है या दूसरे एलेक्शन से आ गये हैं इसलिये वह गुटबाजी अब बुरी लगने लगी। श्रीमन् यह मानी हुई बात है कि एलेक्शन में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह की गुटबाजी होगी ही और होती है। और यह हम लोगों का फर्ज है कि उस गुटबाजी को साफ, स्वस्थ और क्लीन रखा जाय। अगर हम उसे गंदा करेंगे तो वह गंदी होगी और अगर हम स्वस्थ परम्पराओं के हिसाब से चलायेंगे तो वह साफ रहेगी, क्लीन रहेगी, लेकिन जो चीज हम २०, २४ वर्ष से करते आये हैं अगर उसकी वजह से दो आदमी और हो गये दूसरे तो आज वह हमको बुरी लगने लगी यह क्या है?

श्री अध्यक्ष—अब आप व्यक्तिगत इशारा न करें।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैंने व्यक्तिगत इशारा नहीं किया और मैंने तो पद का भी इशारा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--२४ साल पहले तो कांग्रेस सरकार भी नहीं थी। अगर आप केवल गवर्नमेंट की बात कहते तो ठीक होता। अगर आप किसी इंडिविजुअल पर हमला करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा और इस प्रकार लड़ाई होगी। मैं किसी इंडिविजुअल की बात कहने की इजाजत नहीं दूंगा। आप किसी को जो गवर्नमेंट में मौजूद है और जो यूनिवर्सिटी में था लक्ष्य कर के इतनी बातें कांग्रेस वगैरह की ले आयें, यह चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन--नाम तो नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष--नाम लेने का कोई सवाल नहीं है। वे गवर्नमेंट पर हमला करें।

श्री उग्रसेन--गवर्नमेंट तो हमला करने के लिये बनी ही है।

श्री सुरथबहादुरशाह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, श्रीमन्, और अगर मैंने ऐसी कोई बात कही हो कि जो आपकी व्यवस्था के हिसाब से अनुचित हो तो मैं उसको वापस लेता हूं। मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं और माफी चाहता हूं, लेकिन जो मैंने नहीं कहा वह आप के मुखारबिन्द से स्पष्ट हो गया। मैंने यह नहीं कहा था कि कोई व्यक्ति पहले वहां थे वे कांग्रेस में थे और अब हैं या नहीं। मेरे कहने का मंशा ऐसा नहीं था।

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण जारी रखें। आपने कांग्रेस का, जिला कांग्रेस कमेटियों का जिक्र किया, वहां से परचे मंगाये गये इसका जिक्र किया। इस विधेयक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल हो जिसने कुछ ऐसा किया है प्रांविशियल कांग्रेस कमेटी में उसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट पर हमला करें किसी व्यक्ति पर नहीं।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं था और न मैं उसे कहना ही चाहता था जिसे आपने स्पष्ट कर दिया। मैंने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया और यदि आप उसमें समझते हैं कि मैंने कोई अनुचित बात कही तो मुझे उसके लिये खेद है। मैंने श्रीमन्, अगर कोई भी बात ऐसी कहीं हो.....

श्री अध्यक्ष--आप आगे अपनी बात कहिये "The cat is out of the bag now"।

श्री सुरथबहादुरशाह--May be, butnot due to me, sir. तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इलेक्शन की प्रणाली अगर अपनायी जाती है तो उसमें कुछ न कुछ गुटबाजी जरूर आयेगी। मैंने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के इलेक्शन के बैलेटपेपर की बात कही थी। अब वह जब सही बात है तो मैं कैसे कहूं कि वह गलत है। वह हमें बताने का कष्ट करें कि किस इलेक्शन में गुटबाजी नहीं होती। हर इलेक्शन में चाहे वह जनरल इलेक्शन हो, या और कोई हो, उसमें थोड़ी बहुत गुट बाजी जरूर आ जाती है। इसी आदरणीय सदन में अकसर गुटबाजी हुआ करती है। स्टैंन्डिगं कमेटियों का जब चुनाव होता है, उसमें गुटबाजी होती है। मगर उसकी आड़ में यह कहना गलत है। जब इनको कोई चीज सूट करे तब तो वह ठीक है और जब हमको सूट करे तो वह गलत है। मैं यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने अपनी ताकत से इस बिल को पास करा लिया तो यह बिल भले ही पास हो जाय लेकिन यह हमेशा के लिये इतिहास में एक नजीर बन जायगी। श्रीमन्, आगे क्लिक के बाद ये शब्द हैं--

"Campaign for an election, While persons of outstanding ability and distinction are ruled out, which is not in the interest of the University Education."

विश्वविद्यालय के संचालन और कार्यप्रणाली के लिये यह हित कारक नहीं होगा कि एलेक्शन द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति हो, कारण कि उसमें इस बात का संदेह होगा कि

वाइस चांसलर एलेक्शन के हेतु कनवेंसिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ऊंचा खयाल है। तो क्या किया जाय? एलेक्शन न किया जाय, सेलेक्शन किया जाय? एलेक्शन किया जायगा, तो वह कहते हैं कि बड़े-बड़े एकडेमिशियंश शायद इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कनवासिंग करें। श्रीमन्, मेरी तुच्छ बुद्धि में एलेक्शन एक डेमाक्रेटिक परम्परा है, लेकिन सेलेक्शन की परम्परा जो इस सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली है यह किसी अगली एकैडेमिशियंश को हरगिज पसन्द नहीं होगी।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)---कहीं है नहीं।

श्री सुरथबहादुरशाह---हमारे काबिल दोस्त सीतापुर जिले के पूछते हैं कि कहीं है नहीं? तो मैं कहूंगा कि जी हां, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब सेलेक्शन की प्रथा आप कायम करने जा रहे हैं---यानी इनकी सरकार। तो श्रीमन्, सेलेक्शन में अच्छा एकैडेमीशियन कभी प्राप्त नहीं होगा। उसमें तो पिट्ठू जायेंगे, ६०-६३ वर्ष की उम्र के निकाले हुए कोई हेडमास्टर, प्रिंसिपल, पटवारी..... (हंसी) यह तो आपकी जहनियत और प्रवृत्ति के कारण से ऐसी बातें मुंह से निकल जाती है, क्योंकि आपके कानून की वजह से रोज कुछ न कुछ माल के मामले वाले परेशान करते हैं कि चलो बाबू ठीक कराओं, तो मजबूरी है कि "पटवारी" का लफ्ज दिमाग में रहे और जबान से निकल जाय। वही याद आ गया।

श्रीमन्, मैं अर्ज करूंगा कि एलेक्शन में तो अच्छा आदमी आ भी सकता है, एलेक्शन की वजह से लोगों के पास जाना गवारा कर भी सकता है, लेकिन सेलेक्शन में पिट्ठू मिलेंगे जो मुन्तजिर रहेंगे कि नीचे बैठे रहें और चपरासी से पूछते रहे कि वे कब मंत्री महोदय से मिल सकेंगे, सिलेक्शन की प्रथा में केवल उन्हीं लोगों के ऊपर इनकी दृष्टि होगी जो कि इनकी कदमबोसी के लिये हाजिर होंगे और कमोड उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह आप कुछ पार्लियामेंटरी पद्धति के बाहर जा रहे हैं। यह "कमोड-अमोड" जो ला रहे हैं, यह पार्लियामटरी नहीं है शायद।

श्री सुरथबहादुरशाह---यदि यह पार्लियामेंटरी पद्धति के विरुद्ध है तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं और बजाय "कमोड उठायेंगे" के "कदमबोसी" कहता हूं। मगर यों तो शायद "कदमबोसी" भी गलत है, श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष---जो चीज रिवाज में पड़ जाती है वह आ सकती है, लेकिन कल को "कमोड" के बाद "पाखाना, पेशाब" शब्द भी यूज लोग करें, तो यह उचित नहीं होगा।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, वह शब्द मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेंगे।

श्री अध्यक्ष---खैर, जैसे कि "कमोड" शब्द निकला तो अन्य शब्द भी आ सकते हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---सिनानिम्स दूसरे हो सकते हैं, लेकिन भावार्थ वही रहेंगे, मैं उससे विवश हूं।

खैर, इनका लोटा उठाने वाले इनको मिल जायेंगे। जब सेलेक्शन का तरीका रहेगा तो सिवाय इस किस्म के आदमियों के और कोई आदमी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे काबिल दोस्त इस आशा में हैं कि हमारे एक भूतपूर्व-वर्तमान मंत्री जो कि परिगणित जाति के हैं उनको द्विज बना दिया तो इनको भी शायद द्विवज बना दिया जायगा...

श्री अध्यक्ष---आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, आपको यह शब्द वापस लेना चाहिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं वापस ही नहीं लेता हूं बल्कि माफी भी मांगता हूं और आगे इस बात की चेष्टा करूंगा कि इस तरह के सिनानिम इस्तेमाल न करूं। श्रीमन्, मैं अभी ४२ मिनट ही बोला हूं, और लोगों की तरह एक घंटा २५ मिनट नहीं बोलना चाहूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एलेक्शन होना चाहिये, सेलेक्शन नहीं। सेलेक्शन में यह होगा कि वाइस-चांसलर होने के लिये अच्छे आदमी नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको भय रहेगा कि अगर सरकार बदली तो हम भी बदले। इनको चिलम-बर्दार मिलेंगे, कोई शरीफ आदमी तैयार नहीं होगा।

माननीय मंत्री जी ने जब इस बिल को प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कुछ बातों की तरफ संकेत किया था, उनपर भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने फर्माया कि चुनाव का तरीका एकेडेमीशियन्स के लिये ठीक नहीं होगा। उसकी सफाई मैंने करदी कि किस प्रकार के आदमी आपको सेलेक्शन में मिलेंगे और किस प्रकार के आदमी एलेक्शन में मिलेंगे और किस प्रकार के आदमी को आप ढूंढेंगें।

दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत से योग्य व्यक्ति चुनाव का तरीका अख्तियार नहीं करना चाहते। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि योग्य व्यक्ति चुनाव का तरीका भले ही अख्तियार करलें, लेकिन सेलेक्शन का तरीका कभी पसन्द नहीं करेंगे। हो सकता है किसी विवशता या मजबूरी के कारण वह मंत्री जी की कदमबोसी के लिये हाजिर हों।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि वोटिंग नहीं होनी चाहिये। वोटिंग के विषय में ये चाहते हैं कि माननीय हो एक आदमी एग्जीक्यूटिव कांउंसिल द्वारा, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा और तीसरा कुलपति द्वारा। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं इस बात को कहने के लिये बहुत ही लज्जित हूं कि इन आदमियों को मनोनीत करने के बाद भी सरकार उन पर विश्वास नहीं रखती है। यह इससे साफ है कि आगे कहा गया है कि but shall not indicate any order of preference यानी ये तीन आदमी नाम भेजेंगे, लेकिन अपनी राय नहीं देंगे। इसके यह मानी हैं कि इनको यह अधिकार नहीं होगा कि यह कह सकें कि यह नम्बर १ है, यह २ है और यह ३ है। तो इतने बड़े आदमियों को सरकार जलील करे, यह उचित नहीं है। मैं तो इसे जिल्लत ही कहूंगा। इस ढोंग से क्या वास्ता? सरकार साफ क्यों नहीं कहती कि जो वह चाहेंगी करेगी। यह स्वांग काहे का? कुलपति जो कि गवर्नर होता है, चीफ जस्टिस जो कि न्यायमूर्ति कहलाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा मनोनीत किये हुये सज्जनों पर सरकार ने यह इज्जत बख्शी है कि उनके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि कौन किससे अच्छा है। दे वही सकता है जिसके दिल होता है, दे वही सकता है जो उदार होता है, दे वही सकता है जो दाता होता है। वह नहीं दे सकता जो उदार नहीं है, जिसके दिमाग में लखनऊ की तहजीव नहीं आ सकती। अंग्रेजों को आज तक हम लोग गालियां देते हैं। उनके जमाने में एक क्रांतिकारी कांग्रेस का नेता आगया। उनका नाम है श्री चन्द्रभानु जी गुप्त। हम लोग उनके कदमों पर चले। मगर अंग्रेज ने कभी यह नहीं कहा कि उनको निकाल दो और आज बदले की भावना है। क्रान्तिकारी नेता के छत्रकाल में ऐसा बिल! हमको लज्जा आती है। उन्हीं के इलेक्शनों में हमने सन् ३६, ३७ और ३८ में जूतियों के तले घिसे और आज, मुझे अफसोस है कि उन्हीं की सरकार द्वारा लाये हुये बिल का मुझे विरोध करना पड़ता है।

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने राधाकृष्णन रिपोर्ट की दुहाई दी। दुर्भाग्यवश उनकी पूरी बातों को मैं लिख नहीं सका। मैंने पूछा तो कहने लगे कि यह केवल जिस्ट था या किसी विशेष जगह से निकाला था। मैंने पूछा कि मुझे बतला दीजिये। वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विषय में था। कहा कि भिजवा देंगे किन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के विषय में राधा कृष्णन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने कहा था....

श्री हरीसिंह—हिन्दी में उसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—वह सब समझ में आ जायगा और अगले चुनावों में यह चीज काम आयेगी। आप कह सकेंगे कि आप सब समझने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष—सीधे सीधे जवाब देने की वह पद्धति नहीं है। अगर आपको बीच में कोई टोकता है तो आप मुझसे शिकायत कीजिये मैं उनको रोकूंगा। आप सीधे-सीधे उनको जवाब देने को कोशिश न कीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह जो मेरी आदत पड़ी है देखा देखी पड़ी है।

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे उनको कई बार टोका गया। और कोई माननीय सदस्य बीच में बार-बार टोकें तो क्या उनको वक्ता उत्तर नहीं दे सकता ?

श्री अध्यक्ष—अगर उनको कोई शिकायत करना है तो वे मुझ से कहें, मैं उनको रोकूंगा। २५ आदमी अगर एक साथ बोलने लगें तो जवाब किस-किस को दिया जायगा।

श्री सुरथबहादुरशाह—उन्होंने इसमें कहा है पृष्ठ ४२६ पर कि—

"We also recommend that the Executive should be about evenly divided between internal and external members, but with the balance including to to the internal side."

अर्थात् जो कार्यकारिणी समिति हो उनमें बाहरी और भीतरी मेंम्बरों का बैलेंस होना चाहिये और वह बैलेंस अध्यापकों की तरफ, यानी भीतर की तरफ झुका होना चाहिये। यहां क्या है ? उपकुलपति और कोषाध्यक्ष को निकाल दिया जाय तो २४ में २ को निकाल कर २२ रह जाते हैं। इन में से ५ मनोनीत होकर आते हैं और ५ निर्वाचित होकर। तो इधर १० और उधर बारह रह जाते हैं। यह बैलेंश राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही है, लेकिन यह भी इस सरकार को नागवार खातिर हुआ। अब उसमें दो मेम्बर ऐसे रखे जा रहे हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं जो सरकार के पीछे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या इस विधेयक में यह लिखा हुआ है ?

श्री सुरथबहादुरशाह—यह तो मैं विस्तार से समझा रहा हूं क्यों कि इसमें दिया हुआ है कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ इसमें आयेंगे। तो मैं उसके लिये कह रहा हूं कि इसमें १० और १२ का अनुपात है और बैलेंस इन्टरनल साइड में ही रहेगा जिसमें कि सरकारी आदमी हैं। इसमें एक कानपुर के गणेशशंकर विद्यार्थी मेमोरिअल मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल हैं जो डीन भी हैं, मगर सरकारी नौकर हैं और दूसरे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के, वे भी सरकारी नौकर हैं।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद ५ बजे सदन अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

देवकीनन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ,
१४ मार्च, १९६१।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का

शारदा नहर से १३६४–१३६७ फसली तथा १३६८ फसली

डिवीजन का नाम	१३६४ फसली १९५६–५७		१९६५–फसली १९५७–५८	
	साल भर का औसत बहाव (डिस्चार्ज) क्यूबिक फिट प्रति सेकेन्ड	साल भर का कुल डिस्चार्ज क्यूवेक्स दिनों में जो प्रयोग हुआ	साल भर का औसत डिस्-चार्ज क्यू-वेक्स फिट प्रति सेकेन्ड	साल भर का का कुल डिस्चार्ज क्यूवेक्स दिनों में जो प्रयोग हुआ
१	२		३	
१—हैन्डवर्क्स डि० सारदा कैनाल बरेली ..	६८.७९	२५१११	१०६.५०	३८८७६
२—शाहजहांनपुर कैनाल्स डि० शारदा कैनाल्स शाहजहांन-पुर ..	६६२.६३	२४१,८६२	८५३.९८	३११.७०४
३—सीतापुर डिवीजन शारदा कैनाल सीतापुर ..	६७३,७८	२४५.९३१	५४४.३३	१९८,६८३
४—बाराबंकी डिवीजन शारदा कैनाल बाराबंकी ..	६८३.१६	२४९.३५५	७७०.३२	२८१,१६७
५—रोहेलखंड कैनाल्स डवीजन बरेली ..	४१४.१२	१५१,१५५	५२२.८०	१९८,१२१

क्यू० फि० = क्यूबिक फिट
डि० क्यू० = डिस्चार्ज क्यूबिक
डि० = डिस्चार्ज

'क'

उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

मई, १९६० तक प्रयोग में लाये गये पानी की तालिका

१३६६ फसली १९५८–५९		१३६७ फसली १९५९–६०		१३६८ फसली	
साल भर का औसत डिस्चार्ज क्यूविक प्रति सेकेन्ड	साल भर का कुल डिस्चार्ज प्रति सेकेन्ड क्यूविक सदनों में जो प्रयोग हुआ	साल भर का औसत डिस्चार्ज क्यूविक प्रति सेकेन्ड	सालभर का कुल डिस्चार्ज क्यू० दिनों में जो प्रयोग हुआ	साल भर का डि० क्यू० फिट प्रति सेकेन्ड	साल भर का डि० क्यू० दिनों में जो प्रयोग हुआ
	४		५		६
११२.१३	४०९,३०	१२८.९	४७०,६७	१३७.७	८४००
६१७.३५	२२५,३३६	५०१.७०	१८३,१२३	३७३.७७	२२८,००
६१०.५६	२२२,६७८	८२४.२३	३००,८४७	८६८.८५	५३०,००
६४६.१९	२३५,८६२	८८२.६६	३२२,१८१	८८५.२४	५४०,००
४०३.७५	१४७,३७९	४१२.८	१५०,६९८	३६३.९३	२२२,००

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६२–६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

तालिका (क)

जिला बस्ती की तहसील हरैय्या में सिसई फार्म सन् १९५७–५८ में खोला गया था जिसका आय व व्यय निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यय	आय
	रु०	रु०
१९५७–५८	५,९३०	४,१७७
१९५८–५९	८,३२४	२,४०५
१९५९–६० दिसम्बर ५९ तक, ..	४,०९४	२,०९४

इस फार्म का क्षेत्रफल ३०.८१ एकड़ है तथा पैदावार निम्न है :—

वर्ष	पैदावार मनों में		योग
	बीज	भूसा	
१९५७–५८ ..	६७.९.०	१९८.७.८	२६५.१६.८
१९५८–५९ ..	१३९.१७.०	१६९.०.०	३०८.१७.०
१९५९–६० .. (दिसम्बर, ५९ तक)	१६८.०.०	२५९.५.०	४२७.५.०

तालिका (ख)

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या		वेतन रुपये में		भत्ता रुपये में
	अधीक्षक	हलवाहे	अधीक्षक	हलवाहे	
१९५७–५८ ..	..	..	..	..	४४.६२
१९५८–५९ ..	..	२	..	१,१२८	१०३.२६
१९५९–६० (दिसम्बर, ५९ तक)	१	२	६३०.३०	५९४	१०५.८२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

डकैती का विवरण

श्री कल्लू पुत्र कमोद काछी निवासी ग्राम ताल पुरवा ने थाना कोतवाली झांसी में सूचना दी कि दिनांक १६/२०.६.६० को लगभग आधी रात जब वह अपने मकान के बाहर सो रहा था १५–१६ डकैतों ने लाठी, तलवार व बन्दूकों से सुसज्जित होकर डकैती डाली और कल्लू व उसके भाई के मकान के ताले तोड़ कर लगभग ८,२२४ रु० नकद व माल लूट ले गए। डकैतों ने लाठी, तलवारों से चोटें पहुंचाई जिससे श्रीमती मुट्ठ देवी के चोटें आईं ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६६ एल० ए०—१६६१—८४५ ।